



ALIMCO



ISO 9001: 2015

भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम

भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय,
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र का 'मिनीरत्न-11' उपक्रम
जी.टी. रोड, कानपुर-२०६२१७
आई.एस.ओ. ६००१:२०१५

ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA

A Govt. of India, "Miniratna-II" CPSU under Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan) Ministry of Social Justice & Empowerment

G.T. Road, Kanpur-209217
An ISO 9001:2015 Company



45th Annual Report 2017-18

४५वीं वार्षिक रिपोर्ट २०१७-१८



Board of Directors

(As on 31.03.2017)



Shri D.R. Sarin
Chairman & Managing Director



Dr. Prabodh Seth
Joint Secretary (DEPwD)
Ministry of Social Justice and Empowerment



Ms. T.C.A. Kalyani
Joint Secretary & Financial Adviser (DEPwD)
Ministry of Social Justice and Empowerment



४५वाँ वार्षिक प्रतिवेदन २०१७-१८
45th Annual Report 2017-18

विषय सूची	CONTENTS	पृष्ठ संख्या PAGE No. से-तक FROM-To
वरिष्ठ अधिकारीगण	SENIOR EXECUTIVES	2
बैंकर्स	BANKERS	3
लेखा अंकेक्षक	AUDITORS	3
एलिम्को के कार्यालय	OFFICES OF ALIMCO	3-5
सूचना	NOTICE	6-7
अध्यक्ष का भाषण	CHAIRMAN SPEECH	8-9
निदेशकों का प्रतिवेदन	DIRECTORS' REPORT	10-50
भारत के नियंत्रक व महालेखाकार की टिप्पणी	COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA	51-55
सचिवीय अंकेक्षण रिपोर्ट	SECRETARIAL AUDIT REPORT	56-61
प्रबन्धन विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट	MANAGEMENT DISCUSSION & ANALYSIS REPORT	62-65
कारपोरेट गर्वनेन्स पर रिपोर्ट	REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE	66-71
10 वर्ष एक दृष्टि में	10 YEARS AT A GLANCE	72-73
लेखा समपरीक्षक का प्रतिवेदन	AUDITOR'S REPORT	74-84
तुलन पत्र	BALANCE SHEET	85-86
आय एवं व्यय खाता	INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT	87-88
नगदी प्रवाह विवरण	CASH FLOW STATEMENT	89-92
लेखों पर टिप्पणी	NOTES ON ACCOUNTS	93-144



वरिष्ठ अधिकारीगण

ले. कर्नल (आ.प्रा.) पी.के. दुबे
महा प्रबन्धक (विपणन)

श्री प्रवीन कुमार
महा प्रबन्धक (परियोजना एवं वाणिज्यिक)

श्री अतुल रूस्तगी
उप महाप्रबन्धक (वित्त)

श्री पी. के. श्रीवास्तव
उप महाप्रबन्धक (सामग्री प्रबन्धन)

श्री आर. के. माथुर
उप महाप्रबन्धक (एएपीसी भुवनेश्वर)

श्री अजय चौधरी
उप महाप्रबन्धक (सी. एस. आर. एवं मुख्य सर्तकता अधिकारी)

श्री विवेक द्विवेदी
उप महाप्रबन्धक (गुणवत्ता नियंत्रक)

श्री संजय सिंह
उप महाप्रबन्धक (विपणन)

श्री ए.के. सिंह
वरिष्ठ प्रबन्धक (उत्पादन)

सुश्री नीलू द्विवेदी
वरिष्ठ प्रबन्धक (कार्मिक एवं प्रशासन)

श्री बी. के. गुप्ता
वरिष्ठ प्रबन्धक, एएपीसी जबलपुर

श्री रितेश श्रीवास्तव
वरिष्ठ प्रबन्धक (एसपी एण्ड सी)

SENIOR EXECUTIVES

Lt. Col. (Retd.) P.K. Dube
General Manager (Marketing)

Shri Praveen Kumar
General Manager (Project & Commercial)

Shri Atul Rustagi
Deputy General Manager (Finance)

Shri P.K. Srivastava
Deputy General Manager (Material Management)

Shri R. K. Mathur
Deputy General Manager (AAPC Bhubaneswar)

Shri Ajay Chaudhari
Deputy General Manager (CSR & CVO)

Shri Vivek Dwivedi
Deputy General Manager (Quality Control)

Shri Sanjay Singh
Deputy General Manager (Marketing)

Shri A.K. Singh
Senior Manager (Production)

Ms. Neelu Dwivedi
Senior Manager (Personnel & Administration)

Shri B.K.Gupta
Senior Manager, AAPC, Jabalpur

Shri Ritesh Srivastava
Senior Manager (SP&C)



बैंकर्स

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया
यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया

लेखा सम्परीक्षक

मे. प्रकाश एण्ड संतोष
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
रालैंड परिसर, फ्लैट नं. 8,
ऊपरी तल, वैस्टकॉट भवन,
37/17, दि मॉल, कानपुर

एलिम्को के कार्यालय

पंजीकृत कार्यालय एवं फैक्ट्री

जी. टी. रोड,
कानपुर – 209217
(उत्तर प्रदेश)
दूरभाष: 91-512-2770614, 2770687, 2770818
फैक्स: 91-512-2770617, 2770870, 2770137
ई-मेल: alimco@alimco.in
वेबसाइट: www.alimco.in

एलिम्को के सहायक उत्पादन केन्द्र

1. बेंगलूरु

सर्वे सं. एम.वाई.एस. 357
प्लॉट सं. 8, पीन्या प्लान्ट स्टेशन,
नियर जलासौधा, जालाहल्ली, पो ऑ.
बेंगलूरु – 560013
दूरभाष – 91-80-23377482, 23377533
फैक्स: 91-080-23577070
ई-मेल: aapc_bangalore@alimco.in

2. भुवनेश्वर

प्लॉट सं. एस-3/66,
मानचेश्वर इण्डस्ट्रियल एरिया,
भुवनेश्वर – 751010
दूरभाष :- 0674-2586881 / 2587670
फैक्स: 0674-2587018
ई-मेल: aapc_bhubaneshwar@alimco.in

BANKERS :

State Bank of India
Union Bank of India

AUDITORS :

M/S. PRAKASH & SANTOSH
CHARTERED ACCOUNTANTS,
Rolland Complex Flat No. 8
Upper Floor Westcott Building
37/17 The Mall, Kanpur

OFFICES OF ALIMCO

REGISTERED OFFICE & FACTORY:

G.T. ROAD,
KANPUR-209217
(UTTAR PRADESH)
Phones: 91-512-2770614, 2770687, 2770818
FAX: 91-512-2770617, 2770870, 2770137
E-Mail : alimco@alimco.in
Website : www.alimco.in

ALIMCO AUXILIARY PRODUCTION CENTRES

1. BENGALURU

Survey No. MYS 357,
Plot No.8, Peenya Plant Station,
Near Jalasaudha, Jalahalli P.O.,
BENGALURU-560013
Phone No. : 91-80-23377482, 23377533
Fax : 91-080-23577070
e-mail : aapc_bangalore@alimco.in

2. BHUBANESWAR

Plot No. S-3/66,
Mancheshwar Industrial Area,
BHUBANESHWAR-751010
Phone No. : 0674-2586881/2587670
Fax : 0674-2587018
e-mail : aapc_bhubaneshwar@alimco.in



3. जबलपुर

प्लॉट सं. 40, 106 एवं 107
रिच्छाई इण्डस्ट्रियल एरिया,
जबलपुर- 482010
दूरभाष :- 91-761-2334717
फैक्स: 91-761-2334724
ई-मेल : aapc_jabalpur@alimco.in

4. पंजाब-चनालोन

प्लॉट सं. ए-1, ए-2, ए-3,
फोकल प्वाइंट, इण्डस्ट्रियल एरिया,
चनालोन जनपद: मोहाली - 140103 (पंजाब)
दूरभाष :- 0160-2642220
ई-मेल : aapc_chanalon@alimco.in

5. उज्जैन

मानपुरा औद्योगिक क्षेत्र
शिवांश शहर के पास
रेजिडेंसी देवास रोड
उज्जैन - 456010
दूरभाष :- 9425016489

3. JABALPUR

Plot No. 40, 106 & 107,
Richhai Industrial Area, Maharajpur
JABALPUR-482 010
Phone : 91-761-2334717
Fax : 91-761-2334724
e-mail : aapc_jabalpur@alimco.in

4. PUNJAB-CHANALON

Plot No. A-1, A-2, A-3, Focal Point
Industrial Area, Chanalon
Distt. Mohali-140103 (Punjab)
Phone : 0160-2642220
e-mail : aapc_chanalon@alimco.in

5. UJJAIN

Manpura Industrial Area
Near Shivansh City
Residency Dewas Road
Ujjain 456010
Phone : 9425016489

एलिम्को आउटरीच सेन्टर

1. गुवाहाटी

मकान संख्या-2, ओसिस इमारत
सर्वोदय पथ, राजीव भवन के पीछे
ए बी सी, भंगाग गुवाहाटी - 781005
दूरभाष :- 0361-2348789
फैक्स: 0361-2456063
ई-मेल : aoc_guwahati@alimco.in

ALIMCO OUTREACH CENTRE

1. GUWAHATI

House No.2, Oasis Building
Sardoday Path, Opposite Rajiv Bhawan'
ABC, Bhangagarh Guwahati-781005
Phone : 0361-2348789
Fax : 0361-2456063
e-mail : aoc_guwahati@alimco.in



क्षेत्रीय विपणन केन्द्र एवं विकलांगता पुनर्वास केन्द्र

1. नई दिल्ली

एलिम्को क्षेत्रीय मार्केटिंग सेन्टर एवं विकलांगता पुनर्वास केन्द्र
मार्फत सोशल जस्टिस सर्विस सेन्टर
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने
महिला इमदाद कमेटी, पहाड़गंज
नई दिल्ली – 110055
दूरभाष :- : 91-11-23580877,
फैक्स : 91-11-23580877
ई-मेल : rmc_newdelhi@alimco.in

2. मुम्बई

एलिम्को क्षेत्रीय मार्केटिंग सेन्टर
मार्फत अली यावर जंग राष्ट्रीय संस्थान
श्रवण बाधित।
रूम नं. बी-103, बी-विंग, फर्स्ट फ्लोर
के0 सी0 मार्ग, बांद्रा रिक्लेमेशन, बांद्रा (वेस्ट)
मुम्बई – 400 050
दूरभाष :- : 91-022-27570615
फैक्स : 91-022-27571278
ई-मेल : rmc_mumbai@alimco.in

3. कोलकाता

एलिम्को क्षेत्रीय मार्केटिंग सेन्टर
मार्फत नेशनल इंस्टीट्यूट फार द
ऑर्थोपेडिकली हैण्डिकैप्ड,
बी. टी. रोड, बॉन – हुगली,
कोलकाता- 700090
दूरभाष : 91-33-25316356
फैक्स : 91-33-25317838
ई-मेल : rmc_kolkata@alimco.in

4. हैदराबाद

एलिम्को क्षेत्रीय मार्केटिंग सेन्टर
21-120 ए, उत्तम नगर, सफिलगुड़ा
मलकाजगिरि पोस्ट, हैदराबाद
तेलंगाना-500047
दूरभाष : 91-40-27061463
ई-मेल : alimcohyderabad@gmail.com

REGIONAL MARKETING CENTRES & DISABILITY REHABILITATION CENTRES

1. NEW DELHI

Regional Marketing & Disability
Rehabilitation Centre ALIMCO
C/o Social Justice Service Centre,
Mahila Imdad Committee, Paharganj
Opposite New Delhi Rly. Station,
NEW DELHI-110 055
Phone : 91-11-23580877,
Fax : 91-11-23580877
e-mail : rmc_newdelhi@alimco.in

2. MUMBAI

Regional Marketing Center ALIMCO
C/o Ali Yavar Jung National Institute for the
Hearing Handicapped
Room No. - B-103, B-wing, 1st Floor,
K.C. Marg, Bandra Reclamation, Bandra (W)
MUMBAI - 400 050
Phone : 91-022-26510292
Fax : 91-022-27571278
e-mail : rmc_mumbai@alimco.in

3. KOLKATA

Regional Marketing Centre, ALIMCO
C/o National Institute for the
Orthopaedically Handicapped,
B.T. Road, Bon-Hoogly,
KOLKATA-700090
Phone : 91-33-25316356
Fax : 91-33-25317838
e-mail : rmc_kolkata@alimco.in

4. HYDERABAD

ALIMCO Regional Marketing Center
21-120A, Uttam Nagar, Sufilguda
Malkajgiri Post, Hyderabad
TELANGANA-500047
Phone : 91-40-27061463
e-mail : alimcohyderabad@gmail.com



सूचना

एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम की 45वाँ वार्षिक सामान्य बैठक दिनांक **19.09.2018 को 3:30 बजे**, सम्मेलन कक्ष, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, पंडित दीनदयाल अंतोदय भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली के कार्यालय में निम्नलिखित कार्य सम्पन्न करने के लिए होगी।

साधारण व्यवसाय

1. 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लेखा परीक्षित तुलन पत्र एवं 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा, वित्तीय प्रवाह विवरण, निदेशक मण्डल की रिपोर्ट और सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट एवं उस पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों पर विचार करना, और अपनाना और निम्नलिखित संकल्पों को संशोधन सहित अथवा बिना संशोधन के सामान्य रूप से पास करना :

“संकल्प किया जाता है कि 31 मार्च 2018 का लेखा परीक्षित तुलन-पत्र, 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा, वित्तीय प्रवाह विवरण सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के साथ एवं उस निदेशक मण्डल की रिपोर्ट पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों को प्राप्त किया, विचार किया और अपनाया”

कृते निदेशक मण्डल के आदेश द्वारा
भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम

ह0 /—
अमिताभ दुबे
सहायक प्रबन्धक
कम्पनी सचिव
सदस्यता संख्या: ए-24619

नोट : बैठक में भाग लेने एवं वोट देने के लिए अधिकृत सदस्य को अपने स्थान पर बैठक में भाग लेने एवं मत देने के लिए परोक्षी को नियुक्त करने का अधिकार है तथा परोक्षी को निगम का सदस्य होना आवश्यक नहीं है।



NOTICE

Notice is hereby given that the 45th Annual General Meeting (AGM) of the Shareholders of Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India will be held on **19.09.2018 at 3:30 P.M** in the office of Joint Secretary Deptt. of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan), Ministry of Social Justice and Empowerment, Pt. Deendayal Antyodaya Bhawan Lodhi Road, New Delhi to transact the following businesses:

ORDINARY BUSINESS:

To consider and adopt the Audited Balance Sheet as on 31st March 2018, Income and Expenditure Account for the year ended 31st March, 2018, Cash Flow Statement, Directors Report, alongwith Statutory Auditors' Report and Comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon and pass the following Resolution as an ordinary Resolution, with or without modification (s):

RESOLVED THAT audited Balance Sheet as on 31st March 2018, Income and Expenditure Account for the year ended 31st March, 2018, Cash Flow Statement, Directors Report alongwith Statutory Auditors' Report thereon and Comments of the Comptroller and Auditor General of India on the same be and are hereby received, considered and adopted.

By Order of the Board of Directors
For Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India

Sd/-
Amitabh Dubey
Assistant Manager
Company Secretary
Membership No.: A24619

Note: A member entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint a proxy and vote instead of himself/herself and the proxy need not be a member of the Corporation.



अध्यक्ष का भाषण

प्रिय शेयर धारको,

ऐलिम्को के निदेशक मंडल की ओर से तथा अपनी तरफ से, मुझे आपके निगम की 45वीं वार्षिक रिपोर्ट को प्रस्तुत करने में प्रसन्नता हो रही है।

भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (ऐलिम्को) के अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक के रूप में मेरे कार्यकाल की चौथी वार्षिक रिपोर्ट को प्रस्तुत करने में मुझे वास्तव में बड़ा हर्ष हो रहा है। यह निगम के समग्र विकास तथा उन्नयन के रूप में सन्तोशजनक वर्ष रहा है।

मैं आपके निगम के एक और सफलतापूर्वक वर्ष हेतु सभी हितधारको को शुभकामनाएं देता हूँ तथा वास्तव में, मैं आपके साथ कुछ मील के पत्थरों में साझा होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपके निगम में पूर्व वर्ष में 240.67 करोड़ रुपये के टर्नओवर की तुलना में 228.50 करोड़ रुपये टर्नओवर प्राप्त किया है, अधिशेष के रूप में पूर्व वर्ष में 55.74 करोड़ रुपये के मुकाबले में निगम ने 50.79 करोड़ रुपये प्राप्त कर लिए हैं। उसी प्रकार, आपके निगम का शुद्ध सामर्थ्य 238.21 करोड़ से बढ़कर 281.33 करोड़ हो गया है तथा नियोजित पूंजी 259.80 करोड़ रुपये से बढ़कर 286.10 करोड़ रुपये हो गयी है। इसके अलावा निगम को छठे वर्ष 2017-18 में भी "उत्कृष्ट" एमओयू रेटिंग प्राप्त करने की आशा कर रही है।

आपका निगम सरकारी अनुदान सहायता के कारण बाजारों के भीतर उपक्रम करने हेतु प्रयास कर रहा है। निगम द्वारा उपयोग में किये जा रहे सतत् प्रयासों विशेषकर, सीएसआर कारोबार तथा डीलर नेटवर्क के जरिये कारोबार, का परिणाम हैं। 2016-17 में 66.24 करोड़ के गैर-एडिप कारोबार की तुलना में वर्ष 2017-18 में पूर्णत 28.36 करोड़ रुपये तथा 94.60 करोड़ रुपये के कारोबार को दर्शाते हुए 42.81 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है।

गैर-एडिप बिक्री का विवरण

करोड़ रुपये में

क्र सं.	विवरण	2016-17	2017-18
1	राष्ट्रीय संस्थान	7.88	5.61
2	राज्य सरकार की सीधी बिक्री	6.48	11.09
3	डीलर एवं फेब्रिकेटिंग एजेंसी	24.63	32.78
4	सीएसआर, निर्यात, स्केप, अन्य	26.02	34.36
5	राष्ट्रीय व्योश्री योजना	1.23	10.76
	योग	66.24	94.60

समापन से पूर्व, मैं सभी स्तर के अपने कर्मचारियों द्वारा किये गये समुचित प्रयासों के लिए उन्हें हार्दिक रूप से अपनी शुभकामनाएं प्रदान करता हूँ जिन्होंने वर्ष 2017-18 में आपकी निगम को उत्कर्ष कार्य-निष्पादन दर्ज कराने में समर्थ बनाया। मैं बोर्ड के अपने साथियों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने अपना कीमती समय निकाला तथा बोर्ड की चर्चा में अपने गहन ज्ञान तथा विभिन्न विषयों पर अपने मार्गदर्शन के साथ-साथ सक्रिय रूप से भाग लिया था जिनका उचित निर्णयों को लेने में बड़ा ही योगदान रहा। मैं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा आपकी निगम के निरन्तर विकास एवं विस्तार हेतु दिये गये मार्गदर्शन तथा सहायता के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आश्वस्त हूँ कि इस सहायता तथा विश्वास से भविष्य में ऐलिम्को अनेक मील के पत्थरों तथा नवीनतम ऊँचाइयों को प्राप्त करेगा।

ह0 / -
डी. आर. सरीन
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम



CHAIRMAN'S SPEECH

Dear Shareholders,

On behalf of the Board of Directors of Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India (ALIMCO) and on my own behalf, I am pleased to present the 45th Annual Report of the Corporation.

It is indeed a pleasure in presenting the Fourth Annual Report of my tenure as Chairman & Managing Director of Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India. It has been a quite satisfying year in terms of overall development and growth of the Corporation.

I wish to 'Congratulate' all stakeholders for yet another successful year of your Corporation and it has been indeed a great privilege to share some of the milestones with you. During the year under review, your Corporation achieved a Turnover of Rs. 228.50 crores as compared to the previous year Turnover of Rs. 240.67 crores. The surplus of your Corporation was Rs. 50.79 crores as against previous year's figure of Rs. 55.74 crores. Similarly, the Net Worth of your Corporation increased to Rs. 281.33 Crores and the Capital employed has increased to Rs. 286.10 Crores from Rs. 238.21 Crores and Rs. 259.80 Crores respectively in previous year. Apart from this, the Corporation is also expecting to get 'Excellent' MoU rating for the year 2017-18 consecutively for the sixth year.

Your Corporation has been making efforts to venture into the markets which are not in the nature of business generated because of Government Grants. These Sales are a result of continuous efforts by the Corporation in tapping primarily the CSR business and business through building up dealer network. In comparison to Non ADIP business of Rs.66.24 Crores in 2016-17, the business in 2017-18 has registered a growth of Rs. 28.36 Crores in absolute terms and percentage growth of 42.81% showing a business of Rs.94.60 Crores.

Statement of Non-ADIP Sales

Rs. In Crores

Sl. No.	Particular	2016-17	2017-18
1	National Institutes	7.88	5.61
2	State Government Direct Sales	6.48	11.09
3	Dealers & fabricating Agency	24.63	32.78
4	CSR, Export, Scrap, Others	26.02	34.36
5	Rashtriya Vayoshri Yojana	1.23	10.76
	Total	66.24	94.60

Before concluding, I wish to place on record my deep sense of appreciation for the sincere efforts put in by our employees at all levels which enabled your Corporation to record Excellent Performance during the year 2017-18. I would also like to thank my colleagues on the Board who spared considerable time and participated actively in the deliberations of the Board with their in-depth knowledge and guidance on various issues which greatly contributed in taking appropriate decisions. I gratefully acknowledge the guidance and support extended by the Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan) for continued growth and expansion of your Corporation. I am sure that with this support and trust, ALIMCO will achieve many more milestones and newer heights ahead in future.

Sd/-
D.R. SARIN,
Chairman & Managing Director,
Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India



वर्ष 2017-18 के लिये निदेशकों का प्रतिवेदन

सेवा में,
सदस्यगण
भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम

आपके निदेशक मण्डल को, निगम के कार्यकलापों पर 45वां वार्षिक प्रतिवेदन तथा उसके साथ 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु लेखापरीक्षित लेखा प्रस्तुत करते हुए अत्यन्त प्रसन्नता है।

1. वित्तीय प्रदर्शन

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान निगम ने टर्नओवर रू0 228.50 करोड़ दर्ज किया जो वर्ष 2016-17 में 240.67 करोड़ था और रू0 50.79 करोड़ का अधिशेष अर्जित किया जो वर्ष 2016-17 में रू0 55.74 करोड़ था। एलिम्को कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 8 (लाभ के उद्देश्य से नहीं) (पूर्व कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25) के अन्तर्गत पंजीकृत है। अतः कोई लाभांश का वितरण नहीं होता इसलिए व्यय पर आय के आधिक्य को जो कि रू0 50.79 करोड़ था को संचय एवं आधिक्य में समायोजित किया गया तथा इसका इस्तेमाल भविष्य में निगम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संरक्षित किया गया है। उपलब्धि के वित्तीय आँकड़े निम्नवत् हैं।

(रू0 करोड़ में)

विवरण	2017-18 उपलब्धियाँ	2016-17 उपलब्धियाँ	2016-17 से अधिक वृद्धि प्रतिशत में
वित्तीय उपलब्धियाँ			
कुल आर्वत	228.50	240.67	(-) 5.06 %
उत्पादन का मूल्य	237.78	245.00	(-) 2.95 %
अधिशेष	50.79	55.74	(-) 8.88%
शुद्ध सामर्थ	281.33	238.21	18.10 %

2. निगम की रूपरेखा

भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को) अनुसूची सी में, एक मिनीरत्न श्रेणी द्वितीय में शामिल केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है जो कि कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 8 (लाभ न कमाने के उद्देश्य के लिए) अन्तर्गत पंजीकृत है (पूर्व कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25) एवं भारत के माननीय राष्ट्रपति जिनके पास 100 प्रतिशत अंश के साथ भारत सरकार के सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य कर रही है। इसका उद्देश्य विकलांग

DIRECTOR'S REPORT FOR THE YEAR 2017-18

To,
The Members of,
ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING
CORPORATION OF INDIA,

Your Directors have pleasure in presenting herewith the 45th Annual Report along with Audited Statement of Accounts of the Corporation for the financial year ended on 31st March 2018.

1. FINANCIAL HIGHLIGHT

During the Financial year 2017-18, the Corporation has achieved a turnover of Rs. 228.50 crores as against Rs. 240.67 crores in 2016-17 and earned surplus of Rs. 50.79 crores as against Rs. 55.74 crores earned surplus in the year 2016-17. ALIMCO, being a Corporation registered under Section 8 (Not for Profit Motive) of the Companies Act, 2013 (corresponding to Section 25 of the Companies Act 1956) is not expected to pay any dividend. The excess of income over expenditure amounting to Rs 50.79 crores has been carried forward to the Reserve and Surplus Account for utilization and furtherance of its objectives of the Corporation. The performance figures under report are given as under :

(Rs. in Crores)

Particulars	2017-18 Achievements	2016-17 Achievements	% increase over 2016-17
FINANCIAL PERFORMANCE			
Turnover	228.50	240.67	(-) 5.06 %
Value of Production	237.78	245.00	(-) 2.95 %
Surplus	50.79	55.74	(-) 8.88%
Net Worth	281.33	238.21	18.10 %

2. CORPORATE PROFILE

Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India (ALIMCO) is a Schedule 'C' Miniratna Category II Central Public Sector Enterprises, registered under Section 8 (Not for Profit motive) of the Companies Act 2013, (corresponding to Section 25 of the Companies Act, 1956) is functioning under the Administrative Control of Ministry of Social Justice & Empowerment, Department of Empowerment of Persons with Disabilities. It is 100% owned Govt. of India Central Public Sector Enterprises. with an



व्यक्तियों के लिये पुर्नवास यंत्र एवम् सहायक उपकरण के निर्माण से और देश के विकलांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंग और अन्य पुर्नवास यंत्र की उपलब्धिता, उपयोग, आपूर्ति और वितरण को बढ़ावा देने, प्रोत्साहित करने और विकास के द्वारा अधिकतम सीमा तक सहायता करने के उद्देश्य से कार्य करती है। लाभप्रदता निगम का उद्देश्य नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य उचित मूल्य पर विकलांग व्यक्तियों को बड़ी संख्या में बेहतर गुणवत्ता वाले यंत्र एवं उपकरण प्रदान करना है। निगम ने कृत्रिम अंगों के उत्पादन का कार्य सन् 1976 से आरम्भ किया था। निगम की कुल पांच सहायक उत्पादन केन्द्र जो कि भुवनेश्वर (उड़ीसा), जबलपुर (मध्य प्रदेश), बेंगलूरु (कर्नाटक) और चनालोन (पंजाब) और उज्जैन (मध्य प्रदेश) में स्थित है इसके अतिरिक्त निगम के चार क्षेत्रीय विपणन केन्द्र हैं। जो कि नई दिल्ली, कोलकाता, मुम्बई तथा हैदराबाद में स्थित है तथा निगम का एक आउटरीच सेन्टर जो कि गुवाहाटी में स्थित है।

यह एक ऐसा निगम है जो कि विकलांगों के लिए एक ही छत के नीचे विविध प्रकार के सहायक उपकरणों के निर्माण में लगा हुआ है।

3. पूंजीगत ढाँचा

आपके निगम की 31 मार्च 2018 को अधिकृत पूंजी रू0 6000 लाख तथा प्रदत्त पूंजी रू0 5409.97 लाख थी। आपके निगम की समस्त प्रदत्त पूंजी भारत सरकार द्वारा भारत के राष्ट्रपति के पास रखी हुई है।

4. वर्ष 2017-18 में निगम के भौतिक उपलब्धि के परिमाणात्मक आँकड़े निम्न प्रकार हैं :

	भौतिक उपलब्धि (महत्वपूर्ण उत्पादों की भौतिक उपलब्धियाँ)	PHYSICAL PERFORMANCE (Physical Performance of Important Products)	Production (In Nos.)		% Increase over 2016-17	Sales (In Nos.)		% Increase over 2016-17
			2016-17	2017-18		2016-17	2017-18	
1	ट्राई साइकिल	Tricycle	92,970	91,938	(-) 1.11%	98,761	75,055	(-) 24%
2	व्हील चेयर	Wheel Chairs	48,905	46,044	(-) 5.85%	43,216	52,332	21.09%
3	क्रचेस	Crutches	80,779	72,259	(-) 10.54%	74,564	69,853	(-) 6.32%
4	प्रोस्थेटिक अपर एवं लोअर किट्स एवं कम्पोनेन्ट	Prosthetic Upper & Lower Kit & Components	39,655	34,870	(-)12.06%	38,238	30,745	(-)19.60%
5	आर्थोटिक लोअर (किट्स एवं कम्पोनेन्ट)	Orthotic Lower Kits & Components	23,948	31,293	30.67%	31,907	29,704	(-) 6.90%
6	श्रवण यंत्र	Hearing Aids	1,21,367	1,08,710	(-)10.42%	1,14,953	99,045	(-) 13.84%

objective of benefiting the disabled persons to the maximum extent possible by manufacturing Rehabilitation Aids for persons with disabilities and by promoting, encouraging and developing the availability, use, supply and distribution of Artificial Limbs and other Rehabilitation Aids to the disabled persons of the country. Profitability is not the motive of the operations of the Corporation and its main thrust is in providing better quality of Aids & Appliances to larger number of disabled persons at reasonable price. The Corporation started manufacturing artificial aids in 1976. At present It has five Auxiliary Production Centres (AAPCs) situated at Bhubaneswar (Orissa), Jabalpur (M.P.), Bengaluru (Karnataka), Chanalon (Punjab) and Ujjain (MP). The Corporation has four Marketing Centres at New Delhi, Kolkata, Mumbai, & Hyderabad and one Outreach Centre at Guwahati.

The Corporation is the only manufacturing Corporation producing various types of assistive devices under one roof to serve all types of disabilities across the country.


3. CAPITAL STRUCTURE

The Authorized Capital and Paid up Capital of the Corporation as on 31st March 2018 were Rs.6000 lakhs and Rs.5409.97 lakhs respectively. The entire paid up share capital of your Corporation is held by Government of India in the name of the President of India.


4. THE QUANTITATIVE FIGURES SHOWING PHYSICAL PERFORMANCE OF THE CORPORATION FOR THE YEAR 2017-18 ARE GIVEN BELOW



COMPARATIVE VALUE OF PRODUCTION DURING FIVE PRECEEDING YEARS



COMPARATIVE VALUE OF SALES DURING FIVE PRECEEDING YEARS





5. विक्रय ढाँचा

वित्तीय वर्ष 2017-18 में विक्रय ढाँचा इस प्रकार है

रु. करोड़ में

क्रेता की श्रेणी	2017-18 की बिक्री	2017-18 का प्रतिशत भाग	2016-17 की बिक्री	2016-17 का प्रतिशत भाग
राष्ट्रीय संस्थान	5.61	2.46%	7.88	3.27%
एडिप एवं कोकलियर	77.76	34.03%	124.68	51.81%
एस.एस.ए. (60%)	34.34	15.03%	30.42	12.64%
एस.एस.ए. (40%)	21.8	9.54%	19.33	8.03%
राज्य सरकार के सीधी खरीदारी	11.09	4.85%	6.48	2.69%
डीलर, फेब्रीकेशन	32.78	14.35%	24.63	10.23%
सीएसआर, निर्यात, द्विपक्षीय, अवशेष एवं अन्य	34.36	15.04%	26.02	10.81%
राष्ट्रीय वायोश्री योजना	10.76	4.71%	1.23	0.52%
कुल योग	228.50	100%	240.67	100%

नोट :

रु (करोड़ में)

विवरण	2017-18 की बिक्री	2016-17 की बिक्री
GIA से जुटाए संसाधन	112.10	155.10
GIA के अलावा जुटाए संसाधन	116.40	85.57
कुल	228.50	240.67



5. SALES PATTERN

The sales pattern during the year 2017-18 was as under :

Rupees in Crores

Buyer Category	Sales of 2017-18	% age share 2017-18	Sales of 2016-17	% age share 2016-17
National Institutes	5.61	2.46%	7.88	3.27%
ADIP & Cochlear	77.76	34.03%	124.68	51.81%
S S A (60%)	34.34	15.03%	30.42	12.64%
S S A (40%)	21.8	9.54%	19.33	8.03%
State Govt. Direct Purchases	11.09	4.85%	6.48	2.69%
Dealers, Fabrication	32.78	14.35%	24.63	10.23%
CSR Export, Bilateral, Scrap & others	34.36	15.04%	26.02	10.81%
Rashtriya Vayoshri Yojana	10.76	4.71%	1.23	0.52%
TOTAL	228.50	100%	240.67	100%

NOTE :

Rupees in Crores

Particular	Sales of 2017-18	Sales of 2016-17
Resource Mobilized from GIA	112.10	155.10
Resource Mobilized other than GIA	116.40	85.57
TOTAL	228.50	240.67



6. भारत सरकार के साथ एम ओ यू

आपका निगम सीपीएसईज में अपनाए गए एमओयू प्रणाली का सक्रिय भागीदार है जहां निगम, प्रशासनिक मंत्रालय तथा डीपीई के बीच त्रिपक्षीय वार्ता के जरिए वार्षिक एमओयू लक्ष्यों पर बातचीत की जाती है। पर्याप्त विचार के बाद, वर्ष 2017-18 का एमओयू 03 मई 2017 को डीपीई द्वारा पुनरिक्षित निगम तथा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के बीच हस्ताक्षर किया गया था।

हस्ताक्षरित एमओयू की प्रति निगम की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई थी। वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति के अलावा, वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान निम्नलिखित गैर वित्तीय लक्ष्यों भी प्राप्त किए गए थे।

1. उत्पादन क्षमता को प्राप्त करने के लिए, होने वाले वेस्टेज पर पर्याप्त ध्यान दिया गया था तथा निगम 1.95 प्रतिशत वेस्टेज को प्राप्त करने में समर्थ रहा जोकि पूर्व वर्ष 2016-17 के वेस्टेज से 4.88 प्रतिशत कम है।
2. की जा रही परियोजनाओं की लागत एवं समय में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई थी निगम अपने संशाधनों के पुनः उपयोग तथा केपेक्स योजना को लागू करके लक्ष्यों को प्राप्त कर पाया था।
3. निगम ने डिजिटल इंडिया की दिशा में कदम उठाया है तथा वर्तमान सिस्टम में निम्नलिखित सुधारों के लिए प्रक्रिया को अपनाया है :-
 - क) निगम के सभी अधिकारियों द्वारा एसीआर/एपीएआर प्रस्तुत की गई तथा 100 प्रतिशत अधिकारिगण कवर हुए थे।
 - ख) वर्ष के दौरान डीजीएम तथा इससे ऊपर के अधिकारियों के लिए तिमाही सतर्कता देय बाकी ऑनलाइन प्राप्त हो सकी थी जिसमें 100 प्रतिशत वरिष्ठ अधिकारिगण कवर हो पाए थे।
 - ग) निगम के हितधारकों को भुगतान आरटीजीएस और ऑनलाइन मोड के जरिये से किया गया था।
 - घ) लाभार्थी विवरण वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध कराये गये।

6. MOU WITH GOVERNMENT OF INDIA

Your company is an active participant in the MOU system adopted in the CPSEs where yearly MOU targets are negotiated through a tri-partite dialogue between the company, Administrative Ministry and DPE. The MOU of 2017-18, after due deliberation was signed on 03rd May 2017 between the Corporation and Department of Empowerment of Persons with Disabilities, Ministry of Social Justice & Empowerment, Government of India duly vetted by DPE.

The signed copy of the MOU was uploaded in the corporation's website. Apart from the achievement of financial targets, the following non-financial parameters were also achieved during the financial year 2017-18:-

1. In order to achieve production efficiency, due thrust was placed on reduction of wastage and the corporation was able to achieve a wastage percentage of 1.95% which is a reduction by 4.88% on wastage percentage of previous year 2016-17.
2. There was no cost or time overrun in the projects being executed. The corporation achieved the target by ploughing back its resources timely and executing the Capex planned.
3. The corporation took a step towards Digital India and in the process has carried out the following improvements on the existing system:-
 - a) ACR/APAR submission by all the executives of the corporation was enabled online and 100% of the executives were covered.
 - b) Quarterly Vigilance Clearance for DGM and above was enabled online during the year wherein 100% senior executives were covered.
 - c) The payments to the stakeholders of the corporation was through RTGS and other online Modes.
 - d) Beneficiary details were made available through website.



4. निम्नलिखित उपायों को अपनाकर कर्मचारी प्रेरणा सुनिश्चित की गई :-
 - अ) बिना किसी देरी के डीपीसी हुई तथा कर्मचारियों की नैतिकता को ऊँचा उठाने के लिए डीपीसी के परिणाम को निर्धारित समय के भीतर घोषित किया गया था।
 - ब) कर्मचारियों को प्रेरित करने तथा कैरियर प्रोग्रेशन के लिए, निगम के उत्कृष्टता केन्द्र जैसे-आईआईएम लखनऊ, आईआईएम कोलकाता, एटीआई चैन्नई तथा अन्य उत्कृष्टता केन्द्रों से संबंध बनाकर रखे थे ताकि निगम 32 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा सके।
 - स) निदेशक मंडल में 22.09.2017 को निगम की उत्तराधिकार योजना का अगले पांच वर्षों हेतु अनुमोदन कर दिया था।
5. वित्तीय मामलों से संबंधित डीपीई के दिशानिर्देशों का प्रयोज्य सीमा तक कम्पनीज एक्ट, 2013 के प्रावधानों का निगम ने पालन किया है जिसमें स्वच्छ भारत गतिविधियों हेतु सीएसआर फंड के आवंटन पर, डिजिटल इंडिया पर डीपीई के दिशानिर्देश तथा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा जननीति आदि शामिल है।
6. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की नियोजित भागीदारी के साथ प्रापण नीति को निगम अपनी वेब साइट पर प्रदर्शित करता है। इस वर्ष के दौरान, निगम सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के साथ निकट का समन्वय करके दो विक्रेता बैठक आयोजित की गई थी। जहाँ तक 2017-18 के लिए एमओयू का संभव है किए गए आंतरिक मूल्यांकन पर आधारित तथा विधिवत वार्षिक लेखों एवं प्रमाणपत्रों द्वारा समर्थित निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर, निगम को वर्ष 2012-13 से लगातार छठे वर्ष में उत्कृष्ट श्रेणी में रखे जाने की आशा है।

7. निर्यात उपलब्धि

निगम ने वर्ष 2016-17 के दौरान शून्य निर्यात के मुकाबले वर्ष 2017-18 में शून्य निर्यात किया है।

4. Employee Motivation was ensured by adopting the following measures:-
 - a) DPC were held without any delay and in order to boost the morale of the employees, the results of the DPC were declared well within time.
 - b) For the career progression, the corporation tied up with the Center of Excellence like IIM Lucknow, IIM Kolkata, ATI Chennai and other COEs to impart training to 32 of the corporation's employee.
 - c) The succession plan of the corporation was prepared for next 5 years and was approved by BOD on 22.09.2017.
5. The Corporation has complied with the provisions of Companies Act, 2013 to the extent applicable, with the DPE Guidelines having financial implications, with DPE Guidelines on allocation of CSR Funds for Swachh Bharat activities, with DPE guidelines on Digital India and with Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises issued by Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises.
6. The Corporation through its website discloses the Procurement Plan with planned participation of MSEs. During the course of the year, 2 Vendor meets were organized in close coordination with Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises.

As far as the MOU for 2017-18 is concerned, on the basis of internal evaluation done and measures adopted by the corporation in the above qualitative issues, the company is expected to be rated as Excellent continuously for the 6th Year since 2012-13.

7. EXPORT PERFORMANCE

The Corporation has Nil exported its products in the year 2017-18 in comparison to the total NIL exports in the year 2016-17.



8. एडिप शिविर

निगम ने एडिप योजना के अन्तर्गत 26 राज्यों/संघीय राज्यों को कवर करते हुए वित्तीय वर्ष 2017-18 में 167 शिविरों के जरिये 81,582 (71.76 प्रतिशत) पुरुषों, 32,090 (28.23 प्रतिशत) महिला तथा 13 किन्नरों (0.01 प्रतिशत) लाभार्थियों को (कुल 1,13,685 लाभार्थियों) की सेवा उपकरण के अनुसार के मुकाबले वर्ष 2016-17 में 1,19,291 (70.08 प्रतिशत) पुरुषों, 50,906 (29.90 प्रतिशत) महिला तथा 34 किन्नरों (0.02 प्रतिशत) को मिलाकर कुल 1,70,231 लाभार्थियों को 315 शिविरों के जरिये कवर किया है। वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान 1,70,231 लाभार्थियों को एक से अधिक सहायक उपकरण/कृत्रिम अंग/कैलीपर प्रदान किये गये थे।

वर्ष 2017-18 में आयोजित 167 शिविरों में से, 14 शिविर उत्तर-पूर्वी राज्यों में 11,408 (63.46 प्रतिशत) पुरुषों, 6,561 (36.50 प्रतिशत) महिलाओं तथा 07 किन्नरों (0.04 प्रतिशत) कुल 17,976 लाभार्थियों को कवर करते हुए आयोजित किये गये थे, जबकि वित्त वर्ष 2016-17 में 12,329 (62.52 प्रतिशत) पुरुषों एवं 7,389 (37.47 प्रतिशत) महिलाओं तथा 02 किन्नरों (0.01 प्रतिशत) लाभार्थियों (कुल 19,720 लाभार्थियों) को 31 शिविरों के तहत लाभ दिया गया

8. ADIP CAMP

The Corporation has covered 81,582 (71.76%) Male, 32,090 (28.23%) Female and 13 (0.01%) transgender beneficiaries, totaling to 1,13,685 beneficiaries' equipment-wise in the financial year 2017-18 under ADIP scheme through 167 camps covering 26 States/UTs as against 1,19,291 (70.08%) Male, 50,906 (29.90%) Female and 34 (0.02%) transgender beneficiaries totaling to 1,70,231 beneficiaries served through 315 camps conducted in financial year 2016-17

Out of 167 camps conducted in the year 2017-18, 14 camps were held in North Eastern States covering 11408 (63.46%) male, 6,561 (36.50%) female and 07 (0.04%) transgender beneficiaries (total 17976 beneficiaries) as against 12,329 (62.52%) Male, 7389 (37.47%) Female and 2 (0.01%) transgender (total 19720 beneficiaries) for 31 camps in financial year 2016-17.

GLIMPSES OF ADIP CAMP PHOTOGRAPHS



Shri Krishan Pal Gurjar Minister of State of Social Justice & Empowerment distributing Assistive devices manufactured by ALIMCO to the beneficiary under the ADIP Scheme during the distribution camp held in Majuli (Assam) on 09.05.2017.



Hon,ble Union Minister Shri Thaawarchand Gehlot Ministry of Social Justice & Empowerment Hon,ble Minister for Road Transport & Highways, Shipping and Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation shri Nitin Jairam Gadkari & others Dignitaries distributing Assistive devices to the beneficiary under the RVY Scheme of Govt. of India during the distribution camp held in Nagpur on 09.05.2017



Hon,ble Chief Minister Uttar Pradesh & others Dignitaries distributing Assistive devices manufactured by ALIMCO to the beneficiary under the ADIP Scheme during the distribution camp held in Moradabad on 21.05.2017.



Hon'ble Prime Minister distributed Motorised Tricycle Manufactured by ALIMCO to the beneficiaries under the ADIP Scheme during the distribution camp. Also present are the Hon. Governor of Gujarat Shri O P Kohli, Hon. Chief Minister of Gujarat Shri Vijay Rupani, alongwith other dignitaries in Rajkot on 29.06.2017.



Hon'ble Union Minister of State for Social Justice and Empowerment Shri Krishan Pal Gurjar distributing Wheel chairs manufactured by ALIMCO to the beneficiary under the ADIP Scheme during the distribution camp held in Bagpat (UP) on 11.07.2017.



Hon,ble Union Minister Shri Thaawarchand Gehlot Ministry of Social Justice & Empowerment Hon,ble Chief Minister Uttar Pradesh Shri Yoginath & others Dignitaries distributing Assitive devices manufactured by ALIMCO to the beneficiary under the ADIP-RVY Scheme during the distribution camp held in Gorakhpur on 23.08.2017.



Hon'ble Union Minister of State for Social Justice and Empowerment Shri Ramdas Athawale distributing smart cane at Samajik Adhikarita Shivar organized at Dhule District in Maharashtra on 06.11.2017



Hon'ble Union Minister of State for Social Justice and Empowerment Shri Vijay Sampla, distributing Wheel chairs manufactured by ALIMCO to the beneficiary under the ADIP Scheme during the distribution camp held in Jamui (Bihar) on 11.01.2018.



Hon'ble President of India Shri Ram Nath Kovind & other Dignitaries distributing Motorised Tricycle manufactured by ALIMCO to the beneficiary under the ADIP -RVY Scheme during the distribution camp held in Gwalior on 11.02.2018.



9. एडिप-एस एस ए शिविर

एडिप-एस एस ए योजनान्तर्गत 1033 शिविरों का आयोजन किया गया जिनमें से 61,434 (64.78 प्रतिशत) पुरुष तथा 33,407 (35.22 प्रतिशत) महिला, कुल 94,841 लाभार्थियों को वित्तीय वर्ष 2017-18 में 6-14 आयु वर्ग के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को 25 राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों के मुकाबले 47,110 (64.19 प्रतिशत) पुरुष तथा 26,282 (35.81 प्रतिशत) महिला कुल 73,392 सी डब्ल्यू एस एन में वित्तीय 2016-17 में 783 शिविरों के दौरान कवर किया गया।

वर्ष 2016-17 में 1033 शिविरों में से 36 शिविर उत्तरी-पूर्वी राज्यों में आयोजित किये जिसमें 3842 (69.41 प्रतिशत) पुरुष तथा 1693 (30.59 प्रतिशत) महिलाएं कुल 5535 लाभार्थियों के मुकाबले वर्ष 2016-17 में 61 शिविरों में 2848 (66.09 प्रतिशत) पुरुष तथा 1461 (33.91 प्रतिशत) महिला लाभार्थी कुल 4309 लाभार्थियों को शामिल किया गया।

9. ADIP SSA CAMP

Under ADIP-SSA Scheme, 1033 camps were organized in which 61434 (64.78 %) male and 33407 (35.22 %) female totaling to 94841 beneficiaries equipment-wise in the Financial Year 2017-18 for children with special needs in the age group of 06-14 years were served covering 25 States/UTs as against 47,110 (64.19%) Male and 26,282 (35.81%) Female totaling to 73,392 CWSN served in 783 camps during the financial year 2016-17.

Out of 1033 camps, 36 camps were held in North Eastern States covering 3842 (69.41 %) males and 1693 (30.59 %) females totaling 5,535 beneficiaries in the year 2017-18 as against 61 no. of camps covering 2,848 (66.09%) males and 1,461 (33.91%) females beneficiaries totaling to 4,309 beneficiaries in the financial year 2016-17.

GLIMPSE OF ADIP-SSA CAMP PHOTOGRAPHS



Distribution camp conducted at Gaya (Bihar) where children were benefited on 20.11.2017



Distribution camp conducted at Medni Chauki Panchayath Munger Division where children were benefited on 01.12.2017



Distribution camp conducted at Lakhisarai (Bihar) where children were benefited on 30.11.2017



10. लिंग के अनुसार एडिप और एडिप-एस एस ए शिविर

कुल मिलाकर वर्ष 2017-18 में एलिम्को द्वारा एडिप और एडिप सर्व शिक्षा अभियान योजना के अन्तर्गत 1200 शिविरों में 1,43,016 (68.58 प्रतिशत) पुरुष, 65,497 (31.41 प्रतिशत) महिला तथा 13 किन्नर (0.01 प्रतिशत) कुल 2,08,526 लाभार्थियों के मुकाबले इस वर्ष 2016-17 में 1098 शिविरों द्वारा 166401 (68.30 प्रतिशत) पुरुष एवं 77188 (31.68 प्रतिशत) महिला तथा 34 किन्नर (0.01 प्रतिशत) लाभार्थियों को मिलाकर कुल 243623 लाभार्थियों को शामिल किया गया।

11. राष्ट्रीय व्योश्री योजना

2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार, भारत में वरिष्ठ की आबादी 10.38 करोड़ है। वरिष्ठ नागरिकों की 70% से अधिक आबादी देश के ग्रामीण इलाकों में रहती है। वरिष्ठ नागरिकों को एक बड़ा प्रतिशत (5.2) वृद्धावस्था से संबंधित किसी प्रकार की विकलांगता से पीड़ित है। अनुमानों से संकेत मिलता है कि बुजुर्ग आबादी की संख्या 2026 तक 173 मिलियन तक बढ़ जाएगी।

दिसम्बर 2016 में, भारत सरकार ने आयु से संबंधित विकलांगताओं / बीमारियों और बीपीएल श्रेणी से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों को शारीरिक सहायता और सहायक लिविंग डिवाइस प्रदान करने के लिए "राष्ट्रीय वायोश्री योजना" की एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) श्रेणी से 60 साल और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को गतिशीलता सहायता, श्रवण सहायता, दृश्य सहायता आदि जैसे निःशुल्क एड्स और सहायक लिविंग डिवाइस प्रदान करना है। बीमारियों के प्रकार के अनुसार विभिन्न प्रकार के सहायक उपकरण प्रदान किये जाते हैं जैसे व्हील चेयर, घूमना स्टिक, श्रवण सहायता, वॉकर, क्रश, चश्मा और कृत्रिम दांत। सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय, सरकार द्वारा एलिम्को को एकमात्र कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। भारत के विभिन्न जिलों/स्थान पर राष्ट्रीय वयोश्री योजना के निष्पादन के लिए।

सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय, सरकार द्वारा "राष्ट्रीय योजना के कार्यान्वयन के लिए कुल 187 जिलों को इंडेंटिफाई किया गया है। भारत की विभिन्न जिलों में कुल 26 वितरण शिविर 31 मार्च 2018 तक सफलतापूर्वक पूरा किए गए हैं, जिसमें कुल 66814 लाभार्थियों (उपकरणवार) को सहायता और सहायक लिविंग डिवाइस प्रदान किए गये हैं।

10. GENDERWISE ADIP AND ADIP SSA CAMP

ALIMCO has organized 1200 camps and covered 143016 (68.58%) males, 65497 (31.41%) females and 13 (0.01%) transgender beneficiaries' equipment-wise (total 208526 beneficiaries) under the ADIP as well as ADIP-SSA Scheme in 2017-18 as against 166401 (68.30%) males, 77,188 (31.68%) females and 34 (0.01%) transgender beneficiaries (total 243623 beneficiaries) covered in the financial year 2016-17 through 1098 camps.

11. RASHTRIYA VAYOSHRI YOJNA

As per the Census figures of 2011, the population of senior citizens in India is 10.38 crore. More than 70% of the population of senior citizens lives in rural areas of the country. A sizeable percentage (5.2%) of the senior citizens suffers from some sort of disabilities related to old age. Projections indicate that the number of elderly population will increase to around 173 million by 2026.

In Dec 2016, the Govt. of India commenced a new Central Sector Scheme, "Rashtriya Vayoshri Yojana" to provide Physical aids and Assisted Living Devices to senior citizens suffering from age related disabilities/ infirmities & belonging to BPL category. The objective of the scheme is to provide free of cost Aids & Assisted Living Devices like Mobility Aids, Hearing Aids, Visual Aids etc. to Senior Citizens of age 60 years and above from BPL (Below Poverty Line) category. According to the type of infirmity different kind of assistive devices are provided like Wheel chair, Walking stick, Hearing aids, walker, crutches, spectacles and artificial dentures. ALIMCO has been nominated as sole implementing agency by the Ministry of Social Justice & Empowerment, Govt. of India, for the execution of the Rashtriya Vayoshri Yojana at various districts / location across the country.

A total 187 districts have been identified for the implementation of "Rashtriya Vayoshri Yojana" by the Ministry of Social Justice & Empowerment, Govt. of India. The total 26 distributions camps at different districts have been successfully completed till 31st March 2018, wherein total 66814 beneficiaries (equipment wise) have been provided Aid & Assisted Living Devices.



12. द्विपक्षीय गतिविधियाँ

वर्ष 2017-18 के दौरान निगम द्वारा शून्य द्विपक्षीय समझौते के तहत इंडो-यूएस/यूके/स्वीडन/स्विस/जर्मनी से कुछ भी नहीं आयात किया। जबकि वर्ष 2016-2017 में 2.91 एमटी रिलीफ कार्गो का आयात किया गया।

12. BILATERAL ACTIVITIES

Corporation has cleared and handled Nil of relief cargo imported under Indo USA/UK/Sweden/Swiss/Germany Bilateral Agreement during the year 2017-18 as against 2.91MT cargo cleared and handled during the year 2017-18.

13. नये उत्पादों का विकास

(अ) केन वॉकिंग टेद्रापोड (टीडी 2 पी 02000)

यह अस्थि दिव्यांग तथा वरिष्ठ नागरिकों के लिए चलने में सहायक होती है।

13. NEW PRODUCTS DEVELOPMENT

(A) CANE WALKING TETRAPOD (TD 2 P 02000)

It is helpful for walking of orthopedically impaired person & Senior Citizen.



Overall Dimensions:-

Length fully withdrawn	680 ± 5mm
Length fully Extended	880 ± 5mm



(ब) केन वॉकिंग ट्राईपोड (टीडी 2 पी 04000)

यह अस्थि दिव्यांग तथा वरिष्ठ नागरिकों के लिए चलने में सहायक होती है।

(B) CANE WALKING TRIPOD (TD 2 P 04000)

It is helpful for walking of orthopedically impaired person & Senior Citizen.



Overall Dimensions:-

Length fully withdrawn $680 \pm 5\text{mm}$
Length fully Extended $880 \pm 5\text{mm}$

(स) वॉकर फॉल्डेबिल (हल्का वजन) (टीपी 1 पी 09000)

यह अस्थि दिव्यांगजनों तथा वरिष्ठ नागरिकों के लिए हल्के वजन का आरामदायक फॉल्डेबिल वॉकर होता है। यह एलुमिनियम की सामग्री से बना होता है जो हल्का व ले जाने में आसान होता है।

(C) WALKER FOLDABLE (LIGHT WEIGHT) (TP 1 P 09000)

It is light weight Walker Foldable and very comfortable for orthopedically impaired & senior citizen user. It is made up of Aluminium material which makes it light and foldable design provides ease of carrying.





14. आई.एस.ओ. 9001—2015 प्रमाणीकरण

निगम ने अपने गुणवत्ता प्रणाली दस्तावेजों को अद्यतन कर लिया था। निगम अपनी गुणवत्ता में सतत सुधार करने हेतु प्रतिबद्ध है। ऐलिम्को के गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली में संगठन के तत्वों जैसे व्यक्ति, कार्य वातावरण, संसाधन एवं अवसंरचना, ग्राहकों की आवश्यकता तथा सुरक्षा विषय को शामिल किया जाता है। ऐलिम्को का आईएसओ 9001: 2008 प्रमाणन जुलाई, 2018 तक वैध था। निगम ने अगले तीन वर्षों हेतु आवेदन कर दिया है। निगम ने 29.07.2017 से प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया था।

15. ऐलिम्को के उत्पादों पर आई. एस. आई. चिन्ह

हम गुणवत्ता कार्यक्रमों महत्वपूर्ण निवेश के जरिये अपने प्रिय ग्राहकों को प्रदायगी का हमारा कार्य सतत चल रहा है। हमने अनेक बाहरी बैचमार्क तथा प्रमाणन को अपना लिया है। निगम ने ऐलिम्को द्वारा विकसित तथा उत्पादित सर्जिकल जूते, ट्राईसाइकिल (बच्चा आकार) तथा मोटरीकृत व्हील चेअर के मामले में भारतीय मानक को तैयार करने हेतु भी अपना लिया है। भारतीय मानक ब्यूरो लखनऊ शाखा ने आई एस 16127 : 2013 के अनुसार कान के पीछे श्रवण सहायक डिजिटल हेतु आईएसआई चिन्हित लाइसेंस प्रदान किया है। अब, निगम के पास 17 श्रेणी के उत्पादों पर आई एस आई चिन्हित हेतु बीआईएस का लाइसेंस है तथा सभी लाइसेंसों की वर्षानुवर्ष समीक्षा की जाती है।

16. औद्योगिक सम्बन्ध

निगम में औद्योगिक सम्बन्धों का वातावरण अत्यन्त शान्त, स्वस्थ और सहज व सुचारू रहा है। निगम ने सहकारी भाव की संस्कृति को अपने प्रबन्धन में और जारी रखने को प्रोत्साहित किया है तथा सलाह लेने की प्रक्रिया से सम्बन्धों को सामान्यपूर्ण बनाने की पुरजोर कोशिश की है। वर्ष के दौरान निगम ने औद्योगिक सम्बन्ध की समस्या की कोई कमी नहीं होने के कारण से किसी भी एक व्यक्ति के समय को नष्ट नहीं किया है।

14. ISO 9001:2015 CERTIFICATION

The Corporation updated its Quality Management System Documents. The Corporation is committed to continuous improvement in its Quality. The Quality Management System of ALIMCO encompasses all the elements of the organization, including people, work environment, resources and infrastructure, customers' requirements, and safety issues. The Corporation had applied for certification of ISO 9001:2015 then the Corporation had received the certification with effect from 29.07.2017

15. ISI MARKING ON ALIMCO PRODUCTS

We continue our journey of delivery values to our esteemed clients through significant investment in quality programs. We have adopted several external benchmarks and certification. The Corporation has applied for formulation of Indian Standard in case of Surgical Boots, Tricycle (child size) and Motorized wheel Chair developed and produced by ALIMCO. Bureau of Indian Standards, Lucknow Branch office has granted ISI Marking License on Behind the Ear Hearing Aid-Digital as per IS: 16127:2013. The Corporation holds licenses by BIS for ISI marking on 17 categories of products and all licenses are renewed on year to year basis.

16. INDUSTRIAL RELATIONS

The Industrial relations scenario in the Corporation has been peaceful, harmonious and cordial. The Corporation continues to encourage participative culture in its management through consultative approach by establishing harmonious relations. The Corporation has not lost single man hour during the year due to any sort of Industrial Relation problem.



17. प्रबन्ध में कर्मचारियों की भागीदारी

प्रबन्धन में कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी को ध्यान में रखते हुए दो शॉप-स्तरीय तथा तीन प्लांट स्तरीय समितियाँ श्रमिकों एवं प्रबन्धन की बराबर-बराबर भागीदारी में गठित की गयी हैं जो निगम में क्रियाशील हैं। यह समितियाँ, विषय-वस्तु पर शासकीय दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यरत हैं।

18. कर्मचारियों हेतु कल्याण कार्य

अपने कर्मचारियों के कल्याण हेतु समुचित देखभाल के आशय से आपके निगम ने अनेकों कल्याणकारी कार्य अपने हाथ में लिये हैं जिसमें प्रबन्धन के साथ यूनियन पदाधिकारियों की बैठकें करना, 15 वर्ष 20 वर्ष 25 वर्ष 30 वर्ष एवं 35 वर्ष अनवरत् सेवाकाल के उपरान्त सेवा उपहार प्रदान करना और सुरक्षात्मक कपड़ों/वर्दी आदि का वितरण करना शामिल है।

19. औद्योगिक सम्बन्ध

आपके निगम द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के प्रत्याशियों की भर्ती के सम्बन्ध में भारत सरकार के द्वारा समयपर निर्गत निर्देशों का पूर्णरूप से अनुपालन किया जा रहा है। 31 मार्च, 2018 को कर्मचारियों की कुल संख्या 266 थी।

20. दिव्यांग कर्मचारी

एलिम्को विशेषरूप से 31 मार्च, 2018 को 17 दिव्यांग व्यक्तियों को रोजगार देकर एक आदर्श नियोक्ता के रूप में साबित हुआ है, जिनमें 02 बधिर दिव्यांग और 15 शारीरिक दिव्यांग हैं जो कि कुल कर्मचारियों की संख्या का 6.39 प्रतिशत है।

17. WORKERS' PARTICIPATION IN MANAGEMENT

With a view to have active participation of workmen in management, two Shop Level Committees and three Plant Level Committees with equal representations of workers and management are functioning in the Corporation.

18. WORKERS' WELFARE

Further, to look after employees' welfare, your Corporation has taken up series of welfare measures e.g. holding meetings of management with trade union office bearers, award of service gifts on completion of 15 years, 20 years, 25 years, 30 years and 35 years of service, and distribution of Protective Clothing/Uniform.

19. MANPOWER

The directives given by the Government of India from time to time with regard to the recruitment of SC, ST and OBC are being fully observed in your Corporation. There is no backlog in any of the category. Total Number of employees as on 31st March 2018 stood at 266.

20. DISABLED EMPLOYEES

ALIMCO as a model employer especially for the disabled, total number of Disabled employees as on 31st March 2018 stood at 17 disabled personnel out of whom 02 are hearing handicapped and 15 are orthopedically handicapped which today constitutes 6.39% of its total strength.



21. भूतपूर्व सैनिक

निगम ने भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती हेतु नीतिगत प्राविधान लागू है। आपकी कम्पनी में 31 मार्च, 2018 को 1 भूतपूर्व सैनिक कार्यरत हैं।

22. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पिछड़े वर्ग के कर्मचारीगण

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों के लिए भारत सरकार के आरक्षण निर्देशों के अनुपालन का निगम अधिकतम प्रयास करता है। इन वर्गों के लिए आरक्षित स्थान इन्हीं वर्गों से भरे जाते हैं।

23. अन्तर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस

निगम के विकास में विकलांगों द्वारा किए गए योगदान के लिए 03 दिसम्बर 2017 को आपके निगम ने "विकलांग व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस" मनाया। प्रबंधन ने अक्षम कर्मचारियों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सराहना की। निगम को उनकी सेवाओं की मान्यता में प्रबंधन द्वारा 17 अक्षम कर्मचारियों को मेमेंटोस वितरित किए गए थे।

21. EX-SERVICEMAN

As per the policy, due reservation for recruitment of Ex-servicemen exists. At present your Corporation has 01 Ex-servicemen on its rolls as on 31.03.2018.

22. WORKERS' PARTICIPATION IN MANAGEMENT

In accordance with Government of India's directives in the matter of reservation for Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes, the Corporation has been making sustained efforts to ensure that the posts of SC/ST/OBC are filled up by candidates belonging to respective category only.

23. INTERNATIONAL DAY FOR PERSONS WITH DISABILITIES

Your Corporation celebrated "International Day for Persons with Disabilities" on 03 December, 2017 in recognition of contribution being made by the disabled employees for their share in the growth of the Corporation. Management appreciated the disabled employees for their outstanding work. Mementos were distributed to 17 disabled employees by the management in recognition of their services to the Corporation.



24. राष्ट्रभाषा हिन्दी कार्यान्वयन

सरकारी भाषा अधिनियम 1963 के अनुसार और आधिकारिक भाषा गृह मंत्रालय भारत सरकार के क्रियान्वयन मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार नीति के प्रावधानों के अनुरूप एलिम्को ने निगम में राजभाषा हिन्दी का पत्र और आत्मा में कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है। प्रत्येक वर्ष के लिए वार्षिक कार्यक्रम गम्भीरतापूर्वक लागू किये जा रहे हैं। तिमाही हिन्दी की रिपोर्ट सम्बन्धित अधिकारियों को ऑनलाइन द्वारा समय पर भेजी जा रही है।

निगम के सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा सभाओं के द्वारा आधिकारिक भाषा का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। एक पूरी तौर से जीवंत और कार्यात्मक एलिम्को आधिकारिक भाषा समिति जो निगम के सभी विभागाध्यक्षों के एक सदस्य के रूप में उनके विभाग का प्रतिनिधित्व हमारे अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक की अध्यक्षता में गठित किया गया है। प्रत्येक तिमाही समिति की नियमित बैठकें आयोजित की जा रही हैं, जिसमें निगरानी और निगम में राजभाषा के प्रयोग की स्थिति का आंकलन हमारे अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक की अध्यक्षता के तहत किया जा रहा है।

विभिन्न पत्रों, कार्यालय आदेश, परिपत्र, निविदाएँ, विज्ञापन आदि द्विभाषी रूप में जारी किये गये हैं। सभी पत्रों को हिन्दी में स्वीकृत किया जाता है और उनका उत्तर हिन्दी में ही दिया जाता है। सभी नियमावली, प्रक्रियायें, विनियम द्विभाषी हैं। विभिन्न नीतियाँ भी हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में हैं। निगम की योजनाओं के बारे में सभी मुद्रित सामग्री भी हिन्दी और अंग्रेजी में प्रकाशित कर रहे हैं। सभी प्रारूप और स्टेशनरी द्विभाषी हैं।

24. OFFICIAL LANGUAGE (HINDI) IMPLEMENTATION

In consonance with the provisions of the policy of Official Language Act 1963, and as per directions of Official language Implementation Department of Ministry of Home Affairs, Govt. of India, ALIMCO is committed to the implementation of Rajbhasha Hindi in the Corporation in letter and spirit. The Annual Programme for every year is being implemented sincerely. The Quarterly Hindi Progress Reports are being sent to concerned authorities in time online.

All officers and employees of the Corporation are being encouraged for the use of Official Language through various Training programmes and seminars. A fully vibrant and functional ALIMCO official Language Committee has been constituted under the Chairmanship of our CMD, in which all the HODs of the Corporation represent their Department as a member of the Committee. The regular meetings of the Committee are being held every Quarter, wherein the monitoring and assessment of position of use of Official language in the Corporation is being done under the Chairmanship of CMD.

Various letters, office-orders, Circular, Tenders, Advertisements etc. are issued bilingually. All the letters received in Hindi are strictly replied in Hindi as per rules. All the Manuals, Procedures, Regulations are in bilingual. Various policies are also in Hindi and English both. All printed materials about the Schemes of the Corporation are also published in Hindi & English. All the Format and Stationary are bilingual.



25. मानव संसाधन एवं विकास

निगम अपने निपटान पर बौद्धिक पूंजी की गुणवत्ता हेतु अत्यधिक प्राथमिकता से जुड़ी है तथा विश्वास करती है कि उसके कर्मचारियों का ज्ञान तथा कौशल इसके कारपोरेट मिशन की उपलब्धियों हेतु कुंजी है। ऐलिमको ठोस भर्ती नीति तथा व्यापक प्रशिक्षण प्रणाली की धनी है। पिछले एक वर्ष के दौरान, आपकी निगम ने मानव संसाधन विकास पर ओर अधिक जोर दिया है। हम कौशल कार्यबल बनाने में पर्याप्त संसाधन लगा रहे हैं जो सदैव परिवर्तित कारोबार वातावरण द्वारा दिखाये गये मदों का मुकाबला करने तथा सदैव ग्राहक आधार वृद्धि की सेवा हेतु प्रस्तुत अवसरों का लाभ लेने के लिए सहज क्षमता रखती है।

निगम अनेक प्रशिक्षण तथा विकास गतिविधियाँ आयोजित कर रही हैं जो बृहदतर संगठनात्मक प्रयोजन की ओर कर्मचारियों को पुनः उन्मुखी बनाने के अलावा किसी कौशल अंतर तथा तकनीकी अवरोध को दूर करने पर भी ध्यान दे रही है। प्रशिक्षण पर प्रबंधन का दृष्टिकोण कर्मचारी के समग्र व्यक्तित्व का विकास करना है तथा व्यापक उत्पादक संसाधन बनाने में उनको समर्थ बनाना है।

26. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के कार्यान्वयन

आपके निगम ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को लागू किया है जो सामान्य नागरिकों को सूचना प्राप्त करने का अधिकार देता है ताकि उत्तरदायित्व का भाव व पारदर्शिता बनी रहे। कम्पनी ने सदैव यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के समस्त प्रावधान लागू हों। निगम के कार्यों के साथ-साथ इसके पदाधिकारियों आदि का विवरण निगम की वेबसाइट (www.alimco.in) पर रखा गया है। अधिनियम के तहत आवश्यक निर्देश तैयार किया गया है और इसे वेबसाइट पर डाल दिया गया है। अधिनियम के तहत निगम ने भी उप प्रबन्धक (MM) को अपील प्राधिकरण और वरिष्ठ प्रबंधक (कार्मिक एवं प्रशासन) को जन सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है।

25. HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

The Corporation attaches the highest priority to the quality of intellectual capital at its disposal and believes that knowledge and skill of its employees are the key to achievements of its corporate mission. ALIMCO has sound recruitment policy and comprehensive training system. During the past one year, your Corporation has laid greater emphasis on Human Resources Development. We have been devoting substantial resources on building a skilled workforce that has an innate capability to counter threats posed by ever changing business environment and to take advantages of opportunities presented to serve ever increasing customer base.

The Corporation has been conducting various training and development activities which apart from reorienting the employees towards the greater organizational purpose, are also focusing on eliminating any skill gap and technical obsolescence. The managements' view on training is one of development of employee's overall personality and enabling them in becoming a vital productive resource.

26. IMPLEMENTATION OF RTI ACT, 2005

Your Corporation has implemented Right to Information (RTI) Act, 2005, which empowers the common citizen by providing access to information with a view to maintain accountability and transparency. The Corporation has always endeavored to ensure that various provisions of the RTI Act, 2005 are implemented. Details of Corporation's functions alongwith its functionaries etc. have been placed on Corporation's website www.alimco.in. Manual as required under the Act have been prepared and uploaded on the website. The Corporation had nominated Deputy General Manager (MM) as Appellate Authority and Senior Manager (P&A) as Public Information Officer as required under the Act.



27. सतर्कता गतिविधियाँ

निगम के कार्यों में पारदर्शिता तथा जवाबदेही लाने हेतु कर्मचारियों में ईमानदारी की संस्कृति विकसित एवं प्रोन्नत करने हेतु निगम का अपना एक सतर्कता प्रकोष्ठ है जिसका मुखिया मुख्य सतर्कता अधिकारी है। सतर्कता की दृष्टि से निगम द्वारा सम्पादित महत्वपूर्ण गतिविधियाँ निम्नवत् हैं:-

- (क) निविदा की पारदर्शी पद्धति का समाचार पत्रों और एलिम्को की वेबसाइट पर प्रकाशन/निविदाकर्ता की उपस्थिति में निविदा का खोला जाना।
- (ख) संवेदनशील विभागों में आकस्मिक और नियमित सतर्कता की जांच
- (ग) मुख्यालय और सहायक इकाईयों में सुरक्षा संगठनों की स्थापना
- (घ) मुख्य द्वार, एलिम्को प्रोस्थेटिक एवं आर्थेटिक केन्द्र, वेयरहाउस, जलपानगृह तथा अन्य संवेदनशील स्थानों पर नियमित सतर्कता जांच।
- (ङ) विद्युत उपकरण विक्रेताओं/कार्य कराने वाले ठेकेदारों का भुगतान नियमित रूप से किया जाता है।
- (च) विक्रेताओं तथा ठेकेदारों के अधीन कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों का पूर्ण एवं सही मासिक भुगतान बैंक के द्वारा किया जा रहा है।
- (य) संवेदनशील पदों पर बड़े अधिकारिक कामकाज का नियमित आवर्तन

27. VIGILANCE ACTIVITIES

The Corporation has proper vigilance machinery headed by the Part time Chief Vigilance Officer to ensure transparency and accountability in its functioning besides promoting a culture of honesty among its employees. Some of the major activities undertaken by the Corporation in respect of vigilance are as under:

- (a) Transparent e-procurement Open Tender Procedure with publication of all the above in news papers as well as website of ALIMCO including opening of tender in the presence of tenderers.
- (b) Surprise and routine checks in the departments identified as sensitive.
- (c) The security set up at Headquarters as well as its Ancillary Units has been established appropriately.
- (d) Regular security checks are carried out at strategic places like Main Gate, APOC, Warehouse, Canteen and other important installations.
- (e) Electronic payment to Venders/Job Work Contractors are done regularly.
- (f) Monthly Salary payment to all the workers, working under vendors/Job Work Contractors, are being made through bank through RTGS to ensure full & correct payment.
- (g) Rotation of Official working in sensitive posts.





एलिम्को ने 30 अक्टूबर, 2017 से 04 नवंबर, 2017 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया था। 30.10.2017 को निगम के सभी कर्मचारियों ने ईमानदारी तथा पारदर्शिता से कार्य करने की शपथ ग्रहण की। उसी दिन ले० कर्नल श्री पी. के. दूबे (सेवानिवृत्त) ने सरस्वती देवी को फूलमाला पहनाकर तथा दीप प्रज्वलित करके समारोह का उद्घाटन किया था। निगम के सभी कर्मचारियों को संबोधित करते हुए, उन्होंने लगन, ईमानदारी तथा पारदर्शिता के साथ कार्य करने का आग्रह किया।

31 अक्टूबर, 2017 को निगम ने "भारत में भ्रष्टाचार है क्योंकि कार्यक्रमों में जनता का स्वामित्व नहीं होता है" विषय पर एक सेमिनार आयोजित की गई थी जिसमें निगम के कर्मचारियों ने भाग लिया था। 02.11.2017 को "ग्राहक की समस्याओं को संभालना" विषय पर आपस में चर्चा के लिए सेमिनार आयोजित की गई जिसमें ऐलिमकों के उत्पादों (दिव्यांगजन) के उपयोगकर्ताओं ने भाग लिया था तथा उन्होंने उत्पादों के बारे में प्रश्नता तथा संतोष व्यक्त किया तथा दिव्यांगजनों के लाभ के लिए ऐलिमकों द्वारा सेवा प्रदान की गई।

03.11.2017 को निगम ने "मेरी दृष्टि-भ्रष्टाचार मुक्त भारत" विषय पर सेमिनार आयोजित की गई थी जिसमें श्री अशोक कुमार, निदेशक, मुख्य सतर्कता आयोग को आमंत्रित किया गया था जिन्होंने इस विषय पर अपना भाषण दिया था। उन्होंने निगम कर्मचारियों को मूल्यवान सूझाव दिए। 03.11.2017 को आपूर्तिकर्ताओं तथा सेवाप्रदाताओं की समस्याओं का पता लगाने के लिए एक और सेमिनार आयोजित की गई थी। निगम को आपूर्ति करने तथा सेवा प्रदान करने वाले ने इसमें भाग लिया था तथा उन्होंने ऐलिमकों के प्रापण में अपनाई जा रही पारदर्शिता तथा ईमानदारी की प्रशंसा की थी। 13.11.2017 को श्री डी. आर. सरिन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने वादविवाद प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। इस कार्यक्रम में सभी विभाग अध्यक्षों को /संघों के प्रतिनिधियों तथा निगम के अन्य कर्मचारियों ने भाग लिया था।

ALIMCO celebrated Vigilance Awareness Week from 30th October to 04th November 2017. On 30th October, 2017, all the employees of the Corporation took pledge to work with honesty and transparency. On the same day Lt. Col P.K.Dube (Retd) along inaugurated the programme by garlanding Goddess Saraswati and lightened the lamp. In his address to all the employees of the Corporation, he insisted to work with sincerity, honesty and transparency.

On 31st October, 2017, a debate competition on the topic "Corruption in India is because there is no public ownership of programme" was organized in which employees of the Corporation participated. An interactive Seminar on "handling the Customers' Problems" was organized on 02.11.2017, in which users of ALIMCO products (Persons with Disabilities) participated and expressed happiness and satisfaction about products and services being provided by ALIMCO for the benefit of PwDs.

On 03.11.2017, a Seminar on "My Vision-Corruption Free India" was organized in the Corporation in which Shri Ashok Kumar Director Chief Vigilance Commission was invited to deliver a speech on "My Vision-Corruption Free India". He had delivered a very valuable lecture to employees of the Corporation. On 03.11.2017, same day a Seminar was also conducted to find out the problems of suppliers and service providers was organized. Many Corporation's vendor's material suppliers and service providers participated and appreciated the transparency and ethical practices at ALIMCO in procurement. On 13.11.2017, Shri D.R. Sarin, Chairman & Managing Director, presented awards to the 1st, 2nd & 3rd winners of debate competition. The programme was attended by all the Heads of the Departments, Representatives of the Unions, and other employees of the Corporation.



28. एलिम्को का आधुनिकरण

उत्पाद नवप्रवर्तन, गुणवत्ता तथा सहनियता में मानकों को स्थापित करके भारतीय दिव्यांगता क्षेत्र में विकास को बढ़ाना। एलिम्को के उन्नयन तथा आधुनिकीकरण की आवश्यकता न केवल ग्राहीयता बल्कि मुख्य धारा के भाग बनने हेतु इच्छुक हमारे दिव्यांग भाईयों की आवश्यकता को भी पूरा करता है तथा वह राष्ट्र के समग्र विकास की ओर अपना योगदान देता है। आधुनिकीकरण की परियोजना लागत (अनुमानित) 338.04 करोड़ रुपये है। अनुदान सहायता की प्रथम किस्त 18.09.2015 को प्राप्त हुई थी तथा परियोजना की गतिविधियां नवंबर, 2015 में प्रारंभ हुई थी।

दिनांक 08.04.2016 को परियोजना का कार्य करने हेतु टेंडर प्रक्रिया के जरिये, **मैसर्स इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली** (सीपीएसयू) को "सिविल परामर्शदाता" के रूप में लगाया है। इसमें आधुनिकीकृत तथा प्रौद्योगिकी रूप से एडवांस कार्य केंद्रों (लगभग सात कार्य केंद्र) संकल्पनी हेतु डिजाइन तथा कार्यलयों हेतु एवं एलिम्को कानपुर में अनुसंधान व विकास केंद्र आदि अन्य भवनों का निर्माण, उज्जैन में सहायक उत्पादन यूनिट का निर्माण तथा एलिम्को मुख्यालय, एसपीसीज, आरएमसीज तथा एओसीज आदि में अपेक्षित अन्य मरम्मत कार्य शामिल है।"

इसके बाद संयंत्र, मशीनरी तथा ऑटोमेशन प्रौद्योगिकी के लिए एलिम्को ने निविदा प्रक्रिया के तहत कार्य संविदा संख्या-पीटी/01/एयू/डब्ल्यूसी, तारीख 12.04.2016 को निगम ने डीपीआर में निहित वर्तमान कार्यशालाओं के आधुनिकीकरण तथा नयी कार्यशाला के सृजन हेतु प्रापण एवं उपकरण विकास कार्य योजना किये जाने के लिए कारखाना एवं मशीनों के विनिदिष्टकरण सहित वर्तमान कारखाना एवं मशीनरी ढांचे, डिजाइन तथा सहित वर्तमान कारखाना एवं मशीनरी ढांचे, डिजाइन तथा प्रयोजन/झा विस्तृत रोडमैप के गहन अध्ययन हेतु "औद्योगिक परामर्शदाता-कारखाना, मशीनरी एवं स्वचालित प्रौद्योगिकी" के रूप में मैसर्स तिरुपति इंजीनियर्स, सूरत को भी नियुक्त किया है।

वर्ष 2017-18 के दौरान, 32.79 करोड़ रुपये की परियोजना पूर्ण हो गयी थी अथवा पूर्ण होने की भिन्न स्थिति में थी।

28. MODERNIZATION OF ALIMCO

To lead the evolution of the Indian Disability sector by setting standards in product innovation, quality and affordability, The up gradation and modernization of ALIMCO had become inevitable not only for its sustainability but also to fulfil the need of our disabled brethren in the country aspiring to become part of the mainstream and contribute their bit towards overall growth of the nation. The Modernization estimated project cost is INR 338.04 crores. 1st instalment of Grant in aid was received on 18.09.2015 and project activities commenced in November'2015.

In order to execute the project, ALIMCO through its tendering process, signed MOU with **M/s Engineering Projects India Limited (EPIL), New Delhi** on Dtd- 08.04.2016 for "Conceptualization/ designing and construction of modernized and technologically advanced work centres (approximate seven work centres) and other building for offices and state-of-the-art research and development centre at ALIMCO Kanpur and construction of Auxiliary Production unit at Ujjain and other civil renovation works required at ALIMCO HQ, AAPCs, RMCs and AOC etc."

Subsequently, for Plant, machinery and Automation Technology, ALIMCO through its tendering process awarded Work Contract No- PT/01/AU/WC Dtd- 12.04.2016 to **M/s Tirupati Engineers, Surat** regarding "Engagement of Industrial Consultant-Plant, Machinery and Automation Technology for in-depth study of our existing plant & machinery set-up, design and propose / draw detailed road map including specifications of Plant & Machineries to be procured & devise elaborate action plan for the modernization of existing workshop and creation of new workshops as contained in the DPR & to monitor execution till successful completion of the Project".

During the year 2017-18, Project worth Rs.32.79 crores were completed/different stage of



मंत्रालय की ओर से 2017-18 के दौरान 5 करोड़ रुपये की आधुनिकीकरण हेतु अनुदान राशि दो किस्तों में प्राप्त हुई थी जिसमें से 2.5 करोड़ सितम्बर, 2017 में प्राप्त हुई थी तथा 2.5 करोड़ रूपया मार्च, 2018 में प्राप्त हुए थे। निगम अपने आंतरिक संसाधनों से वर्ष के दौरान अपने स्रोतों के अलावा उपयोग करता रहा था तथा वित्त वर्ष के अंत तक मात्र 27.79 करोड़ रुपये ही जुटा पाया था।

इसके आगे, विश्व स्तर पर प्रौद्योगिकीय उन्नति करने के लिए एलिम्को ने देश में वहनीय मूल्य पर दिव्यांगजनों हेतु नये जेनरेशन प्रोसथेटिस तथा आर्थोटिक उपकरणों के बड़ी मात्रा में निर्माण करने के लिए 20.5.2015 को मैसर्स ओटेबॉक हैल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को तकनीकी तथा परामर्शी सेवाएं तथा प्रौद्योगिक स्थानांतरण करार पर हस्ताक्षर किये। टीटीए की आवश्यकता के अनुसार, उच्च सूक्ष्मता सीएनसी मशीनों तथा आधुनिक अवसंरचना तथा प्रौद्योगिकीय रूप से उन्नत उपयोगताओं तथा सुविधाओं सहित सुसज्जित उच्च तकनीक प्रोसथेटिसिंस षाप एलिम्को कानपुर में स्थापित की गयी है। निगम के सिविल परामर्शदाता (पीएमसी) मैसर्स ईपीआईएल, नई दिल्ली (सीपीएसयू) द्वारा उच्च तकनीक प्रोसथेटिसिंस शॉप के सिविल तथा निर्माण कार्य पूरे किये गये थे। अपेक्षित मशीनों एवं उपकरणों का प्रापण निविदा प्रक्रिया के जरिये किया गया था तथा एलिम्को द्वारा अपेक्षित स्थान पर उन्हें संस्थापित किया गया और प्रारंभ किया गया है। 25.01.2018 को घुटने के नीचे प्रोसथेटिसिंस हेतु शुरुआती उत्पादन किया गया था। एलिम्को की आधुनिकीकरण योजना के तहत एक नवीन सहायक उत्पादन केंद्र का निर्माण उज्जैन में चल रहा है।

इसके अलावा, एलिम्को ने 21.12.2016 को मैसर्स मोटिवेशन चैरिटेबल ट्रस्ट, यू.के. के साथ डब्ल्यूएचओ व्हील चेअर्स के दो मॉडलों के लिए प्रौद्योगिकी स्थानांतरण करार (टीटीए) भी हस्ताक्षरित किया था। इससे माननीय प्रधानमंत्री के "मेक इन इंडिया" अभियान की दिशा में योगदान मिलेगा व्हीलचेअर्स के दो मॉडल :-

एक्टिव फोल्डिंग व्हील चेअर्स

रफ तराईन व्हील चेअर्स

ज्ञान, गुणवत्ता गारंटी पैरामिटर करार (क्यूजीपीए) प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी स्थानांतरण के अनुसार, एलिम्को तथा मैसर्स मोटिवेशन के बीच 21.08.2017 को दस्तावेज हस्ताक्षरित किए गए थे। मोटिवेशन शीघ्र ज्ञान का अंतरण करने वाला है। मोटिवेशन में व्हीलचेअर्स हेतु उत्पादन के लिए समय सीमा पूरा करने हेतु कुछ मशीनें निविदा प्रक्रिया के जरिए प्राप्त कर ली है तथा कुछ प्राप्त करने की और अग्रसर है। आधुनिकीकरण योजना के अधीन, मार्च, 2018 में

completion. The modernization grant of Rs. 5.00 crores was received from the Ministry during 2017-18 in 2 tranches. Rs.2.50 crores was received in September 2017 and balance Rs.2.50 crores was received in March 2018. The Corporation utilized full amount of Grant in Aid and remaining balance amount Rs. 27.79 crores has been financed from the internal accruals till 31st March 2018.

In accordance with the agreement with **M/s Ottobock Healthcare India Pvt. Ltd.** for "**Technical & Consultancy Service**" and "**Transfer of Technology (ToT)**" on Dtd-**20.05.2015** for mass manufacturing of new generation prosthetic and orthotic devices for Persons with Disabilities in the country at an affordable price, "High End Prosthesis Shop" equipped with high precision CNC machines and furnished with modern infrastructure and technologically advanced utilities and facilities has been established at ALIMCO, Kanpur. Inauguration of HEPS shop for full fledged production was done on 25.01.2018.

Moreover, Technology Transfer of Technology (TTA) agreement has also been signed with **M/s Motivation Charitable Trust U.K. and ALIMCO** on Dtd- **21.12.2016** for the two models of WHO Manual Wheelchairs. This will help in contributing towards the 'Make in India' drive of the Hon'ble Prime Minister. The two models of the Wheelchairs are:

Active Folding Wheelchairs.

Rough Terrain Wheelchairs.

As per the requirement of Technology Transfer Agreement to deliver the know-how, the Quality Guarantee Parameters Agreement (QGPA) document has been signed between ALIMCO & M/s Motivation on 21.08.2017. Motivation to start the transfer of Know-How shortly. To meet the timeline for production for Motivation wheel chairs, some machines have been procured through tendering process and some are in process to procurement. Under Modernization plan, construction of Auxiliary Production Centre at Ujjain got completed in March 2018.



29. निदेशक

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के आदेश संख्या 15-24/2005-डीडी, तारीख 31.07.2017 के अनुसरण में, डॉ० प्रबोध सेठ को 29.06.2017 से अगले आदेशों तक संयुक्त सचिव, श्री अवनीश कुमार अवस्थी के स्थान पर एलिम्को के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

30. सहायक कंपनी / सहयोगी कंपनी / संयुक्त उद्यम कंपनी

निगम की कोई सहायक, सहयोगी और संयुक्त उद्यम कंपनियां नहीं है अतः सहायक, सहयोगी और संयुक्त उद्यम कंपनियों की वित्तीय स्थिति के संबंध में जानकारी प्रस्तुत करने की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है।

31. वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद सामग्री परिवर्तन और प्रतिबद्धतायें

निगम की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाला कोई सामग्री परिवर्तन नहीं हुआ है न ही और प्रतिबद्धताओं इस रिपोर्ट की तारीख तक वित्तीय वर्ष 2017-18 के अंत से हुई। इसके अलावा, निगम के व्यापार की प्र.ति में कोई बदलाव नहीं किया गया था। तथा न कोई महत्वपूर्ण आदेश वित्त वर्ष के दौरान नियामक या अदालतों या अधिकरण द्वारा पारित किया गया है।

32. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अधीन किए गए ऋण, गारंटी या निवेश का विवरण।

निगम द्वारा ऐसे में कोई जानकारी कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 134 की उप-धारा (3) के खंड (छ) के प्रावधानों के संदर्भ में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक नहीं है के रूप में वित्तीय वर्ष के दौरान अन्य निकायों कॉर्पोरेट के लिए किसी भी ऋण और गारंटी नहीं दी है और न ही किसी में भी निवेश किया है।

29. DIRECTORS

Pursuant to Ministry of Social Justice and Empowerment Deptt. of Empowerment of Persons with Disabilities , Divyangjan Vide order 1 5-24/2005-DD, dated 31.07.2017, Dr. Prabodh Seth, had been appointed as Director on the Board of Directors of ALIMCO with effect from 29.06.2017 till further order in place of Shri Awanish Kumar Awasthi former Joint Secretary.

30. SUBSIDIARY COMPANY / ASSOCIATE / JOINT VENTURE

The Corporation has no Subsidiary, Associate and Joint Venture Companies as such the requirement of furnishing information relating to performance and financial position of the Subsidiary, Associate and Joint Venture Companies is not applicable.

31. MATERIAL CHANGES AND COMMITMENTS OCCURRING AFTER END OF THE FINANCIAL YEAR

No material changes and commitments affecting the financial position of the Corporation occurred from the end of the financial year 2017-18 till the date of this Report. Further, there was no change in the nature of business of the Corporation. No significant or material order has been passed by the Regulator or Courts or Tribunals during the financial year

32. PARTICULARS OF LOANS, GUARANTEES OR INVESTMENTS MADE UNDER SECTION 186 OF THE COMPANIES ACT, 2013

The Corporation has not made any investment, or given any Loans and Guarantees to other bodies/ corporate during the financial year As such no information is required to be furnished in terms of the provisions of Clause (g) of Sub-Section (3) of Section 134 of the Companies Act, 2013.



33. कर्मचारियों का विवरण

निगम के कर्मचारियों का पारश्रमिक निर्धारित उप नियम (2) कंपनियों के नियम 5 (प्रबंधकीय कर्मियों की नियुक्ति और वेतन) नियम, 2014 के सीमाओं, से अधिक नहीं है अतः अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

34. ऊर्जा संरक्षण, तकनीकी ग्राह्यता एवं विदेशी मुद्रा का अर्जन और व्यय

ऊर्जा संरक्षण के लिए हमारी निगम ने प्रमुख जोर दिया है। ऊर्जा लागत अनुकूलन करने के लिए कम्पनी ने निर्माण कार्य के दौरान उचित ऊर्जा के संरक्षण के लिए प्रयत्न किया, ऊर्जा संरक्षण तकनीकी समावेश से संबंधित विवरण तथा विदेशी आय एवं व्यय सम्बन्धी विवरण, निगम अधिनियम 2013 की धारा 134 (3) (एम) के साथ, कंपनियों (लेखा) नियम 2014 से सम्बन्धित आवश्यक सूचना इस रिपोर्ट के संलग्नक-1 है।

35. जमा

कंपनी द्वारा न ही कोई जमा स्वीकार किया है और न ही आलोच्य वर्ष के दौरान किसी सार्वजनिक जमा राशि का नवीकरण किया है।

36. आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण

पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण किया गया है। तीसरा पक्ष के आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा वित्तीय विवरणियों तथा आंतरिक नियंत्रणों का विधिवत रूप से परीक्षा किया गया है। निगम तीसरे पक्ष के स्टॉक लेखा परीक्षकों द्वारा स्टॉक का लेखा परीक्षा कराने तथा निगम की सभी यूनिटों हेतु स्वतंत्र स्टॉक लेखा परीक्षा रिपोर्टों के आधार पर गैर-संचलन तथा धीमी गति से संचलित वस्तुओं के आवश्यक प्रावधानों के साथ-साथ अंतिम सूची की सतत नीति का अनुसरण करता है। आंतरिक नियंत्रण से डिजाइन अथवा प्रचालन में सामग्री की खराबी नहीं पाई गयी है।

33. PARTICULARS OF EMPLOYEES

As none of the employees of the Corporation was in receipt of remuneration in excess of the limits prescribed sub-Rule (2) of Rule 5 of Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014, the requisite information being inapplicable is not required to be furnished.

34. CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION AND FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUTGO

Energy conservation continues to be an area of major emphasis in our Corporation. Efforts are made to optimize the energy cost while carrying out the manufacturing operations. The details relating to Conservation of Energy, Technology Absorption, Foreign Exchange earnings and outgo as per Section 134(3)(m) of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Accounts) Rules, 2014 are annexed hereto and form part of this Report as **Annexure - I.**

35. DEPOSITS

The Corporation has neither accepted nor renewed any public deposits during the year under review.

36. INTERNAL FINANCIAL CONTROLS

Adequate internal financial controls are in place. The financial Statement and other internal controls are duly audited upon by the third party internal Auditors. The corporation follows a consistent policy of getting the stocks audited by third party stock auditors and final inventory along with necessary provisions for Non-moving and slow moving items are done based on independent stock Audit reports for all the Units of the Corporation. No. reportable material weakness in design or operation of internal controls has been observed.



37. निदेशक के उत्तरदायित्व सम्बन्धी विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013, की धारा 134 (5) के सन्दर्भ में 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के संबंध में है निगम के निदेशक द्वारा प्रमाणित करते हैं:-

- (क) वार्षिक लेखों को बनाने में लागू लेखा सम्बन्धी मानकों का महत्वपूर्ण विचलनों के लिए उचित स्पष्टीकरण सहित अनुसरण किया गया है।
- (ख) निदेशकों ने लेखा सम्बन्धी उन नीतियों को चुना है और निरन्तर लागू किया है एवं ऐसे निर्णय व अनुमान किये हैं जो वित्तीय वर्ष के अन्त में कम्पनी के क्रिया-कलापों तथा उसअवधि के लिए कम्पनी के लाभ व हानि का सत्य एवं स्पष्ट दृश्य प्रस्तुत करने के लिए उचित तथा विवेकपूर्ण है।
- (ग) निदेशकों ने कम्पनी की परिसम्पत्तियों की रक्षा के लिए तथा धोखाधड़ी व अन्य अव्यवस्थाओं को रोकने व पता लगाने के लिए कम्पनी अधिनियम के नियमानुसार पर्याप्त लेखा सम्बन्धी रिकार्ड बनाने के लिए उचित व पर्याप्त सावधानी बरती है।
- (घ) निदेशकों ने वार्षिक लेखे "सतत् क्रियाशील" अवधारणा के आधार पर बनाये हैं।
- (ङ) निदेशक द्वारा कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की प्रक्रिया को अपनाया और इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए पर्याप्त और प्रभावी ढंग से काम किया।
- च) निदेशक सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की थी और इस तरह के सिस्टम पर्याप्त और प्रभावी ढंग से काम किया।

38. वार्षिक रिटर्न का उद्घरण

निगम अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) के अनुसार तथा आवश्यक और कंपनियों (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014, के नियम 12 (1) के अनुरूप इस वार्षिक रिपोर्ट के साथ वार्षिक रिटर्न एम.जी.टी-9 निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

37. DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

In terms of Section 134 (5) of the Companies Act, 2013, the Directors of the Corporation state in respect of the year ended 31st March 2018, that:-

- (a) In the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departures.
- (b) The Directors have selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that were reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Corporation at the end of the financial year and of the profit of the Corporation for that period.
- (c) The Directors have taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of this Act for safeguarding the assets of the Corporation and for preventing and detecting fraud and other irregularities.
- (d) The Directors have prepared the annual accounts on a going concern basis.
- (e) The Directors had laid down internal financial controls to be followed by the Corporation and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively.
- (f) The Directors had devised proper system to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such system were adequate and operating effectively.

38. EXTRACT OF ANNUAL RETURN

As required pursuant to section 92(3) of the Corporation Act, 2013 and rule 12(1) of the Companies (Management and Administration) Rule, 2014, an extract of annual return in MGT-9 has been put on the Corporation's website www.alimco.in



39. निदेशक मण्डल की सभाएं

निदेशक मण्डल की 05 सभाएं इस वित्तीय वर्ष में हुई हैं। जोकि कॉर्पोरेट गवर्नर की रिपोर्ट में दर्शायी गयी है। जोकि इस वार्षिक प्रतिवेदन का एक भाग है। कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुपालन में निदेशक मण्डल की सभाओं के अवधि के मध्य के समय को ध्यान में रखा गया है।

40. कार्यस्थल (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के तहत कंपनी का दायित्व

निगम अपने कर्मचारियों को सुरक्षित और अनुकूल कार्य वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। कम्पनी की एक आंतरिक शिकायत समिति है जहाँ महिला कर्मचारी यौन उत्पीड़न के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कार्यस्थल (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के अनुसार 02 मामले दर्ज किये गये थे।

41. निगम में सामाजिक कर्तव्यों के अन्तर्गत उत्तरदायित्व

एलिम्को एक अलाभकारी कम्पनी है जोकि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 (पूर्व कं अधि. 1956 की धारा 25) में पंजीकृत है एवं यह एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, इसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है तथा यह विकलांगजन की सेवा में लगी हुई है। एलिम्को आय एवं व्यय विवरण बनाता है तथा व्यय पर आय का आधिक्य जिसे अधिशेष कहा जाता है, उसको कम्पनी के उद्देश्यों के पूर्ति में खर्च किया जाता है।

एलिम्को ने कंपनिज एक्ट, 2013 की धारा-135 के प्रावधानों के अनुपालन में बोर्ड की "कारपोरेट सामाजिक दायित्व" समिति का गठन किया है। 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार, बोर्ड की सीएसआर समिति में तीन सदस्य है जिनके नाम हैं- श्री प्रबोध सेठ अध्यक्ष, श्री डी. आर.सरीन सदस्य तथा श्रीमती टीसीए कल्याणी, सदस्य है।

निगम ने "कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति" (सीएसआर नीति) की रचना की और कार्यान्वित की हैं जिसमें निगम ने दिशा-निर्देश तथा पूरा किये जाने हेतु

39. MEETING OF THE BOARD

The Board of Directors met 05 times during the financial year the details of which are given in the Corporate Governance report that forms part of this Annual Report. The intervening gap between the meetings was within the period prescribed under the Companies Act, 2013.

40. OBLIGATION OF COMPANY UNDER THE SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN AT WORKPLACE (PREVENTION, PROHIBITION AND REDRESSAL) ACT, 2013

The Corporation is committed to provide a safe and conducive work environment to its employees. The company has an Internal Complaint Committee where women employees can register their complaints against sexual harassment.

41. ACTIVITIES UNDER CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

ALIMCO is a "not for profit" Corporation registered under Section 8 of the Companies Act 2013[erstwhile Section 25 of the Companies Act, 1956] and working for noble cause of serving Persons with Disabilities. ALIMCO prepares statement of Income and Expenditure Accounts and any excess of income over expenditure i.e Surplus is to be utilized for fulfillment of the Corporation's objectives.

ALIMCO has constituted 'Corporate Social Responsibility' Committee of the Board in compliance with the provisions of Section 135 of the Companies Act, 2013. As on 31st March, 2018, CSR Committee of the Board comprised of three member(s) namely; Dr. Prabodh Seth as Chairman, Shri D.R Sarin as a Member and Ms.T.C.A Kalyani as Member.

The Corporation has framed and implemented 'Corporate Social Responsibility Policy' (CSR Policy) which lays down the guidelines and the activities to be undertaken by the Corporation and



क्रियाकलापों को निर्धारित किया गया है तथा उन्हें निगम की वेबसाइट www.alimco.in पर डाल दिया गया है। 23.01.2018 को आयोजित बोर्ड की 172वीं बैठक में एलिम्को के निदेशक मण्डल ने सीएसआर फंड का अनुमोदन किया है जो निगम की सीएसआर गतिविधियों को पूरा करने हेतु उपयुक्त पार्टियों की पहचान न होने के कारण, वित्त वर्ष 2018 तक 169.88 लाख रु० की राशि खर्च न हो सकी जिसे भारत सरकार द्वारा स्वच्छता के प्रसार तथा स्वच्छ जल उपलब्ध कराने के लिए "स्वच्छ भारत को" में अंशदान कर दिया जाएगा।

एलिम्को अनेक कंपनियों हेतु सीएसआर कार्यान्वयन साझेदार के रूप में भी दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण में उनकी सीएसआर परियोजनाओं के भाग के रूप में कार्य कर रहा है। निगम ने पहल की है तथा दिव्यांगजनों को यंत्रों तथा सहायक उपकरणों के मूल्यांकन तथा वितरण हेतु एलिम्को के जरिये उनकी सीएसआर क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए सभी लाभ अर्जित करने वाली सीपीएसयू से संपर्क करना प्रारंभ कर दिया है। हमारे निगम ने अनेक सीपीएसयूज से अपने को साझा किया है। जिनमें गेल (इंडिया) लिमिटेड, नेशनल फर्टीलाइजर्स लिमिटेड सेन्ट्रल फरलफील्डस लिमिटेड साउथ कोल फील्डस इंडिया लिमिटेड इस्टर्स कोलफील्डस इंडिया लिमिटेड एआरपोर्ट अथोरिटी ऑफ इंडिया नार्थन करेल फील्डस लिमिटेड रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन, इंडियन, रेलवे फाइनैस कारपोरेशन पावर फाइनैस कारपोरेशन, बैंक ऑफ इंडिया, इंजीनिअर्स इंडिया लिमिटेड पावरग्रिड कारपोरेशन लिमिटेड आदि शामिल है। वर्ष के दौरान, निगम ने 55 सीएसआर शिविरों आयोजित किये हैं तथा अपने सीएसआर कार्यक्रम के तहत पूरे भारत वर्ष में 14960 लाभार्थियों को यंत्रों तथा सहायक उपकरण वितरित किये हैं।

the same has been put on the Corporation's website www.alimco.in. The Board of Directors of ALIMCO in its 172nd Board Meeting held on 23.01.2018 has approved the CSR fund of the Corporation which remained unspent amounting to Rs. 169.88 Lakhs upto the Financial Year 2017-18 due to non-identification of suitable parties to undertake CSR activities of the Corporation shall be contributed to the 'Swachh Bharat Kosh' set-up by the Central Government for the promotion of sanitation and making available safe drinking water. A report on CSR activities for financial year 2017-18 is annexed herewith as "Annexure II".

ALIMCO is also working as a CSR Implementation Partner for many Companies in empowering the Divyangjan as part of their CSR Projects. The Corporation has taken initiative and has started approaching all profit making CPSUs to take up their CSR obligation through ALIMCO for Assessment and Distribution of Aids and Assistive Devices to Divyangjan. Our Corporation has joined hand with many CPSUs including GAIL (India) Ltd, National Fertilizers Ltd, Central Coalfields Ltd, South Eastern Coalfields Ltd, Eastern Coalfields Ltd, Airport Authority of India, Northern Coalfields Ltd, Rural Electrification Corporation, Indian Railway Finance Corporation, Power Finance Corporation, Bank of India, Engineers India Ltd, Power Grid Corporation etc. during the year Corporation has conduct 55 CSR camps and have distributed Aids & Assistive devices to 14960 beneficiaries throughout India under their CSR programme.



Signing of MoU between Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India and Airports Authority of India for 100 Cochlear Implant Surgeries under CSR initiative of Airports Authority of India on 04th September 2017.



Press Meet organised by Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India on successful completion of Cochlear Implant Surgeries under CSR initiative of Airports Authority of India at AAI-HQ, New Delhi on 14th December 2017.



Press Meet organised by Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India on successful completion of Cochlear Implant Surgeries under CSR initiative of Power Finance Corporation Ltd. at The Ambassador Hotel, Mumbai on 16th December 2017.

42. वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए संवैधानिक सम्परीक्षक

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक एवं नियंत्रक के द्वारा मेसर्स प्रकाश एवं संतोष, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स, कानपुर को निगम के संवैधानिक लेखा परीक्षा हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिये नियुक्त किया गया था। आपका निदेशक मण्डल उनके परामर्श, मूल्यवान सेवाओं, सहायता और सहयोग तथा वार्षिक लेखा-जोखा के समय पर पूरा करने के लिए उनको धन्यवाद देता है। कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की गयी टिप्पणी को संलग्नक-III में रखा गया है।

42. STATUTORY AUDITORS FOR THE FINANCIAL YEAR 2017-18

M/s. Prakash & Santosh Chartered Accountants, were appointed as Statutory Auditors of the Corporation for the Financial Year 2017-18 by Comptroller & Auditor General of India. Your Board of Directors acknowledges their guidance and valuable services, help and co-operation and for the timely completion of Annual Accounts. The comments of the Comptroller and Auditor General of India under the section 143(6) (b) of the Companies Act, 2013 are placed at **Annexure- III**.



43. सचिवालयीन लेखा-परीक्षा रिपोर्ट तथा सचिवालयीन लेखा-परीक्षकों की टिप्पणियों का उत्तर

निगमज अधिनियम, 2013 की धारा 204 के प्रावधानों तथा निगमज (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक निगम) नियमावली, 2014 के प्रावधानों के अनुपालन में ने वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु निगम के सचिवालयीन लेखा-परीक्षा करने के लिए मैसर्स रागिनी चौखसी एंड कम्पनी को नियुक्त किया है। सचिवालयीन लेखा-परीक्षकों की टिप्पणियों पर उत्तर के साथ सचिवालयीन लेखा परीक्षा रिपोर्ट "अनुलग्नक IV" पर संलग्न है।

44. निगमित अभिशासन

आपके निगम के निदेशक मण्डल निगम के मामलों की अखण्डता के सम्बन्ध में पारदर्शिता, जवाबदेही और ईमानदारी में विश्वास रखते हैं। लोक उद्यम विभाग (डीपी. ई) ने सामूहिक शासन पर संशोधित दिशा-निर्देश कार्यालय ज्ञापन सं. 18 (8)/2005 जी एम दिनांक 14 मई, 2010 को जारी किया था। 23 जनवरी, 2014 को निगम के बोर्ड के निदेशकों की 144वीं बैठक हुई थी। जिसमें निगमित शासन के दिशा-निर्देशों को निगम में कार्यान्वयन के लिए संकल्प लिया गया है। आपके निगम ने डी.पी.ई. द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देशों के विभिन्न पहलुओं के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है। निगमित अभिशासन के उच्चतम स्तर को बनाये हुए है।

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट (संलग्नक-V) निगमित शासन पर प्रतिवेदन (संलग्नक-VI) एवं पेशे में संलग्न कम्पनी सचिव द्वारा प्राप्त प्रमाण पत्र (संलग्नक-VII) इस प्रतिवेदन के साथ संलग्न है। निगमित अभिशासन की त्रैमासिक एवं वार्षिक रिपोर्ट सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, को निर्धारित प्रपत्र में अग्रसारित की जाती है।

43. SECRETARIAL AUDIT REPORT AND REPLY TO THE COMMENTS OF SECRETARIAL AUDITORS

Pursuant to the provisions of Section 204 of the Companies Act, 2013 and The Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014, the Corporation has appointed M/s Ragini chokshi & Co. for the financial year 2017-18 to undertake the Secretarial Audit of the Corporation. The Secretarial Audit Report along with reply to the comments, if any of the Secretarial Auditors is annexed herewith as "Annexure IV".

44. CORPORATE GOVERNANCE

The Board of Directors of your Corporation believes in transparency, accountability and integrity in respect of affairs of the Corporation. Department of Public Enterprises (DPE) has come out with revised Guidelines on Corporate Governance vide Office Memorandum No. 18(8)/2005-GM dated 14 May, 2010. A resolution has been passed in 144th meeting of Board of Directors of the Corporation held on 23rd January, 2014 adopting Guidelines of Corporate Governance for implementation in the Corporation. Your Corporation is in process of implementing various aspects of the said Guidelines. The Corporation has been maintaining the highest level of standards of Corporate Governance.

The Management Discussion & Analysis Report (Annexure-V), Report on Corporate Governance (Annexure-VI) along with Certificate on compliance of conditions on Corporate Governance from Practicing Company Secretary (Annexure-VII) as required under the said guidelines is attached to this report. Quarterly and yearly compliance reports on Corporate Governance are being forwarded to Department of Empowerment of Persons with Disabilities, Divyangjan Ministry of Social Justice & Empowerment in the prescribed format.



45. आभार

आपका निदेशक मण्डल भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा प्रदत्त मूल्यवान सहयोग के लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता है।

आपका निदेशक मण्डल इस अवसर पर अपने सम्मानित ग्राहकों, बैंकरों, आपूर्तिकर्ताओं, संविदाकारों, एवं सहयोगी संस्थाओं, अभिकर्ता तथा अन्य के प्रति भी उनके द्वारा जताए गए भरोसे और विश्वास के प्रति आभार प्रकट करता है।

आपका निदेशक मण्डल एलिम्को परिवार के सदस्यों द्वारा प्रदान की गई अविश्वसनीय सेवाओं के लिये उनकी सराहना करता है।

निदेशक मण्डल के लिए और उनकी ओर से

ह0 / -

डी. आर. सरीन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

45. ACKNOWLEDGEMENTS

Your Board of Directors also acknowledges the valuable co-operation and support extended by the entire staff & officers of Department of Empowerment of Persons with Disabilities Divyangjan, Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India.

Your Board of Directors also takes this opportunity to express their gratitude to their esteemed customers, CSR Partners, bankers, suppliers, contractors, fabricating agencies, event managers, dealers and other associates for their trust and confidence in the Corporation and its activities.

Last but not the least your Board of Directors places on record their appreciation for the services rendered by the ALIMCO family members towards the incredible performance of their Corporation.

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-

D. R. SARIN
Chairman & Managing Director



संलग्नक-1

ऊर्जा संरक्षण, तकनीकी ग्राह्यता एवं विदेशी मुद्रा का अर्जन और व्यय

(क) ऊर्जा संरक्षण

- (i) ऊर्जा संरक्षण के लिए किये गये उपाय :-
एलिम्को द्वारा अतिरिक्त ऊर्जा के लिए सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की कार्रवाई शुरू कर दी है।
- (ii) ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग के लिए कंपनी द्वारा उठाए गए कदम:-
एलिम्को ने स्ट्रीट लाइट के लिए और दूसरे चरण में अपने कार्यालय की इमारत के लिए सौर ऊर्जा स्थापित करने की प्रक्रिया की शुरू की है।
- (iii) ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूंजी निवेश:-
वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान कोई पूंजी निवेश ऊर्जा संरक्षण पर नहीं किया।

(ख) प्रौद्योगिकी ग्राह्यता

- (i) प्रौद्योगिकी ग्राह्यता हेतु निम्नलिखित प्रयास किये गये:-
- (क) नयी व्हील चेअर्स के विकास हेतु मैसर्स मोटिवेशन यू.के. के साथ प्रौद्योगिकी स्थानांतरण करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं।
- (ख) मैसर्स औटोबाक जर्मनी के साथ हुए प्रौद्योगिकी स्थानांतरण करार के अनुसार एलिम्को में उच्च तकनीकी के प्रोस्थेसिस घटकों के निर्माण के लिए नवीन उत्पाद कारखाना आधुनिक मशीनों के साथ स्थापित किया गया है।
- (ii) उत्पाद सुधार, लागत में कमी, उत्पाद विकास अथवा आयात विकल्प जैसे लाभ हुए
- (क) घुटने के प्रोस्थेसिस के नीचे वाले एलिम्कों के उत्पाद में सुधार हुआ।
- (ख) अब एलिम्को उत्पादों में घुटने से ऊपर प्रोस्थेसिस के उच्च तकनीक उपलब्ध है।
- (ग) आयातित वैकल्पिक व्हीलचेअर्स एलिम्कों के उत्पादों में उपलब्ध होगी।

ANNEXURE-1

CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION AND FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUTGO :

(A) CONSERVATION OF ENERGY

- (i) The steps taken or impact on conservation of energy :
ALIMCO has initiated the action of installing roof top solar power plant as an additional energy proposed to be used for the plant.
- (ii) The steps taken by the company for utilizing alternate sources of energy :
ALIMCO is also initiating the process of installing solar energy for street light & also for its office building in second phase.
- (iii) The Capital investment on energy conservation equipments :
There is no capital investment on energy conservation equipment was made during the financial year 2017-18.

(B) TECHNOLOGY ABSORPTION

- (i) The efforts made towards technology absorptions:-
Following efforts are made towards Technology absorption:-
- (a) Transfer of Technology agreement has been signed with M/s Motivation U K for development of new type of Wheel Chair.
- (b) New Production Plant with modern machines has been established for Manufacturing of High End Prosthesis components at ALIMCO Kanpur as per Transfer of Technology agreement with M/s Otto Bock Germany.
- (ii) The benefit derived like product improvement, cost reduction, product development or import substitution:-
- (a) Improved Below Knee prosthesis is in ALIMCO's product range.
- (b) High End Above Knee prosthesis is now available in ALIMCO's product range.
- (c) Import Substitute Wheel Chair will be available in ALIMCO's product range.



- (iii) आयातित प्रौद्योगिकी के मामले में (पिछले तीन वर्ष के दौरान किया गया आयात)
- (क) प्रौद्योगिकी के आयात का विवरण – ओटोबॉक जर्मनी से घुटने के नीचे तथा ऊपर की प्रोस्थेसिस किट एक्टिव व्हीलचेयर्स तथा रफ तराईन व्हीलचेयर्स का मैसर्स मोटिवेशन से डिजाइन/ड्राइंग।
- (ख) आयात का वर्ष – 2015–16 से 2017–18
- (ग) प्रौद्योगिकी का शोधन – आंशिक रूप से ग्राह्य।

- (iii) In case of imported technology (imported during the last three year reckoned from the financial years: -
- (a) The details of technology imported - Above Knee & Below Knee Prosthesis kit from Otto bock, Germany
Design/Drawing of Active folding Wheel chair and rough Terrain Wheel Chair received from M/s Motivation
- (b) The year of import - 2015-2016 to 2017-2018
- (c) Whether the technology been fully absorbed - Partially absorbed

(ग) विदेशी मुद्रा का अर्जन एवं व्यय

- (i) निर्यात सम्बन्धी क्रियाकलाप: इस विषय को निदेशकों की रिपोर्ट में देखा जा सकता है।
- (ii) कुल विदेशी मुद्रा का उपयोग एवं अर्जन इसे वित्तीय विवरणी में देखा जा सकता है।

(C) FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUTGO

- (i) Activities relating to export : This aspect has been referred in Directors' Report
- (ii) Total foreign exchange used and earned : This aspect has been referred in the Financial statements



सी एस आर गतिविधियों पर रिपोर्ट

(कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा, 134 (3) तथा कम्पनी (कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) नियमावली, 2013 के नियम-9 हेतु अनुसरण)

- निगम की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा, इसमें किये जाने के लिए प्रस्तावित परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों का सिंहावलोकन तथा सीएसआर नीति परियोजनाएं अथवा कार्य से वेब संबंधी हेतु संदर्भ 30.3.2016 को आयोजित 160वीं बोर्ड की बैठक में निगम के बोर्ड ने कारपोरेट "सामाजिक उत्तरदायित्व नीति" को अनुमोदित कर दिया था।
1 अप्रैल, 2015 से डीपीई दिशा निर्देश तथा उसके तहत कंपनीज (कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियमावली, 2014 के साथ पठित निगमज एक्ट, 2013 के प्रावधानों की तर्ज पर निगम का "कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व तथा ग्राह्यता नीति" (सीएसआर नीति) बनायी गयी थी। नीति में परामर्शी सिद्धांत निर्धारित किये जाते हैं जोकि निगम की सीएसआर परियोजनाओं/कार्यक्रम/क्रियाकलापों हेतु लागू होगी। नीति के अनुसार निगम द्वारा पूरे किये जाने हेतु सीएसआर कार्यक्रमों अथवा परियोजनाएँ, वर्तमान में अथवा समय-समय पर संशोधित, निगमज एक्ट, 2013 की अनुसूची-VII सूचीबद्ध एक अथवा अधिक क्रियाकलापों से संबंधित होगी। निगम की कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
- 31 मार्च 2018 तक सीएसआर कमेटी में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं-
 - श्री प्रबोध सेठ — अध्यक्ष
संयुक्त सचिव, दिव्यांगजन सशाक्तिकरण विभाग
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय तथा निदेशक, एलिम्को
 - श्री डी. आर. सरीन, — सदस्य
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एलिम्को
 - श्रीमती टी.सी.ए. कल्याणी — सदस्य
संयुक्त सचिव, दिव्यांगजन सशाक्तिकरण विभाग
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय तथा निदेशक, एलिम्को
- पिछले 3 वित्तीय वर्षों हेतु निगम का औसत शुद्ध लाभ 4453.08 लाख रुपये है।
- निर्धारित सीएसआर व्यय (जैसाकि मद संख्या 3 में दर्शायी गयी राशि का 2 प्रतिशत) 89.06 लाख रुपये।
- वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च सीएसआर का विवरण
 - वित्त वर्ष हेतु व्यय हेतु कुल राशि – 219.26 लाख रुपये (इसमें पूर्व वर्ष में खर्च न हुए रुपये भी शामिल हैं)
 - खर्च न हुई राशि, यदि कोई हो – 19.98 लाख रुपये
 - वित्त वर्ष के दौरान खर्च की गयी राशि के ढंग का विवरण निम्नानुसार है।

क्र.सं.	सीएसआर परियोजना अथवा पहचानी गयी गतिविधि	वह क्षेत्र जिसके तहत परियोजना कवर होती है	परियोजनाएं अथवा कार्यक्रम (1)स्थानीय क्षेत्र अथवा अन्य (2) राज्य एवं जिला विनिर्दिष्ट करें जहां परियोजनाएं अथवा कार्यक्रम थे	परियोजना अथवा कार्यक्रमवार राशि परिव्यय (बजट)	परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर खर्च राशि उप-शीर्ष (1) परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष व्यय	रिपोर्ट तैयार किये जान तक संचयी व्यय	राशि खर्च की गयी प्रत्यक्ष अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के जरिये
1	प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल शिविर को आयोजित करने तथा कानपुर एवं निगम केएएपीसी/आस-पास के क्षेत्रों सहित आस-पास के क्षेत्रों में सोलर लाल्टेन के वितरण के लिए	स्वास्थ्य तथा पर्यावरणीय बनाये रखने को बढ़ावा देना।	शून्य	45.00	29.40	शून्य	कार्यान्वयन एजेंसी – लाइफ केयर लिमिटेड (एचएलएल)



2	दिव्यांग खिलाड़ियों जो राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाग ले रहे हैं तथा कानपुर एवं निगम के एएपीसी/आरएमसी के आस-पास के क्षेत्रों सहित आस-पास के क्षेत्रों में कौशल विकास कार्यक्रम को बढ़ाने हेतु प्रावधान	खिलाड़ियों को बढ़ावा देना तथा व्यवसायिक कौशल को बढ़ाना	शून्य	169.88	169.88	शून्य	केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित "स्वच्छ भारत कोष" में प्रत्यक्ष योगदान।
	कुल				199.28		

6. यदि निगम पिछले तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ के 2 प्रतिशत अथवा उसके किसी भाग को खर्च करने में असफल हो जाती हैं तो निगम अपनी बोर्ड रिपोर्ट में राशि को खर्च न करने के कारणों को बतायेगी:-

निगम ने एनएचएफडीसी (सीपीएसई) के साथ व्यवसायिक कौशल को बढ़ाने के लिए 19.98 लाख रुपये के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जो प्रगति पर है जिसे अगामी वित्त वर्ष के दौरान खर्च किया जाएगा।

7. दायित्व विवरणी :-

कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति का कार्यान्वयन एवं निगरानी निगम की सीएसआर उद्देश्यों एवं नीति के अनुपालन में है।



ANNEXURE-II

REPORT ON CSR ACTIVITIES

{Pursuant to section 134(3) (o) of the Companies Act 2013 and Rule 9 of the Companies (Corporate Social Responsibility) Rule 2013}

1. Brief outline of the Company's CSR policy, including overview of projects or programs proposed to be undertaken and a reference to the web-link to the CSR policy and projects or programs.

The Board of the Corporation at its 160th Board Meeting held on 30.03.2016 approved the Corporate Social Responsibility Policy.

The 'Corporate Social Responsibility (CSR Policy) of the Corporation was formulated in line with the provisions of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014 made thereunder and 'DPE Guidelines 'w.e.f. April 1, 2015. The Policy lays down the guiding principles that shall be applicable to the CSR projects / programme / activities of the Corporation. CSR programs or projects to be undertaken by the Corporation in terms of the Policy, shall relate to one or more activities listed in Schedule VII of the Companies Act, 2013, at present or as may be amended from time to time. The Corporate Social Responsibility Policy of the Corporation is available on the website of the Corporation.

2. Composition of the Board level CSR Committee.

As on March 31, 2018 the CSR Committee comprises of the following members:

Dr. Prabodh Seth	-	Member (JS (DEPwD, MoSJE & Director ALIMCO)
Shri D.R.Sarin,	-	Member CMDALIMCO
Ms. T. C. AKalyani	-	Member (JS &FA (DEPwD, MoSJE & Director ALIMCO)

3. Average net profit of the Corporation for last three financial year's Rs.4453.08 Lakhs
4. Prescribed CSR Expenditure (two percent of the amount as in item 3 above) Rs. 89.06 Lakhs
5. Details of CSR spent during the financial year.
(a) Total amount to be spent for the financial year : Rs. 219.26 lakhs (including unspent amount of previous years)
(b) Amount unspent if any : Rs.19.98 Lakhs
(c) Manner in which the amount spent during the financial year is detailed below:

S. No.	CSR Project or activity identified	Sector in which the Project is covered	Projects or programs (1) Local area or other (2)Specify the State and district where projects or programs was undertaken	Amount outlay (budget) project or programs wise	Amount spent on the projects or programs Sub- heads: (1) Direct expenditure on projects or programs. (2) Overheads	Cumulative Expenditure upto to the reporting period.	Amount spent: Direct or through Implementing agency
1.	Organizing Primary Health care Camps and Distribution of Solar lantern	Promoting Health	Nil	45.00	29.40	Nil	Implementing Agency (HLL Lifecare Limited (HLL)



2.	Contribution to the 'Swachh Bharat Kosh' set-up by the Central Government for the promotion of sanitation and making available safe drinking water.	Promotion of sanitation and making available safe drinking water.	Nil	169.88	169.88	Nil	Direct contributed to the 'Swachh Bharat Kosh' set-up by the Central Government
TOTAL					199.28		

6. In case the Corporation has failed to spend the two percent of the average net profit of the last three financial years or any part thereof, the Corporation shall provide the reasons for not spending the amount in its Board report :-

Corporation had signed a MoU with NHFDC (CPSE) for Rs. 19.98 Lacs with regard to enhancing vocation skills which is under progress shall be spent during the next financial year.

7. Responsibility Statement :

The implementation and monitoring of Corporate Social Responsibility Policy, is in compliance with CSR objectives and Policy of the Corporation.



संलग्नक-3

कार्यालय प्रधान निदेशक वाणिज्य लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड-IV, नई दिल्ली
8-PDCA/M.A.B.-IV/H.S/Annual A/cs/ALIMCO/18-19/3773
दिनांक : 12.09.2018

सेवा में
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम
जी.टी. रोड, कानपुर-209217

विषय : भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 143 (6) (b) के अन्तर्गत Artificial Limbs Manufacturing of Corporation of India के 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के वित्तीय खातों पर टिप्पणियां।

महोदय/महोदया,

इस पत्र के साथ कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 143 (6) (b) के अन्तर्गत Artificial Limbs Manufacturing of Corporation of India के 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के वित्तीय खातों पर Comment प्रमाणपत्र भेजा जा रहा है।

कृपया इस पत्र की पावती भेजने की कृपा करें।

भवदीय

(मनीष कुमार)

महानिदेशक वाणिज्य लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड - IV

ANNEXURE-III

Office of the Principal Director of Commercial Audit & Ex-Officio Member,
Audit Board-IV, New Delhi

8-PDCA/M.A.B.-IV/H.S/Annual A/cs/ALIMCO/18-19/3773

Date : 12.09.2018

To,
The Chairman and Managing Director,
Artificial Limbs Manufacturing Corporation Limited
G.T.Road, Kanpur-209217

Sub : Comments of the Comptroller & Auditors General of India under Section 143 (6) (b) of the Companies Act, 2013 on the accounts of Artificial Limbs Manufacturing of Corporation of India for the year ended 31st March 2018.

Sir

I am enclosing herewith the comments of the Comptroller and Auditor General of India under 143 (6) (b) of the Companies Act, 2013 on the accounts of Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India for the year ended 31st March 2018.

The receipt of the letter may kindly be acknowledged.

Encl. As above

Your faithfully,

(Manish Kumar)

Principal Director of Commercial Audit
& Ex-Officio Member, Audit Board-IV



निगम अधिनियम, 2013 की धारा –143(6) (बी) के अंतर्गत 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम की वित्तीय विवरणियों पर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

निगम अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्ट ढांचे के अनुसार भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम की 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरणियों तैयार करना निगम के प्रबंधक की जिम्मेवारी है। अधिनियम की धारा-139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक/लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व है कि वे अधिनियम की धारा-143 (10) के अंतर्गत निर्धारित लेखा परीक्षा के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा-143 के तहत वित्तीय विवरणियों पर अपनी राय व्यक्त करें। उनकी तारीख 06.07.2018 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के जरिये यह कहा गया है कि उन्होंने ऐसा कर लिया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से, मैंने भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम की 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणियों का अधिनियम की धारा-143 (6) (ए) के तहत अनुपूरक लेखा-परीक्षा कर लिया है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों के कार्य दस्तावेजों को देखें बगैर स्वतंत्र रूप से किया गया है तथा यह सांविधिक लेखा परीक्षकों एवं निगम कार्मिकों से प्राथमिक रूप से पूछताछ तथा कुछ लेखा अभिलेखों की चयनित जाँच तक ही सीमित रहा है।

मेरे लेखा-परीक्षा के आधार पर, मैं अधिनियम की धारा 143 (6) (बी) के तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों पर प्रकाश डालना चाहूँगा जोकि मेरे ध्यान में आये हैं तथा जो मेरे विचार में वित्तीय विवरणियों तथा संबंधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट की बेहतर जानकारी के लिए आवश्यक है।

(क) वित्तीय स्थिति इक्विटी तथा चालू दायित्वों पर टिप्पणियाँ

नोट संख्या 5 :- कारोबार देयताएं—34.97 करोड रुपये

एक कम्पनी ने दो फर्मों से 2.72 करोड रुपये (जीएसटी को छोड़कर) की कीमत की मशीनरी खरीदी थी जिसमें से 2.17 करोड रुपये का भुगतान वर्ष के दौरान कर दिया गया था। चूँकि मशीनरी प्राप्त कर ली गई थी परन्तु वित्तीय वर्ष के अंत तक ली उन्हें संस्थपित नहीं किया गया, मशीनरी की कीमत को प्रगति में पूँजीगत कार्य के तहत दिखाया जाना चाहिए तथा देय शेष राशि अर्थात 0.55 करोड रुपये को कारोबार देयता के रूप में माना जाना चाहिए। तथापि, कम्पनी ने मशीनरी की पूरी कीमत (2.72 करोड) को कारोबार देयताएं के साथ-साथ प्रगति में पूँजीगत कार्य में माना गया है तथा 2.17 करोड रुपये के भुगतान को दीर्घ अवधि ऋण एवं अग्रिम के तहत पूँजीगत अग्रिम के रूप में दर्शाया है।

इससे 2.17 करोड रुपये कारोबार देयताएं तथा दीर्घ ऋण तथा अग्रिम के ऊपरीविवरण का परिणाम साबित हुआ है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से
भवदीय

(मनीष कुमार)

प्रधान निदेशक वाणिज्य लेखा परीक्षा

एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड-IV, नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 12.09.2018



वित्त वर्ष 2017-18 हेतु धारा -143 (6)(ए) के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की अंतिम टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की अंतिम टिप्पणियाँ	प्रबंधक का उत्तर
<p>वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियां इक्विटी तथा देयताएँ</p> <p>नोट सं0 5 : व्यापार देयताएँ- रु.34-97 करोड़</p> <p>कंपनी ने दो फर्मों से रु. 2.72 करोड़ (जी एस टी को छोड़कर) की कीमत की मशीनरी खरीदी थी जिसमें से रु. 2.17 करोड़ का भुगतान वर्ष के दौरान किया गया था। चूंकि मशीनरी प्राप्त हो गयी थी परन्तु उन्हें वित्त वर्ष के अंत तक स्थापित नहीं किया जा सका। मशीनरी की कीमत पूंजीगत कार्य प्रगति पर-1 तक दिखाया जाना चाहिए तथा देय शेष राशि अर्थात् आयातित रु. 0.55 करोड़ व्यापार देयताएँ के रूप में माना जाना चाहिए।</p> <p>तथापि, कंपनी ने मशीनरी की पूरी कीमत को (रु. 2.72 करोड़) व्यापार देयताएँ के साथ-साथ पूंजीगत कार्य प्रगति पर के तहत माना है तथा रु. 2.17 करोड़ के भुगतान को दीर्घ अवधि ऋण तथा अग्रिम के तहत पूंजीगत अग्रिम के तौर पर दर्शाया गया है।</p> <p>इससे व्यापार देयताएँ तथा दीर्घ अवधि ऋण तथा अग्रिम तथा अग्रिम के राशि रु. 2.17 करोड़ की अधिक विवरणी साबित हुई है।</p>	<p>यह सत्य है कि निगम ने मशीनरी की खरीद के लिये रु. 2.17 करोड़ अग्रिम अदा किया था जिसे पूंजीगत अग्रिम के रूप दर्शाया गया है लेकिन वित्त वर्ष के अंत में, मशीनों का संस्थापन वित्त वर्ष के दौरान नहीं किया जा सका। इस प्रकार उपर्युक्त पूंजीगत अग्रिम का समायोजन नहीं किया जा सका।</p> <p>चूंकि मशीनें प्राप्त हो गयी थी, कंपनी ने रु.2.72 करोड़ को पूंजीगत कार्य प्रगति पर के रूप में तथा उपर्युक्त कीमत हेतु व्यापार देयताएँ के रूपा में माना गया है। वित्त वर्ष के अंत तक इस तथ्य पर विचार करते हुए व्यापार देयताएँ को पूंजीगत अग्रिम से इसे समायोजित किया गया जिससे कि मशीनों का संस्थापन 2018-19 के दौरान ही किया जा सका है।</p> <p>लेखा परीक्षक ने यह दर्शाया है कि व्यापार देयता खाता में पूरी धनराशि को जमा कराने के बजाय पूंजीगत अग्रिम से शून्यकृत (रु.2.17 करोड़) किया गया है तथा शेष (रु.0.55 करोड़) को मशीनों के गैर-संस्थापन के स्थान पर व्यापार देयता के तहत दिखाया जाना चाहिए। लेखा-परिक्षा की उपर्युक्त टिप्पणी को भविष्य में अनुपालन हेतु नोट कर लिया गया है।</p>



**COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF THE
INDIA UNDER SECTION 143 (6) (b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON
THE FINANCIAL STATEMENTS OF
ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA
FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2018**

The preparation of financial statements of Artificial Limbs Manufacturing Corporation of the India for the year ended 31 March 2018 in accordance with financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act.) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor/auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139 (5) of the Act is/are responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143 (10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated **6th July 2018**.

I, on the behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit under section 143 (6) (a) of the Act of the financial statements of Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India for the year ended 31 March 2018. This supplementary audit has been carried out independently with out assess to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

On the basis of my audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditor's report.

Based on my supplementary audit, I would like to highlight the following significant matters under section 143 (6)(b) of the Act which have come to my attention and which in my view are necessary for enabling a better understanding of the financial statements and the related audit report.

A. Comments of Financial Position

Equity and Liabilities

Current Liabilities

Note No. : Trade Payables - ₹ 34.97 Crore

The Company purchased machinery valuing ₹2.72 crore (excluding GST) from two firms, out of which payment of ₹ 2.17 crore was made during the year. As the machinery had been received but not installed till the end of financial year, the value of machinery should have been shown under Capital Work in Progress and the balance amount payable i.e ₹ 0.55 crore should have been recognised as Trade Payables, However, the Company has recognised the full value of the machinery ₹2.17 crore as Capital Advanced under Long-term Loans and Advances.

This has resulted in overstatement of Trade payables and Long-term loans and Advances by ₹2.17 crore.

For and on the behalf of the
Comptroller and Auditor General of India,

(Manish Kumar)
Principal Director of Commercial Audit
& Ex-Officio Member, Audit Board-IV

Place : New Delhi
Date : 12.09.2018



**Management Reply of Final Comments of CAG
under Section 143(6) (a) for F.Y. 2017-18.**

Final Comments of CAG	Management Reply
<p>Comments on Financial Position Equity and Liabilities Note No. 5 : Trade Payables - Rs 34.97 Crores</p> <p>The Company purchased machinery valuing Rs 2.72 Crores (excluding GST) from two firms, out of which payment of Rs 2.17 Crores was made during the year. As the machinery had been received but not installed till the end of the financial year, the value of machinery should have been shown under Capital Work in progress and the balance amount payable i.e. Rs 0.55 Crores should have been recognized as Trade Payables.</p> <p>However, the Company has recognized the full value of machinery (Rs 2.72 Crores) under Trade Payables as well as Capital Work in Progress and shown the payment of Rs 2.17 Crores as Capital Advances under Long Term Loans and Advances.</p> <p>This has resulted in overstatement of Trade Payables and Long-term Loans and Advances by Rs 2.17 Crore.</p>	<p>It is a fact that the Corporation did pay an advance of Rs. 2.17 Crores against purchase of machineries which has been shown as Capital Advance. But at the end of the financial year, machines could not be installed during the financial year. Hence the above Capital Advance could not be adjusted.</p> <p>Since the machines were received, the company recognized Rs 2.72 Crores as Capital Work-in-progress and also recognized Trade Payable for the above value. This Trade Payable was not adjusted from Capital Advance at the end of financial year considering the fact that the installation of machines could be carried out only in 2018-19.</p> <p>The Audit has pointed out that instead of crediting "Trade Payable Account" with full amount, the "Capital Advance" should have been nullified (Rs 2.17 Crores) and balance (Rs 0.55 Crores) should have been shown under "Trade Payable" irrespective of non-installation of the machines</p> <p>The above observation of the audit is noted for future compliance.</p>



रागिनी चौकसी एण्ड कम्पनी

कम्पनी सचिव

34, कामर बिल्डिंग, 5वीं मंजिल
38, कावासाजी पटेल स्ट्रीट फोर्ट,
मुम्बई-400 001 फोन : 022-22831120
E-mail : ragini@rediffmail.com / mailcsraginichokshi.com

सचिवीय अंकेक्षण रिपोर्ट

31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु
निगमज अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) तथा निगमज
(नियुक्ति तथा पारिश्रमिक कार्मिक) नियमावली, 2014 के नियम-9 के अनुसरण में

सेवा में,

सदस्यगण

भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम

सी.आई.एन : यू.85110यू.पी.1972एन.पी.एल.003646

जी.टी. रोड, कानपुर-209217, उ.प्र.

हमें 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम के निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त किया गया है चूंकि यह कम्पनी में उत्तम कारपोरेट अधिशासन व्यवहार हेतु अनुपालनों के स्वतंत्र आश्वासन के रूप में प्रावधान करता है।

हमने 1 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018 तक की लेखा परीक्षा अवधि को कवर करने के लिए भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (पहले जो कंपनी थी) द्वारा लागू साविधिक प्रावधानों तथा जुड़े उत्तम कारपोरेट व्यवहार के अनुपालन का सचिवालयीन लेखा परीक्षा आयोजित किया है। सचिवालयीन लेखा परीक्षा इस प्रकार से आयोजित किया गया था जिसमें कारपोरेट आचरणों/साविधिक अनुपालन के मूल्यांकन हेतु हमें उस पर हमारी राय प्रकट करने का औचित्यपूर्ण आधार प्रदान किया है।

कम्पनी की पुस्तकों, दस्तावेजों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं प्रपत्रों तथा दाखिल विवरणियों तथा कंपनी द्वारा रखे जा रहे अन्य अभिलेखों के हमारे सत्यापन पर आधारित तथा कंपनी इसके अधिकारियों तथा अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा सचिवालयीन लेखा परीक्षा के आयोजन के दौरान प्रदान की गयी सूचनाओं पर आधारित हम एतद, द्वारा सूचित करते हैं कि कंपनी ने 1 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च 2018 तक की लेखा परीक्षा अवधि के दौरान यहाँ सूचनाबद्ध सर्वाधिक प्रावधानों का सामान्य तौर पर अनुपालन किया है तथा यह भी कि कंपनी ने मंडल प्रक्रियाओं तथा अनुपालन तंत्र का उचित सीमा तक सही ढंग से उचित पालन किया है। तथा इसके पश्चात की गयी रिपोर्टिंग के अनुसार होगा।

हमने 1 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018 तक की लेखा परीक्षा अवधि हेतु पुस्तकों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं प्रपत्रों तथा दाखिल की गयी विवरणियों तथा कंपनियों द्वारा रखे जा रहे अविलेखों की जाँच की है। यह जाँच संदर्भित लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू सीमा तक निम्नलिखित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार की गयी है।

1. कंपनीज एक्ट, 2013 (अधिनियम) तथा इसके अधीन नियमावली

क) हम आगे सूचित करते हैं कि कंपनी में उपस्थित अनुपालन सिस्टम तथा उनके अनुसरण में संगत दस्तावेजों एवं अभिलेखों की जांच परीक्षण आधार पर कंपनी ने विशिष्ट (कंपनी के) लागू विधियों का पालन किया है। अनुपालन की जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण विधियाँ निम्नानुसार हैं। कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध प्रावधान अधिनियम, 1952

ख) कर्मचारी निक्षेप लिंकड बीमा योजना, 1976



- ग) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948
- घ) दी फ़ैक्ट्रीज एक्ट, 1948
- ङ) सर्मिक कल्याण निधि अधिनियम
- च) प्रसूची अभिलाभ अधिनियम, 1961
- छ) न्यूनतम मजदूरी एक्ट, 1948
- ज) बोनस भुगतान अधिनियम, 1965
- झ) ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972
- ञ) मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936
- य) संविदा श्रम अधिनियम (अधिनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970
- र) वायु (पर्यावरण रोकथाम तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981
- ल) जल (पर्यावरण रोकथाम तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974
- व) पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986
- स) खतरनाक कूड़ा नियम एवं अधिनियम

हमने निम्नलिखित लागू खंडों का अनुपालन किया है :-

2. लोक उद्यम विभाग द्वारा उनके तारीख 14 मई 2010 के का.ज्ञा. सं.-18 (8)/2005-जीएम के तहत जारी निगमित सरकारी दिशानिर्देश।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान तथा हमें दिये स्पष्टीकरण तथा प्रबंधन द्वारा किये गये प्रतिनिधित्व के अनुसार, कंपनी ने सामान्य तौर पर अधिनियमों, नियमावतियों, दिशानिर्देशों आदि का निम्नलिखित प्रेक्षणों के तहत अनुपालन किया है।

क) निदेशक मंडल का गठन निगमित प्रशासन संबंधी डीपीई के दिशानिर्देशों के पैरा-3.1.4 के अनुपालन में नहीं हुआ है क्योंकि कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या नहीं थी।

ख) निगमित शासन संबंधी डीपीई के दिशानिर्देश के पैरा-3.7 के अनुसार निदेशकों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम

ग) पर्यावरणीय प्रदूषण प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किया है।

हम आगे सूचित करते हैं कि लेखापरीक्षा के आयोजन के दौरान कंपनी तथा उसके अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई सूचना के आधार पर हमारी राय में कंपनी में लागू सामान्य विधियों का अनुवीक्षण तथा अनुपालन करने हेतु पर्याप्त सिस्टम, प्रक्रियाएं तथा नियंत्रण यंत्रवाद उपलब्ध है।

कंपनी के निदेशक मंडल का गठन कार्यकारी निदेशकों, गैर-कार्यकारी निदेशकों की समानता के साथ विधिवत रूप से किया गया है, यह रिपोर्ट आंतरिक रूप से कथित स्वतंत्र अनुदेशकों की आवश्यकता के अधीन है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, निदेशक मंडल के गठन में परिवर्तन को अधिनियमों के अनुपालन में किया गया है। अधिकांश निर्णय तब लिये गये हैं जब असंतुष्ट सदस्यों के विचारों को, यदि कोई हो, चुनकर तथा कार्यवृत्त भाग के रूप में दर्ज किया गया है।

हम आगे सूचित करते हैं कि निगम के आकार तथा परिचालन के अनुसार लागू विधियों, नियमावतियों, विनियमों तथा दिशा निर्देशों पर निगरानी करने तथा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निगम में पर्याप्त प्रणाली तथा प्रक्रियाएं मौजूद हैं।

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 03.08.2018

सीएस देवेश गोयल
पार्टनर
ह0/-
(रागिनी चौकसी एण्ड कम्पनी)



RAGINI CHOKSHI & CO.

Company Secretary

34, Kamar Building, 5th Floor, 38
Cawasji Patel Street, Fort, Mumbai-400 001
Ph. : 022-22831120
E-mail : ragini@rediffmail.com / mailcsraginichokshi.com

SECRETARIAL AUDIT REPORT

FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31st March, 2018

[Pursuant to section 204(1) of the Companies Act, 2013 and rule No.9 of the Companies
(Appointment and Remuneration Personnel) Rules, 2014]

To,
The Members,
Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India
CIN : U85110UP1972NPL003646
GT Road, Kanpur, Uttar Pradesh-209217

We are appointed by the Board of Directors of artificial Limbs Manufacturing Corporation of India (hereinafter called the "Company") on a voluntary basis for the financial year ended 31st March, 2018 as it provides as independent assurance of the Compliances in the Company for Good Corporate Governance Practice.

We have conducted the Secretarial Audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India (hereinafter called 'the Company') for the audit period covering from 1st April, 2017 TO 31st March, 2018. Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the Company's books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Company and also the information provided by the Company, its officers and authorized representatives during the conduct of secretarial audit; We hereby report that in our opinion, the Company has, during the audit period covering from 1st April, 2017 to 31st March, 2018 generally complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Company has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter.

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Company for the audit period covering from 1st April, 2017 to 31st March, 2018 according to the provisions of the following act(s), to the extent applicable to the Company during the relevant Audit period;

1. The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made thereunder;
 - a) We further report that, having regard to the compliance system prevailing in the Company and on examination of the relevant documents and records in pursuance thereof, on test-check basis, the Company has complied with all the specific applicable Laws to the Company. Some of the important laws complied with are as follows The Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952;
 - b) The Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976;
 - c) The Employees' State Insurance Act, 1948;
 - d) The Factories Act, 1948;
 - e) The Labour Welfare Fund Act;
 - f) The Maternity Benefits Act, 1961;
 - g) The Minimum Wages Act, 1948;
 - h) The Payment of Bonus Act, 1965;
 - i) The Payment of Gratuity Act, 1972



भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम
ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA



ISO 9001 : 2015

- j) The Payment of Wages Act, 1936
- k) The Contract Labour Act (Regulation and Abolition) Act, 1970
- l) The Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981
- m) The Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974
- n) The Environment Protection Act, 1986
- o) Hazardous Waste Rules & Regulations.

We have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

2) Corporate Governance Guidelines issued by the Department of Public Enterprises vide their OM No. 18(8)/2005-GM dated 14th May, 2010

During the period under review and as per the explanations and clarifications given to us and the representations made by the Management, the Company has generally complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, etc. subject to following observations:

- a) The composition of the Board of Directors is not in compliance with Para 3.1.4 of the DPE Guidelines on Corporate Governance as the Company did not have requisite number of Independent directors on its Board.
- b) Training Programme for Directors in terms of Para 3.7 of the DPE Guidelines on Corporate Governance.
- c) Environment Pollution Certificate has not been obtained.

We further report that, based on the information provided by the Company and its officers during the conduct of audit and based on review of compliance mechanism established by the Company, in our opinion there are adequate systems and processes and control mechanism exist in the Company to monitor and ensure compliance with applicable general laws.

The Board of Directors of the Company is duly constituted with proper balance of Executive Directors, Non-Executive Directors, subject to the requirement of Independent Directors as stated out hereinabove in this report. The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the Act.

Majority decision is carried through while the dissenting members' views, if any, are captured and recorded as part of the minutes.

We further report that based on the information received and records maintained there are adequate systems and processes in the Company commensurate with the size and operations of the Company to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

Place : New Delhi
Date : 03.08.2018

Sd/-
CS DIVESH GOEL
Partner
Ragini Chokshi & Co.



रागिनी चौकसी एण्ड कम्पनी

कम्पनी सचिव

34, कामर बिल्डिंग, 5वीं मंजिल
38, कावासाजी पटेल स्ट्रीट फोर्ट,
मुम्बई-400 001 फोन : 022-22831120
E-mail : ragini@rediffmail.com / mailcsraginichokshi.com

अनुबंध-क

सेवा में,

सदस्यगण

भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम

सी.आई.एन : यू851101/पी1972 एनपीएल वी03646

जीटी रोड, कानपुर-209217, उ.प्र.

इस पत्र के साथ हमारी समसंख्यक रिपोर्ट पढी जानी है

1. सचिवालयीन अभिलेख के रखरखाव की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन की है। हमारा उत्तरदायित्व हमारे लेखापरीक्षा पर आधारित इन सचिवालयीन अभिलेखों को अभिव्यक्त करने का है।
 2. हमने सचिवालयीन अभिलेखों के विषय की सत्यता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए, जो उपयुक्त था, लेखा परीक्षा व्यवहारों तथा प्रक्रियाओं का अनुसरण किया है।
 3. हमारा विश्वास है कि जिन व्यवहारों तथा प्रक्रियाओं का अनुसरण हमने किया था, वह हमारी राय के लिए उचित था।
- (क) हमने कंपनी के वित्तीय अभिलेखों तथा लेखा पुस्तिकाओं की सत्यता तथा औचित्यता का सत्यापन नहीं किया है।
(ख) जहां कहीं आवश्यक हुआ, हमने विधियों, नियमावलियों, अधिनियमनों तथा घटनाओं के घटित होने आदि के अनुपालन के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया था।
(ग) कारपोरेट तथा लागू विधियों, नियमावलियों, विनियमनों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन करने का दायित्व प्रबंधन का है। हमारा परीक्षण टेस्ट के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित था।
(घ) सचिवालयीन लेखा परीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही दक्षता अथवा प्रभावकता का, जिसमें प्रबंधक कंपनी के कार्यों का संचालन किया है।

सीएस देवेश गोयल
पार्टनर

ह0/-

(रागिनी चौकसी एण्ड कम्पनी)

वित्त वर्ष 2017-18 हेतु सचिवालयीन लेखापरीक्षकों के प्रेक्षणों पर निदेशक मंडल का उत्तर

क्र.सं.	सचिवालयीन लेखा परीक्षकों के प्रेक्षण	निदेशक मंडल का उत्तर
1	निदेशक मंडल का गठन कारपोरेट अधिशासन संबंधी डीपीई के दिशानिर्देश के पैरा-3.1.4 के अनुपालन में नहीं है क्योंकि कंपनी के पास अपने बोर्ड में अपेक्षित स्वतंत्र निदेशक नहीं है।	कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने अपने तारीख 05.06.2015 की अधिसूचना के अधीन कंपनीज एक्ट, 2013 के कुछ प्रावधानों का अनुपालन करने से धारा-8 की छूट कंपनी ने दी थी जिसमें स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति हेतु अनुरोध किया गया था।
2	कारपोरेट अधिशासन संबंधी डीपीई के दिशानिर्देश के पैरा-3.7 के अनुसार निदेशकों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम	डी पी ई दिशानिर्देशों के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों हेतु प्रशिक्षण आवश्यकता है। वर्तमान में, निगम के मंडल में स्वतंत्र निदेशक नहीं है।
3	पर्यावरण प्रदूषण प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किया गया है।	निगम ने पर्यावरण में मानक के अनुसार वायु एवं जल की अनुमति प्राप्त कर ली है। तथा खतरनाक कुड़े के निपटान हेतु उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अधिकार पत्र प्राप्त कर लिया है।



भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम
ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA



ISO 9001 : 2015

RAGINI CHOKSHI & CO.

Company Secretary

34, Kamar Building, 5th Floor, 38
Cawasji Patel Street, Fort, Mumbai-400 001
Ph. : 022-22831120
E-mail : ragini@rediffmail.com / mailcsraginichokshi.com

ANNEXURE-A

The Members,
Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India
CIN: U85110UP1972NPL003646
G T Road, Kanpur, Uttar Pradesh-209217

Our report of even date is to be read along with this letter.

1. The maintenance of Secretarial record is the responsibility of the Management of the Company. Our responsibility is to express an opinion on these Secretarial records based on our audit.
2. We have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the Secretarial records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in Secretarial records.
3. We believe that the processes and practices, we followed provide a reasonable basis for our opinion.
 - (a) We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and Books of Accounts of the Company.
 - (b) Wherever required, we have obtained the Management representation about the compliance of laws, rules and regulations and happening of events etc.
 - (c) The compliance of the provision of Corporate and other applicable laws, rules, regulations, standards is the responsibility of Management. Our examination was limited to the verification of procedures on test basis.
 - (d) The Secretarial Audit report is neither an assurance as to the future viability of the Company nor of the efficacy or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the Company.

Sd/-
CS DIVESH GOEL
Partner
Ragini Chokshi & Co.

**REPLY OF THE BOARD OF DIRECTORS' ON THE OBSERVATIONS OF THE
SECRETARIAL AUDITORS FOR THE FY 2017-18**

S. No.	Observations of Secretarial Auditors	Reply of the Board of Directors
1.	The composition of the Board of Directors is not in compliance with Para 3.1.4 of the DPE Guidelines on Corporate Governance as the Company did not have requisite number of Independent directors on its Board.	Ministry of Corporate Affairs ("MCA") vide notification, dated 05.06.2015, had exempted Section 8 Companies, from complying with certain provisions of the Companies Act, 2013 including Appointment of Independent Directors, at its Board However Corporation had requested to Administrative Ministry to appoint Independent Director on the Board of the Corporation.
2.	Training Programme for Directors in terms of Para 3.7 of the DPE Guidelines on Corporate Governance	As per DPE Guidelines, training requirement is meant for Independent Directors. The Corporation has no Independent Directors on its Board at present.
3.	Environment Pollution Certificate has not been obtained.	Corporation is having consent of Air & consent of water as per the standard in Environment and Authorization for disposal of hazardous wastes from UP pollution Control Board.



संलग्नक-5

ANNEXURE-V

प्रबन्धन विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS REPORT

1. कम्पनी व उद्योग एक परिचय

भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को) अनुसूची सी में, एक मिनीरत्न श्रेणी द्वितीय में शामिल केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है जो कि कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 8 (लाभ न कमाने के उद्देश्य के लिए) अन्तर्गत पंजीकृत है (पूर्व कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25) एवं भारत के माननीय राष्ट्रपति जिनके पास 100 प्रतिशत अंश के साथ भारत सरकार के सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य कर रही है। इसका उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों के लिये पुर्नवास यंत्र एवम् सहायक उपकरण के निर्माण से और देश के विकलांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंग और अन्य पुर्नवास यंत्र की उपलब्धता, उपयोग, आपूर्ति और वितरण को बढ़ावा देने, प्रोत्साहित करने और विकास के द्वारा अधिकतम सीमा तक सहायता करने के उद्देश्य से कार्य करती है। लाभप्रदता निगम का उद्देश्य नहीं है।

2. एलिम्को की उन्नति—एक संक्षिप्त विवरण

देश में सभी प्रकार की दिव्यांगताओं की सेवा हेतु एक छत के नीचे विभिन्न प्रकार के उपकरणों का उत्पादन करने वाला यह निगम ही एक मात्र निगम है। वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान निगम ने 2016-17 में अर्जित 240.67 करोड़ रुपये के मुकाबले 228.50 करोड़ रुपये की टर्नओवर प्राप्त किया है। 2016-17 में अर्जित 55.74 करोड़ के सरप्लस मुकाबले इस वर्ष 50.79 करोड़ रुपये सरप्लस अर्जित किया है।

3. क्षमता एवं दोष

(अ) क्षमता :-

- सरकार ने अनेक दिव्यांगता केन्द्र कल्याण योजनाओं को प्रारंभ तथा कार्यान्वित किया है। एडिप (दिव्यांगों हेतु सहायता एक सर्वाधिक प्रसिद्ध योजना है जिसका उद्देश्य दिव्यांगजनों को सहायक यंत्र एवं उपकरणों की खरीद तथा फिटिंग करना है तथा 1981 से, एलिम्को एडिप योजना को कार्यान्वित करने वाली सबसे बड़ी एजेंसी है)।
- भारत सरकार की योजना सर्व शिक्षा अभियान (एडिप एस.एस.ए.) के अन्तर्गत निशक्तजन सहायता उपलब्ध कराने वाली एकमात्र संस्था इसके तहत अनेक

1. About the Corporation and the Industry

Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India (ALIMCO) is a Schedule 'C' Miniratna Category II Central Public Sector Enterprises, registered under Section 8 (Not for Profit Motive) of the Companies Act 2013, (corresponding to Section 25 of the Companies Act, 1956) is functioning under the administrative Control of Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan), Ministry of Social Justice & Empowerment, Government of India. It is a 100% owned by Govt. of India Central Public Sector Enterprises with an objective of benefiting the Persons with Disabilities (PwDs) to the maximum extent possible by manufacturing Rehabilitation Aids for persons with disabilities and by promoting, encouraging and developing the availability, use, supply and distribution of Artificial Limbs and other Rehabilitation aids to the needy PwDs of the country.

2. Growth of Alimco -an overview

The Corporation is the only manufacturing Corporation producing various types of assistive devices under one roof to serve all types of disabilities across the country. During the Financial year 2017-18, the Corporation has achieved a turnover of Rs 228.50 crores as against Rs. 240.67 crores in 2016-17 and earned surplus of Rs 50.79 crores as against Rs. 55.74 crores earned surplus in the year 2016-17.

3. Strengths and Weaknesses

(A) Strengths

- The Government has launched and implemented various disability centric welfare schemes. ADIP (Assistance to Disabled Person) is one of the most popular scheme which aims to purchase and fitting of assistive aids and appliances to persons with disability and ALIMCO is the largest implementing agency of ADIP Scheme, since 1981.
- Sole implementing agency of the GOI's scheme "Assistance for Disabled persons under Sarva Shiksha Abhiyan (ADIP-SSA)", since 2004. Number



व्यक्तियों को लाभ मिला है 14-17 वर्ष के बीच के बच्चों को यंत्र तथा उपकरण के वितरण के लिए आरएमएसए हेतु मॉडल एजेंसी है।

- (iii) बीपीएल श्रेणी से संबंधित "राष्ट्रीय व्योश्री योजना" नामक भारत सरकार की योजना वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक आयु वाले) के लिए वर्ष 2016 में प्रारंभ की गई थी। एलिमकों को पेन आधार पर एकमात्र कार्यान्वित एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।
- (iv) उत्तम औद्योगिक संबंध परिदृश्य।
- (v) इसके पूर्व एलिमकों का नाम 5 बार विश्व की गिनीज बुक में पुरस्कार हेतु दर्ज किया गया है।
- (vi) पुनर्वास के क्षेत्र में विश्व स्तर पर प्रौद्योगिकीय विकास से परिचित कराने के लिए एलिमको ने देश में सहज मूल्य देश में गैर उत्पादों के विनिर्माण के लिए पहल की है तथा अंतर्राष्ट्रीय फर्म के साथ सहयोग किया है। भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम (एलिमकों) ने अत्याधुनिक लोअर लिंब प्रोसेथेटिक सिस्टम को सस्ती दर पर विनिर्माण के लिए ऑटोबेक इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। एलिमकों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशानिर्देश के अनुपालन में समायोज्य सक्रिय व्हीलचेयर्स तथा सीपी चेयर्स को विकसित करने के लिए मैसर्स मॉटीवेसन, यूके के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रौद्योगिकीय रूप से विकसित व्हीलचेयर्स उत्पादन से देश के समाज के सभी वर्गों के दिव्यांगजनों की स्वायत्तता तथा संचलन में व्हील संचलित उपकरणों के जरिये सुधार हो सकेगा।
- (vii) एलिमको मुख्यालय, कानपुर में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकीय सौक की स्थापना की है जहां पर 11.15 करोड़ रु० की लागत हाईप्रीसाइजीन मशीन (सीएनसी शामिल) का प्रापण किया गया है, संस्थापित किया गया है तथा ए.के. एवं वी.के. प्रौद्योगिकी उत्पादन को पूर्णतः चालू किया गया है। जर्मनी में ऑटोबेक द्वारा निर्मित किये जाने वाले उत्पादों का अब एलिमकों ने उत्पादन हो रहा है तथा देशीकरण के बाद वहनीय न्यूनतम दरों पर भारत में उपलब्ध है इससे माननीय प्रधानमंत्री की "मेक इन इंडिया" अभियान के पूरा होने में दिये जाने वाले सहायता मिलेगी।

of beneficiaries served under ADIP-SSA scheme. Nodal agency for RMSA for distribution of aids and appliances to children between 14 to 17 years.

- (iii) A new scheme of Govt. of India Known as "Rashtriya Vayoshri Yojna" to provide Aid & Assistive Living Devices to Senior Citizens (above age of 60 years) belonging to BPL Category has been launched in year 2016. ALIMCO has been nominated as the sole implementing agency of the scheme on PAN India Basis.
- (iv) Good industrial relations scenario.
- (v) Awarded 5 Guinness Book of world Records in the name of ALIMCO earlier to this ALIMCO had not awarded any Guinness Book of world Records.
- (vi) To cope up with the technological advancement at global level in the field of Rehabilitation, ALIMCO has taken initiative and collaborated with the international firms for manufacturing new products in the country at affordable price. Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India (ALIMCO) has signed MoU with M/s Ottobock, India for producing affordable State- of- Art lower limb prosthetic systems in India. Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India (ALIMCO) signed an MoU with M/s Motivation U.K for developing adjustable active Wheelchairs and CP Chairs in compliance with WHO guidelines. Production of technologically advanced Wheel chairs will improve the independence and mobility of PwDs through wheeled mobility devices from all sections of society in the country.
- (vii) Establishment of High End Prosthesis Shop at ALIMCO HQ Kanpur wherein High precision Machines (including CNCs) worth Rs. 11.15 Crore have been procured, installed & Commissioned now full-fledged production of AK & BK Prosthesis. These products, which were manufactured in Germany by Ottobock, are now being manufactured at ALIMCO and available in India at an affordable minimum rates after Indigenization. This will help in contributing towards realization of the 'Make in India' drive of the Hon'ble Prime Minister.



(viii) एलिम्को ने उत्पाद रेंज में दिव्यांगजनों की सभी श्रेणियों को कवर करने के लिए परिवर्तन किया है। एडीएल, लैप्रोजी कैसो हेतु किट स्मार्टकेन, स्मार्टफोन तथा टेबलेट आदि जैसे नये उत्पादों दृष्टिबाधितों के लिए एलिम्को ने कुछ नये उत्पाद अपनी उत्पाद रेंज में जोड़े थे। आंतरिक आर एंड डी के जरिये मोटरी.त ट्राईसाईकिल (बैटरी चालित), ज्वायस्टिक प्रचालित, बैटरी से चालित मोटरी.त व्हीलचेयर्स, पहचाने योग्य हाथ से चालित ट्राईसाईकिल, दिव्यांगता के अनुरूप पेट्रोल चालित स्कूटर, जिसे पर्वतीय तराई क्षेत्रों में चलाया जा सके, को विकसित किया था। पहले एलिम्को ने उत्पादों में परिवर्तित रेंज नहीं थी।

(ब) दोष :-

- (i) 46 वर्ष पुराना निगम
- (ii) सम्पूर्ण उद्यम एवं संयंत्र, आधारभूत सुविधाएं, सहायक सेवाएं, भवन इत्यादि 30 से 35 वर्ष पुराने हो गये हैं और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से सभी सुविधाओं के पुनर्नवीनीकरण, पुनर्निर्माण, बदलाव और मरम्मत की अत्यधिक आवश्यकता है जिसके अभाव में निगम का कार्य अवरुद्ध हो सकता है. हालांकि अब निगम द्वारा प्रतिष्ठित आधुनिकीकरण योजना की शुरुआत किया जा रहा जिसमें है आधुनिक अनुसंधान एवं विकास के द्वारा किफायती मूल्य पर उपकरणों के निर्माण और विश्व स्तर की गुणवत्ता एड्स और सहायक उपकरणों प्रदान करने के लिए जिसमें आर एण्ड डी केन्द्र का निर्माण शामिल है और जिससे आम लोगों के लिए कम लागत पर उपकरण प्रदान करने तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भारत सरकार की एडीप योजना द्वारा निःशुल्क उपकरणों को प्रदान करना शामिल है स्थाई वित्त समिति (एसएफसी) द्वारा 338.04 करोड़ रुपये की आधुनिकीकरण योजना हेतु अनुमोदन दिया गया था। जब एलिम्को का उन्नयन तथा आधुनिकीकरण किया जाता है तो इसकी बिक्री भी बढ़ जाएगी।
- (iii) निगम की शोध एवं विकास इकाई में कुशल जनशक्ति को शामिल करके तथा शोधों एवं विकास अवसंरचना में सुधार की अत्यधिक जरूरत है।
- (iv) निदेशक मण्डल में अद्यतन मंत्रालय द्वारा स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति नहीं हुई

(viii) ALIMCO took up diversification of product range to cover all categories of persons with disabilities. Quite a few new products like ADL Kit for Leprosy cases, Smart cane, Smart phone and Tablet etc. for Visually Impaired were added to ALIMCO's Product range. Through in-house R&D, Motorized Tricycle (Battery Operated), Joystick operated Battery Driven Motorized Wheelchair, detachable manual tricycle, a disabled friendly petrol driven scooter which can be driven in Hilly Terrains were developed. Earlier in ALIMCO there was not a diversified range of ALIMCO's product

(B) Weaknesses

- (i) 46 years old Corporation.
- (ii) Total Plant & Machinery, infrastructure facilities, Auxiliary services, building etc. are very old need to be renovated/retrofitted/refurbished/replaced with latest modernized technologically advanced facilities, failing which the entire Corporation may come to stand still. However, now Corporation has embarked upon a prestigious modernization plan for creation of advanced facilities including modern R&D centre to manufacture and provide world class quality aids & assistive devices at an affordable price to common people and free of cost to economically weaker section of society under ADIP Scheme of the Government of India. Modernization plan was approved by Standing Finance Committee (SFC) to the tune of Rs. 338.04 Crores. Once the ALIMCO is upgraded and modernized, its sales would boost.
- (iii) R& D set up in the Corporation need drastic improvement by inducting skilled manpower and improvement in R& D infrastructures.
- (iv) No induction of Independent Director on the Board till date by the Ministry.



4. अवसर

- (i) तकनीकी रूप से उत्पादों के आधुनिकीकरण या उनमें सुधार होने पर उनके विपणन की अपार सम्भावनाएं हैं.
- (ii) निगम का आधुनिकरण कार्यक्रम
- (iii) व्यवसाय जगत से 'आर्थिक सामाजिक कर्तव्य' आधारित व्यापार की असीमित सम्भावनाएं हैं.
- (iv) कुछ ToTs हस्ताक्षरित किये हैं जो कि लागू करने की प्रक्रिया में हैं।
- (v) निर्यात बाज़ार की ओर उन्मुख होना चाहिए क्योंकि इस क्षेत्र में अच्छी सम्भावनाएं हैं.

5. चुनौतियां

सहायक उपकरणों के वितरण में निगम मुख्यतः सरकारी अनुदान पर निर्भर है जिसका निगम के आवर्त में महत्वपूर्ण योगदान रहता है।

6. कॉर्पोरेट जगत के आर्थिक-सामाजिक कर्तव्यों का साझीदार एलिम्को

निगम ने सभी लाभार्जक कॉर्पोरेट पब्लिक सेक्टर इकाइयों एवं निजी कम्पनियों से सम्पर्क करने प्रारम्भ कर दिये हैं और प्रयासरत है कि एलिम्को के माध्यम व सहायता से वे कम्पनियाँ अपने आर्थिक-सामाजिक दायित्वों की पूर्ति हेतु मूल्यांकन, एवं वितरण द्वारा निशक्तजनों को सहायक उपकरण उपलब्ध करायें।

7. भविष्य पर दृष्टि

निगम का विश्वास है कि यह वर्ष दर वर्ष उन्नति के नये सोपानों पर चढ़ता रहेगा। बशर्ते कि निगम को सरकार की आरे से एडिप योजना के तहत समान रूप से अनुदान सहायता मिलती रहें। महा महिम, श्री नरेन्द्र मोदी, माननीय भारत के प्रधानमंत्री द्वारा प्रारंभ किये गये। "मेक इन इंडिया के तहत निगम के अपने उत्पादों का भविष्य बहुत ऊँचा रहे।

4. Opportunities

- (i) Lot of Scope available for marketing the products provided the products are technologically advanced/improved.
- (ii) Modernization programme of the Corporation
- (iii) Huge Scope of CSR business from Corporate Sectors.
- (iv) A few ToTs are signed and in the process of implementation.
- (v) Explore the Export market as there is good potential.

5. Threats

The Corporation is mainly depends on Govt. Grants for distribution of Aids & Assistive Devices which finally reckons on turnover of the Corporation.

6. Alimco as CSR Implementation Partner of Corporate Sector.

The corporation has taken initiative and has started approaching all profit making CPSEs and Privates Companies to take up their CSR obligation through ALIMCO for Assessment and Distribution of Aids and Assistive Devices to PwDs.

7. Future Outlook

The corporation believes that it will continue to be on its growth platform achieving new height year by year provided the Corporation keeps on getting equal grant in aid under ADIP from the Government. The Corporation reckons that the future prospects for their products area very high under "Make in India" Campaign launched by his Excellency Shri Narendra Modi the Hon'ble Prime Minister of India.



संलग्नक-6

ANNEXURE-VI

कारपोरेट गर्वनेंस पर रिपोर्ट

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

1.1 निगमित अभिशासन के दिशा निर्देशों कम्पनी का दर्शन

1.1 COMPANY'S PHILOSOPHY ON GUIDELINES ON CORPORATE GOVERNANCE

एलिम्को इस विचारधारा पर कार्य करता है कि अपने संचालन के लिए निर्धारित दिशा निर्देशों का अनुपालन करके निगम अपने अंशधारकों एवं सम्बन्धित हितधारकों के हितों की रक्षा कर सकेगा और इसी के साथ अपने संचालन में अधिक पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्वों का पालन भी कर सकेगा।

ALIMCO works on the philosophy that by following the guidelines in its functioning, the Corporation would protect the interest of shareholders and relevant stakeholders and also it would bring more transparency and accountability in its functioning

1.2 निदेशक मण्डल

1.2 BOARD OF DIRECTORS

दिनांक 31.03.2018 को आपके निगम का निदेशक मण्डल की श्रेणी एवं संरचना निम्नवत है-

The composition and category of Board of Directors of your Corporation as on 31.03.2018 is as under :

- (i) श्री डी.आर. सरिन : कार्यकारी निदेशक अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
- (ii) श्रीमती टीसीए कल्याणी : सरकार द्वारा नामित संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार
- (iii) डॉ. प्रबोध सेठ : सरकार द्वारा नामित संयुक्त सचिव दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार

- i) Shri D.R.Sarin : Functional Director Chairman & Managing Director
- ii) Ms. T.C.A. Kalyani : Government Nominee Joint Secretary & Financial Adviser, Dept. of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan), Ministry of Social Justice & Empowerment, GOI
- iii) Dr. Prabodh Seth : Government Nominee Joint Secretary Dept. of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan), Ministry of Social Justice & Empowerment, GOI



1.3 निदेशक मण्डल की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान बोर्ड मीटिंग में निदेशकों की उपस्थिति की संख्या :

क्र. सं.	निदेशकों के नाम	2017-18 के दौरान निदेशक मण्डल की बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति 2017-18
1	श्री डी. आर. सरीन	05	05
2	मिस टी.सी.ए. कल्याणी	05	05
3	डॉ. प्रबोध सेठ	03	03

1.4 वित्तीय वर्ष में निदेशकों में परिवर्तन

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान निगम के निदेशक मंडल में निम्न लिखित परिवर्तन हुए:-

क्र. सं.	निदेशकों के नाम	कार्यकाल	
		शुरू होने की तिथि	समाप्त होने की तिथि
1.	श्री अवनीश कुमार अवस्थी संयुक्त सचिव दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार	23.5.2013	29.6.2017
2.	डॉ. प्रबोध सेठ संयुक्त सचिव दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार	29.6.2017	-----

1.5 बोर्ड निदेशक मंडल की बैठकें कितनी और कब सम्पन्न हुईं

वर्ष 2017-18 में निदेशक मण्डल की 05 बैठकें दिनांक 15 मई, 2017, 20 जून, 2017, 22 सितंबर, 2017, 20 नवंबर, 2017, 23 जनवरी, 2018, को सम्पन्न हुई थीं।

1.3 ATTENDANCE OF DIRECTORS AT THE BOARD MEETINGS

The particular regarding attendance of Directors at Board meetings held during the financial year 2017-18 is as follows:

Sl. No.	Name of Director	No. of Board Meeting held during the tenure (in FY 2017-18)	No. of Board Meeting held during attended (in FY 2017-18)
1	Shri D. R. Sarin	05	05
2	Ms. T.C.A Kalyani	05	05
3	Dr. Prabodh Seth	03	03

1.4 DIRECTOR- CHANGES DURING FINANCIAL YEAR

During the financial year 2017-18, following changes had taken place in the Board of Directors of the Corporation:-

Sl. No.	Name of Director	Tenure	
		Date of Joining	Date of cessation
1.	Shri Awanish Awasthi Joint Secretary, Dept. of Empowerment of Persons with Disabilities, Ministry of Social Justice & Empowerment, GOI	23.5.2013	29.6.2017
2.	Dr. Prabodh Seth Joint Secretary, Dept. of Empowerment of Persons with Disabilities, Ministry of Social Justice & Empowerment, GOI	29.6.2017	-----

1.5 NO. OF BOARD MEETINGS HELD, DATES ON WHICH HELD

During the year 2017-18, Five Board Meetings were held on 15th May, 2017, 20th June, 2017, 22th September, 2017, 20th November 2017, 23rd January 2018.



1.6 निदेशक मंडल की समितियाँ

वित्तीय वर्ष के दौरान, लेखा परीक्षा समिति, सीएसआर समिति तथा पारिश्रमिक समिति संबंधी सूचना तथा आयोजन उन समितियों की बैठकों निम्नानुसार है।

(i) लेखा परीक्षा समिति

एलिम्को एक गैर-लाभ अर्जित करने वाली संगठन है तथा धारा 8 (कंपनीज एक्ट 1956 की धारा 25) के तहत आता है। कंपनीज एक्ट, 2013 तथा इसके साथ पठित कारपोरेट मंत्रालय, द्वारा जारी अधिसूचनाओं के अनुसरण में निगम ने लेखा परीक्षा का समिति का गठन किया था। समिति का संरचना तथा सदस्यों का उपस्थिति निम्नानुसार है:-

सदस्यों के नाम	सदस्य/अध्यक्ष	बैठकों की संख्या जिसमें भाग लिया
मिस टी.सी.ए. कल्याणी	अध्यक्ष	4/4
डॉ. प्रबोध सेठ	सदस्य	3/4
श्री डी. आर. सरीन	सदस्य	4/4

निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति की 04 बैठकों वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान क्रमशः 20 जून, 2017, 22 सितंबर, 2017, 20 नवंबर, 2017 तथा 23 जनवरी, 2018 को आयोजित हुई थी। निगम के कंपनी सचिव (सहायक प्रबंधक) श्री अभिताभ दूबे समिति के सचिव के रूप में कार्य किया है।

(ii) पारिश्रमिक समिति

एलिम्को गैर लाभ अर्जित करने वाला संगठन हैं तथा धारा-8 (पहले निगमज एक्ट, 1956 की धारा 25) के तहत आती हैं। निगमज एक्ट, 2013 तथा कारपोरेट मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के साथ पठित के प्रावधानों के अनुसरण में पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया था। समिति की संरचना तथा सदस्यों की उपस्थिति नीचे दी गयी है:-

सदस्यों के नाम	सदस्य/अध्यक्ष	बैठकों की संख्या जिसमें भाग लिया
डॉ. प्रबोध सेठ	अध्यक्ष	1/1
मिस टी.सी.ए. कल्याणी	सदस्य	1/1
श्री डी. आर. सरीन	सदस्य	1/1

1.6 COMMITTEES OF THE BOARD OF DIRECTORS

Information on the Audit Committee, the CSR Committee and Remuneration Committee and meetings of those committees held during the financial year is as under:-

(i) Audit Committee

ALIMCO is a Non- Profit making organization and is covered under section 8 [erstwhile Section 25 of the Companies Act, 1956]. Pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 and read with the notifications issued by Ministry of Corporate Affairs, Corporation had constituted Audit Committee. The composition of the Committee and attendance of the members is given hereunder:

Name of Director	Member/ Chairperson	No. of Board Meeting attended
Ms. T.C.A Kalyani	Chairperson	4/4
Dr. Prabodh Seth	Member	3/4
Shri D. R. Sarin	Member	4/4

04 Meetings of the Audit Committee of the Board of Directors were held during the financial year 2017-18 on following dates: 20th June, 2017, 22th September, 2017, 20th November 2017, 23rd January 2018. Shri Amitabh Dubey Assistant Manager (Company Secretary) of the Corporation acts as the Secretary of the Committee

(ii) Remuneration Committee

ALIMCO is a Non- Profit making organization and is covered under section 8 [erstwhile Section 25 of the Companies Act, 1956]. Pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 and read with the notifications issued by Ministry of Corporate Affairs, Corporation had constituted Remuneration Committee. The composition of the Committee and attendance of the members is given hereunder:-

Name of Director	Member/ Chairperson	No. of Board Meeting attended
Dr. Prabodh Seth	Chairman	1/1
Ms. T.C.A Kalyani	Member	1/1
Shri D. R. Sarin	Member	1/1



निदेशक मंडल की पारिश्रमिक समिति की वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान तारीख 23 जनवरी, 2018 को एक बैठक आयोजित हुई थी। निगम के कंपनी सचिव (सहायक प्रबंधक), श्री अभिताभ दूबे समिति के सचिव के रूप में कार्य किया है।

(iii) सीएसआर समिति

एलिम्बको एक गैर लाभ अर्जन करने वाली निगम है तथा यह धारा-8 (पहले निगमज एक्ट, 1956 की धारा 25) के तहत कवर है। निगमज एक्ट, 2013 तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के साथ के प्रावधानों के अनुसार, निगम ने सीएस समिति का गठन किया है। समिति की संरचना तथा सदस्यों की उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है:-

सदस्यों के नाम	सदस्य/अध्यक्ष	बैठकों की संख्या जिसमें भाग लिया
डॉ. प्रबोध सेठ	अध्यक्ष	1/1
मिस टी.सी.ए. कल्याणी	सदस्य	2/2
श्री डी. आर. सरिन	सदस्य	2/2

निदेशक मंडल की सीएसआर समिति की वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान तारीख 20 जून, 2017 एवं 23 जनवरी, 2018 को दो बैठकें आयोजित हुई थी। निगम के कंपनी सचिव (सहायक प्रबंधक), श्री अभिताभ दूबे समिति के सचिव के रूप में कार्य किया है।

1.7 वार्षिक साधारण सभा की बैठकें

- (1) वार्षिक साधारण सभा की पिछली तीन बैठकों की तिथि, समय एवं आयोजन स्थल
- (क) 44वीं वार्षिक साधारण सभा 26 सितम्बर 2017 को 2.30 बजे शाम नई दिल्ली में सम्पन्न हुई थी।
- (ख) 43वीं वार्षिक साधारण सभा 08 सितम्बर 2016 को 5.50 बजे शाम नई दिल्ली में सम्पन्न हुई थी।
- (ग) 42वीं वार्षिक साधारण सभा 15 सितम्बर 2015 को 12:30 बजे अपराह्न नई दिल्ली में सम्पन्न हुई थी।

01 Meetings of the Remuneration Committee of the Board of Directors were held during the financial year 2017-18 on following dates: 23rd January 2018. Shri Amitabh Dubey Assistant Manager (Company Secretary) of the Corporation acts as the Secretary of the Committee.

(iii) CSR Committee

ALIMCO is a Non-Profit making organization and is covered under section 8 [erstwhile Section 25 of the Companies Act, 1956]. Pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 and read with the notifications issued by Ministry of Corporate Affairs from time to time, Corporation had constituted CSR Committee. The composition of the Committee and attendance of the members is given hereunder:-

Name of Director	Member/Chairperson	No. of Board Meeting attended
Dr. Prabodh Seth	Chairman	1/1
Ms. T.C.A Kalyani	Member	2/2
Shri D. R. Sarin	Member	2/2

02 Meetings of the CSR Committee of the Board of Directors were held during the financial year 2017-18 on following dates: 20th June 2017 and 23rd January 2018. Shri Amitabh Dubey Assistant Manager (Company Secretary) of the Corporation acts as the Secretary of the Committee.

1.7 GENERAL BODY MEETINGS

- (1) Date, Time and Venue of the last three AGMs :
 - (a) 44th AGM held on 26th September 2017 at 02:30 PM at New Delhi.
 - (b) 43rd AGM held on 08th September 2016 at 5:50 PM at New Delhi.
 - (c) 42nd AGM held on 15th September 2015 at 12:30 PM at New Delhi.



1.8 उद्घोषणाएं

निदेशकों के 'उत्तरदायित्व की घोषणा' में घोषित सूचनाओं के अतिरिक्त, विशेष लेखा नीतियों एवं तुलनपत्र के भागों में अन्य यथोचित उद्घोषणाएं की गई हैं।

1.9 व्हिस्टल ब्लोअर पॉलिसी

व्हिस्टल ब्लोअर पॉलिसी की रचना की गयी है और इसे निगम की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है।

1.10 निदेशकों एवं वरिष्ठ अधिकारियों के लिए आचार संहिता

डी.पी.ई. द्वारा जारी आचार संहिता एवं व्यवसायिक सिद्धांतों जोकि सार्वजनिक उपकरणों में लागू निगमित शासन 2010 के अर्न्तगत है को कम्पनी ने अपने निदेशकों एवं उच्च अधिकारियों के सन्दर्भ में अपनाया है। आचार संहिता एवं व्यवसायिक सिद्धांतों तो कम्पनी की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया गया है। निदेशकों एवं वरिष्ठ अधिकारियों ने वर्ष 2017-18 की अवधि में आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में घोषणा की है।

1.11 अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक द्वारा घोषणा

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए डी. पी. ई. द्वारा जारी आचार संहिता एवं व्यवसायिक सिद्धांतों—"Guidelines on Corporate Governance वित्त CPSEs 2010" के दिशा निर्देशों—DPE OM No. 18(8)/2005-GM, दिनांक 14 मई 2010 में जैसा कि वर्णित है, निदेशक मण्डल के सभी सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबन्धनकारियों द्वारा 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान व्यवसाय सम्बन्धी आचार संहिता एवं व्यवसायिक सिद्धांतों के अनुपालन करने के सम्बन्ध में घोषणा की गयी है।

कृते भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम के लिए
ह0 -
डी. आर. सरीन
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

1.8 DISCLOSURES

Apart from the disclosures covered in Directors' Responsibility Statement, suitable disclosures are also made in the significant accounting policies and notes to accounts forming part of the Balance Sheet.

1.9 WHISTLE BLOWER POLICY

Whistle Blower Policy has been formulated and posted on the website of the Corporation.

1.10 CODE OF CONDUCT FOR DIRECTORS AND SENIOR EXECUTIVES

The Code of Conduct and Business Ethics as suggested by DPE in its Guidelines on Corporate Governance for CPSEs 2010 has been adopted by the Company in respect of its Directors and Senior Level Executives. The Code has also been posted on the Company's Website. The Directors and the Senior Executives have given declarations affirming the compliance with the code of conduct during the year 2017-18.

1.11 DECLARATION BY CHAIRMAN AND MANAGING DIRECTOR

As provided under the Guidelines on Corporate Governance for CPSEs as contained in the DPE OM No. 18(8)/2005-GM, dated 14 May 2010, issued by Department of Public Enterprises (DPE), it is hereby declared that all Board Members and Senior Management Personnel affirmed compliance with "The Code of Business Conduct and Ethics for Board Members and Senior Management of Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India" for the year ended 31 March, 2018.

For Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India
Sd/-
D.R.SARIN
Chairman & Managing Director



संलग्नक-7

ANNEXURE-VII

रागिनी चौकसी एण्ड कम्पनी

कम्पनी सचिव

34, कामर बिल्डिंग, 5वीं मंजिल
38, कावासाजी पटेल स्ट्रीट फोर्ट,
मुम्बई-400 001 फोन : 022-22831120
E-mail : ragini@rediffmail.com / mailcsraginichokshi.com

RAGINI CHOKSHI & CO.

Company Secretary

34, Kamar Building, 5th Floor, 38
Cawasji Patel Street, Fort, Mumbai-400 001
Ph. : 022-22831120
E-mail : ragini@rediffmail.com / mailcsraginichokshi.com

निगमित अभिशासन प्रमाण पत्र

सेवा में,
सदस्यगण
भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम
जी.टी. रोड, कानपुर-209217

हमने भारी उद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालय, भारत सरकार के सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम के लिए निगमित अभिशासन हेतु जारी मार्ग निर्देशिकायें 2010 में अनुबंध शर्तों जो अनुलग्नक में दर्शाया गया है के अनुसार 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष में भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम द्वारा निगमित अभिशासन की शर्तों के अनुपालन का परीक्षण किया गया है।

निगमित अभिशासन की शर्तों के अनुपालन का उत्तरदायित्व प्रबंधन का होता है। हमारा परीक्षण उपरोक्तानुसार दिशा निर्देश में अनुबद्ध निगमित अभिशासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु निगम द्वारा अपनायी गयी प्रक्रियाओं तथा उनके क्रियान्वयन तक सीमित था। यह ना तो निगम के वित्तीय विवरण पर हमारा मत है न ही लेखा परीक्षा है।

हमारी राय में तथा हमें उपलब्ध करायी गयी जानकारी व स्पष्टीकरण के आधार पर हम एतद्वारा यह प्रमाणित करते हैं। निगम द्वारा उल्लिखित मार्गनिर्देशिकाओं में अनुबद्ध नैगमिक अभिशासन की शर्तों का अनुपालन किया गया है।

(क) निदेशक मंडल का गठन डीपीई दिशानिर्देश के पैरा-3.1.4 के अनुपालन में निगम प्रशासन पर नहीं है, चूंकि कंपनी के अपने मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या नहीं थी।

(ख) डीपीई के दिशानिर्देश के पैरा-3.7 के अनुसार निर्देशकों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम की जिम्मेदारी निगम प्रशासन पर नहीं है।

कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने तारीख 05.06.2015 की अधिसूचना के तहत कंपनी एक्ट- 2013 के कुछ प्रावधानों का अनुपालन करने से धारा-08 कंपनीज से छूट प्रदान की थी। जिसमें स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति शामिल है जबकि एलिमको कंपनीज एक्ट-2013 की धारा-08 के तहत (कंपनीज एक्ट-1956 की धारा-25 के तहत) लाभ न कमाने वाली पंजी.त कंपनी है। तदनुसार, निगम ने लेखापरीक्षा समिति तथा पारिश्रमिक समिति गठित की थी।

हम यह भी बताते हैं कि ऐसे अनुपालन निगम की भावी व्यहार्यता न ही आश्वासन है और न ही कुशलता अथवा प्रभावकारिता है जिससे प्रबंध समिति ने समिति ने निगम कार्य को निष्पादित किया है।

सीएस देवेश गोयल
पार्टनर
ह0 / -
(रागिनी चौकसी एण्ड कम्पनी)

CORPORATE GOVERNMENT CERTIFICATE

To
The Members
ARTIFICIAL MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA
G.T. Road, Kanpur-209217

We have examined the compliance of the conditions of the corporate governance by Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India for the financial year ended 31st March 2018 as stipulated in the Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises 2010 issued by the Department of Public Enterprises, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Government of India (herein after referred to as DPE Guidelines) and annexure mentioned thereunder.

The Compliance of the condition of Corporate Governance is the responsibility of the management. Our examination was limited to review the procedure and implementation Corporate Governance as stipulated in DPE Guidelines. It is neither an auditor an expression of opinion on the financial statements of the Corporation.

In our opinion and to the best of our information and according to explanation given to us and records and documents maintained by the corporation, we certify that corporation has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in DPE Guidelines except:

- The composition of the Board of Directors is not in compliance with Para 3.1.4 of the DPE Guidelines on Corporate Governance as the Company did not have requisite number of Independent directors on its Board.
- Training Programme for Directors in terms of Para 3.7 of the DPE Guidelines on Corporate Governance.

Ministry of Corporate Affairs ("MCA") vide notification dated 05.06.2015, had exempted Section 8 companies, from complying with certain provisions of the Companies Act, 2013 including Appointment of Independent Directors, whereas ALIMCO is not Profit Making Company registered under Section 8 of the Companies Act, 2013 (erstwhile Section 25 of Companies Act, 1956). Accordingly corporation had constituted audit committee and remuneration committee.

We state that compliance is neither an assurance as to the future viability of the corporation nor the efficiency of effectiveness with which management has conducted the affairs of corporation.

Sd/-
CS DIVESH GOEL
Partner
Ragini Chokshi & Co.



भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (10 वर्ष एक नजर में)

₹ (लाख में)

विवरण	यूनित	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
विक्री एवं सेवायें	₹0 लाख में	5574.24	6305.95	5763.51	8182.93	13022.77	16507.62	16270.26	18935.51	24067.23	22850.36
घटायें : जीएसटी	₹0 लाख में	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814.97
घटायें : डिस्काउंट	₹0 लाख में	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.56	290.64
निवल टर्नओवर	₹0 लाख में	5574.24	6305.95	5763.51	8182.93	13022.77	16507.62	16270.26	18935.51	23831.67	21744.75
एक जी/डब्ल्यू आई फी में परिवर्तन	₹0 लाख में	(58.22)	119.90	283.60	103.06	193.08	530.18	(1.19)	162.35	433.04	927.70
उत्पादन का मूल्य	₹0 लाख में	5516.02	6425.85	6047.11	8285.99	13215.85	17037.80	16269.07	19097.86	24500.27	23778.06
सामग्री का उपयोग (आरएम एवं स्टोर)	₹0 लाख में	2678.57	2456.48	2125.50	3355.86	6188.19	8707.82	8602.09	8916.73	12344.14	12154.31
जोडा गया मूल्य	₹0 लाख में	2837.45	3969.37	3921.61	4830.13	7027.66	8329.98	7666.98	10181.13	12156.13	11623.75
कर पूर्व लाभ	₹0 लाख में	426.31	461.57	551.03	1169.51	2351.00	3147.42	3165.38	4619.94	5573.93	5079.13
अधिशेष	₹0 लाख में	426.31	461.57	551.03	1169.51	2351.00	3147.42	3165.38	4619.94	5573.93	5079.13
इन्विंटी	₹0 लाख में	196.50	196.50	196.50	196.50	196.50	196.50	196.50	2656.95	3555.63	4322.71
संचय एवं अधिशेष-पूजीगत संचय	₹0 लाख में	2656.95	2656.95	2656.95	2656.95	2656.95	2656.95	2656.95	2656.95	2656.95	2656.95
घटायें : समाप्त जीवन पर मूल्य ह्रास	₹0 लाख में										
घटायें : पूर्व वर्षों का दण्डात्मक ब्याज	₹0 लाख में										
घटायें : पूजीगत रिजर्व में अंतरण	₹0 लाख में										
संचय एवं अधिशेष-सामान्य संचय	₹0 लाख में	(1349.87)	(888.30)	(337.28)	832.23	3183.23	6330.65	8217.45	12837.39	18411.32	22723.37
सकल अवरोध	₹0 लाख में	2483.12	2487.15	2612.91	2653.54	2933.33	3048.96	3242.94	3127.54	4141.59	4607.07
मूल्य ह्रास संचय	₹0 लाख में	1128.66	1208.98	1293.81	1380.00	1472.84	1580.71	1811.57	1904.79	2018.04	2219.91
निवल अवरोध	₹0 लाख में	1354.46	1278.17	1319.10	1273.54	1460.49	1488.25	1431.37	1222.75	2123.55	2387.16
सूची	₹0 लाख में	1896.69	1754.91	2123.22	2438.25	2979.49	3683.50	3899.02	3657.25	4300.10	5631.61
विभिन्न देनदार	₹0 लाख में	1819.18	1698.73	2520.39	752.18	749.23	3243.14	2943.89	1017.81	1277.74	1528.43
कार्यशील पूंजी	₹0 लाख में	3876.92	4317.35	6988.86	6232.84	8505.29	11573.59	14710.83	18723.22	23866.45	26223.07
नियोजित पूंजी	₹0 लाख में	5231.38	5595.52	8307.96	7506.38	9965.78	13041.84	16142.20	19945.97	25980.00	28610.23
शुद्ध सामर्थ्य	₹0 लाख में	(1153.37)	(691.80)	(140.78)	1028.73	3379.73	6527.15	8413.95	18247.36	23821.29	28133.34
अनुदान सहायता-एर्रिफ	₹0 लाख में	869.85	762.14	799.00	1151.82	2575.59	4802.50	5022.10	8411.87	8783.43	8936.00
अनुदान सहायता-एर्रिफ एस्पएसए	₹0 लाख में	1200.00	2800.00	3000.00	3000.00	2500.00	900.00	2050.00	2045.00	1934.62	3391.15
कुल अनुदान सहायता	₹0 लाख में							2200.00	2163.16	4300.00	0.00
उपलब्ध करायी गयी कुल अनुदान	₹0 लाख में	2069.85	3562.14	3799.00	4151.82	5075.59	5702.50	7072.10	12620.03	15018.05	12327.15
कर्मचारियों की संख्या		456	416	395	382	345	322	314	301	300	266
कर्मचारी लागत	₹0 लाख में	1551.02	2473.08	2672.95	3128.24	3429.58	3262.61	2934.66	2846.85	3118.37	3239.93
प्रति कर्मचारी उत्पादन का मूल्य	₹0 लाख में	12.10	15.45	15.31	21.69	38.31	52.91	51.81	63.45	81.67	89.39
प्रति कर्मचारी जोडा गया मूल्य	₹0 लाख में	6.22	9.54	9.93	12.91	20.37	25.87	24.42	33.82	40.52	43.70
प्रति शेयर आमदनी	₹0	2169.52	2348.96	2804.22	5551.70	11964.38	16017.40	16108.80	853.97	1030.31	938.85
सामझौता ज्ञापन श्रेणी			Very good		Very good	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent (श्रेणी)



ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA (TEN YEARS AT A GLANCE)

Rs. in Lacs

Particulars	Unit	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
Sales & Services	Rs. Lacs	5574.24	6305.95	5763.51	8182.93	13022.77	16507.62	16270.26	18935.51	24067.23	22850.36
Less : GST	Rs. Lacs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814.97
Less : Discount	Rs. Lacs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.56	290.64
Net Turnover	Rs. Lacs	5574.24	6305.95	5763.51	8182.93	13022.77	16507.62	16270.26	18935.51	23831.67	21744.75
Changes in FG/WIP	Rs. Lacs	(58.22)	119.90	283.60	103.06	193.08	530.18	(1.19)	162.35	433.04	927.70
Value of Production	Rs. Lacs	5516.02	6425.85	6047.11	8285.99	13215.85	17037.80	16269.07	19097.86	24500.27	23778.06
Material consumption (RM & store)	Rs. Lacs	2678.57	2456.48	2125.50	3355.86	6188.19	8707.82	8602.09	8916.73	12344.14	12154.31
Value Added	Rs. Lacs	2837.45	3969.37	3921.61	4930.13	7027.66	8329.98	7666.98	10181.13	12156.13	11623.75
Profit before Tax	Rs. Lacs	426.31	461.57	551.03	1169.51	2351.00	3147.42	3165.38	4619.94	5573.93	5079.13
Surplus	Rs. Lacs	426.31	461.57	551.03	1169.51	2351.00	3147.42	3165.38	4619.94	5573.93	5079.13
Equity	Rs. Lacs	196.50	196.50	196.50	196.50	196.50	196.50	196.50	5409.97	5409.97	5409.97
Reserve & Surplus- Capital Reserve	Rs. Lacs	2656.95	2656.95	2656.95	2656.95	2656.95	2656.95	2656.95	2656.95	3555.63	4322.71
Less: Depreciation on Expired Life	Rs. Lacs							75.98	0.00	0.00	0.00
Less: Penal interest previous years	Rs. Lacs							1202.60	0.00	0.00	0.00
Deference in Capital Reserve	Rs. Lacs							0.00	0.00	0.00	767.08
Reserve & Surplus- General Reserve	Rs. Lacs	(1349.87)	(888.30)	(337.28)	832.23	3183.23	6330.65	8217.45	12837.39	18411.32	22723.37
Gross Block	Rs. Lacs	2483.12	2487.15	2612.91	2653.54	2933.33	3048.96	3242.94	3127.54	4141.59	4607.07
Depreciation Reserve	Rs. Lacs	1128.66	1208.98	1293.81	1380.00	1472.84	1580.71	1811.57	1904.79	2018.04	2219.91
Net Block	Rs. Lacs	1354.46	1278.17	1319.10	1273.54	1460.49	1468.25	1431.37	1222.75	2123.55	2387.16
Inventory	Rs. Lacs	1896.69	1754.91	2123.22	2438.25	2979.49	3683.50	3899.02	3657.25	4300.10	5631.61
Sundry Debtors	Rs. Lacs	1819.18	1698.73	2520.39	752.18	749.23	3243.14	2943.89	1017.81	1277.74	1528.43
Working Capital	Rs. Lacs	3876.92	4317.35	6988.86	6232.84	8505.29	11573.59	14710.83	18723.22	23856.45	26223.07
Capital Employed	Rs. Lacs	5231.38	5595.52	8307.96	7506.38	9965.78	13041.84	16142.20	19945.97	25980.00	28610.23
Net Worth	Rs. Lacs	(1153.37)	(691.80)	(140.78)	1028.73	3379.73	6527.15	8413.95	18247.36	23821.29	28133.34
Grant in aid-ADIP received	Rs. Lacs	869.85	762.14	799.00	1151.82	2575.59	4802.50	5022.10	8411.87	8783.43	8936.00
Grant in aid-ADIP SSA received	Rs. Lacs	1200.00	2800.00	3000.00	3000.00	2500.00	900.00	2050.00	2045.00	1934.62	3391.15
Funds available through load under ADIP	Rs. Lacs							2200.00	2163.16	4300.00	0.00
Total Grant in aid made available	Rs. Lacs	2069.85	3562.14	3799.00	4151.82	5075.59	5702.50	7072.10	12620.03	15018.05	12327.15
No. of Employees		456	416	395	382	345	322	314	301	300	266
Employee Costs	Rs. Lacs	1551.02	2473.08	2672.95	3128.24	3429.58	3262.61	2934.66	2846.85	3118.37	3239.93
Value of Production per Employee	Rs. Lacs	12.10	15.45	15.31	21.69	38.31	52.91	51.81	63.45	81.67	89.39
Value added per Employee	Rs. Lacs	6.22	9.54	9.93	12.91	20.37	25.87	24.42	33.82	40.52	43.70
Earning per share	Rs.	2169.52	2348.96	2804.22	5951.70	11964.38	16017.40	16108.80	853.97	1030.31	938.85
MOU Rating			Very good		Very good	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent (Expected)



प्रकाश एण्ड संतोष

चाटर्ड एकाउन्टेन्ट्स

रोलेण्ड कॉम्प्लेक्स, फ्लैट नं. 8 अपर फ्लोर
वेस्कॉट बिल्डिंग, 37/17, द माल, कानपुर – 208 001
टेलीफोन : (0512) 2303565, फैक्स : 2303565
मो0 9336210926, 9415126107
ई-मेल : prakashsantoshca@gmail.com

PRAKASH & SANTOSH

CHARTERED ACCOUNTANTS

Rolland Complex Flat No. 8, Upper Floor
Westcott Building, 37/17, The Mall, Kanpur 208 001
Telephone : (0512) 2303565, Fax : 2303565
Mob. : 9336210926, 9415126107
E-mail : prakashsantoshca@gmail.com

स्वतंत्र लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन

भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम के सदस्यगण

वित्तीय विवरण पर रिपोर्ट

हमने भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (कम्पनी) के वित्तीय समेकित विवरण का लेखा परीक्षा किया है जिसमें 31 मार्च, 2018 तक का तुलन पत्र, आय-व्यय का विवरण तथा नकद प्रवाह विवरण उक्त दिनांक पर समाप्त वर्ष के लिए तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों एवं अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का एक सारांश शामिल है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए प्रबन्धन की जिम्मेदारी

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा सही एवं उचित प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (5) के अर्न्तगत निदेशक मण्डल की है। तथा निगम की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकद प्रवाह विवरण में निर्दिष्ट लेखा मानक और भारत में सामान्यतः लेखांकन सिद्धान्तों के अनुरूप विशिष्टतया अधिनियम की धारा 133 शामिल है तथा इसे कम्पनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ा जाए। इस जिम्मेदारी में डिजाइन, कार्यान्वयन और आन्तरिक नियन्त्रण के रख रखाव, वित्तीय विवरणों के प्रस्तुति और तैयार की जाने की प्रासंगिकता शामिल है। इस उत्तरदायित्व में अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप उचित लेखा अभिलेख तैयार करना कम्पनी की सम्पत्तियों को सुरक्षित रखना और धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं से बचना एवं पता लगाना, उचित लेखा नितियों का चयन और उन्हें लागू करना, अनुमान लगाना और निर्णय करना जो उचित और विवेक पूर्ण हो और आन्तरिक वित्त नियन्त्रण का उचित रखरखाव सम्मिलित है जो लेखिय अभिलेखों की पूर्णतया और शुद्धता को सुनिश्चित करे एवं शुद्ध व स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत कर सके और जो सामग्री के गलत के विवरण चाहे धोखाधड़ी अथवा गलती के कारण हो, से मुक्त हो।

लेखा परीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारी जिम्मेदारी हमारे परीक्षण के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर हमारी एक राय व्यक्त करने के लिये है।

INDEPENDENT AUDITORS REPORT

To the member of Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India

Report on Financial Statements

We have audited the accompanying financial statements of Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India ("the company"), which comprises the Balance Sheet as at 31 March 2018, the Statement of income and Expenditure Account, the Cash Flow Statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information here in after referred to as a financial statements.

Management's Responsibility for the Standalone Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation and presentation of these financial Statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014. This responsibility also includes the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provision of the Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting the frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial control, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the presentation of the financial Statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.



लेखा परीक्षा के दौरान हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखांकन और लेखा परीक्षा मानकों और अन्य को शामिल किया है। जो अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लेखा परीक्षा रिपोर्ट बनाने में जरूरी था।

हमारा लेखा परीक्षा लेखा परीक्षक के मानकों के अनुरूप विशिष्टतया अधिनियम की धारा 143(10) के अनुरूप है जिसमें उन मानकों में नैतिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उसके अनुरूप लेखा परीक्षा किया जाना एवं इन मानकों की आवश्यकतानुसार योजना बनाना और अंकेक्षण हेतु उचित आश्वासन प्राप्त करना ताकि वित्तीय विवरण गलत सामग्री से मुक्त हो।

अंकेक्षण में राशि और वित्तीय विवरण में प्रकटीकरण हेतु लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना होता है त्रुटियाँ या धोखाधड़ी के कारण सामग्री के गलत विवरण के जोखिम का आकलन सही चयनित प्रक्रियाओं के लेखा परीक्षण पर निर्भर करता है लेखा परीक्षण की प्रक्रिया में लेखा परीक्षक कम्पनी के वित्तीय विवरणों की दोषमुक्त निष्पक्ष तैयारी और प्रस्तुतिकरण सम्मिलित है ताकि वित्तीय विवरण सही व स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत करे एवं डिजाइन लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं जो कि परिस्थितियों में उचित है। कम्पनी में वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक प्रयाप्त आन्तरिक वित्तीय प्रणाली पर राय व्यक्त करने और संचालन के इस तरह के नियंत्रण की प्रभावशीलता के उद्देश्य के लिए नहीं है। इसके अलावा लेखा परीक्षा में शामिल लेखांकन नितियों के अवचित और कम्पनी के निदेशको द्वारा किये गये लेखांकन अनुमान के औचित्य का मूल्यांकन लेखा परीक्षा एवं साथ ही वित्तीय विवरण की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल है।

हमारा यह मानना है कि वित्तीय विवरण के सन्दर्भ में हमें जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त हुये हैं एवं उपलब्ध कराये गए। वह हमारी अंकेक्षण राय के लिए उचित एवं पर्याप्त है।

योग्य राय के लिए आधार

(अ) 2011-12 से संशोधित लेखांकन नीति के अनुसार जो अन्य चालू देयताओं तथा कारोबार प्राप्त योग्य से संबंधित होते हुए नोट-11 एवं नोट 6 के उपनोट संख्या-2 के साथ पठित महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या-20.6 में संदर्भित है, एडिप तथा एडिप-एसएसए योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान को यदि परेषिती (कन्साइनी) से उपयोगिता के तौर पर पावती का प्रमाण माने जाने की मान्यता है।

we have taken into account the provisions of the Act, the accounting and auditing standards and matters which are required to be included in the audit report under the provisions of the Act and the Rules made there under.

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing specified under Section 143(10) of the Act. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from materiel misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal financial control relevant to the Company's preparation and fair presentation of the financial statements that give true and fair view, in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on whether the Company has in place an adequate internal financial controls system over financial reporting and operating effectiveness of such controls. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by Company 's Directors, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our qualified audit opinion on the financial statements.

Basis for Qualified Opinion

(a) As per revised accounting policy since 2011-12 as referred in Significant Accounting Policy No. 20.6 & read with Sub Note No. 2 of Note 6 and Note 11 regarding Other Current Liabilities and Trade Receivables, Grant received under ADIP and ADIP-SSA scheme has been recognized as utilized against proof of acknowledgement from consignee. Accordingly, debit balances on account of



तदानुसार, उपयोगिता प्रमाण पत्र की ओर प्राप्त हुए नामे बाकी तथा वितरण हेतु भेजी गयी सामग्री की उपयोगिता प्रमाण पत्र के रूप में माना गया है तथा अनुदान में से घटा दिया गया है तथा इस प्रकार विविध देनदारों के रूप में प्रकट नहीं किया गया है। इसलिए अन्य चालू दायित्व तथा विविध देनदार रू0 1911.03 लाख से कम दर्शाये गये हैं।

- (ब) पट्टाधारित भूमि और/या पूर्णस्वामित्व को भूमि या पट्टाधारित शीर्षक भूमि, जो हो सकता है उनके सम्बन्धित मालिक/पट्टा दाता द्वारा निष्पादन और शीर्षक विलेख/पट्टा विलेख के पंजीकरण के अधीन है। भुवनेश्वर में शेट (जबलपुर और भुवनेश्वर की भूमि के सिवाय) उनके सम्बन्धित कानूनी शीर्षक के अभाव में परिणामी वित्तीय प्रभाव पर टिप्पणी नहीं की जा सकती। (नोट सं. 8 के नोट सं. 1.1 से 1.8 तक देखें)।

हम इस दिशा में भी ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं :

- (1) नोट नं.-8 का उप नोट-2 के अनुसार-जोकि अचल सम्पत्ति पुस्तिका के गैर रखरखाव तथा परिसम्पत्तियों, प्रधान कार्यालय कानपुर और जबलपुर इकाई के भौतिक प्रमाणीकरण के सम्बन्ध में है।
- (2) नोट 8 के उप नोट नं.-3 के अनुसार जोकि सम्पत्ति में अनुपयोगी के सम्बन्ध है।
- (3) वर्ष के दौरान ऐसे फालतू कच्चा सामान, स्टोर्स एवं स्पेयर्स और अंतिम माल को प्रावधान किया गया है, जिन्हें गत 3 वर्षों से उपयोग में नहीं लाया गया। 31.03.2018 की तिथि में कुल प्रावधान 173.58 लाख रुपये है। पूर्व वर्ष में प्रबन्धन ने अपनी सकल वसूली योग्य राशि का एक आंतरिक मूल्यांकन टीम द्वारा पुनरीक्षण करवाने का निर्णय लिया था किन्तु आज तक इस प्रकार का कोई निर्धारण नहीं करवाया गया है। परिसम्पत्तियों का कोई मूल्यांकन नहीं करवाया गया है। परिसम्पत्तियों को फालतू स्टॉक की सकल वसूली योग्य राशि को कम करके दर्शाया गया है। वांछित सूचना के अभाव में पड़ने वाले प्रभाव को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। (नोट 10 के उप नोट सं. 1 का संदर्भ लें)।
- (4) परिवर्तन हेतु की गयी व्यवस्था हेतु सामग्री के प्रावधान को पूर्व वर्षों में तदर्थ आधार पर सृजित किया गया था तथा 31 मार्च, 2018 के अनुसार 386.07 लाख रुपये की सीमा तक आगे ले जाया गया था (नोट संख्या-7 के उप नोट संख्या-3 को देखें)। निगम ने आगामी वित्तीय वर्ष में समीक्षा के प्रावधान को जारी रखा है।

Utilization Certificates received and material despatched for distribution has been considered as Utilization of Grants and deducted from the Grant and as such not disclosed as Sundry Debtors. Thus, Other Current Liabilities and Sundry Debtors are understated by Rs. 1911.03 Lacs.

- (b) The ownership and/or title of lease hold lands and/or free hold lands, as the case may be are subjects to execution and registration of title deeds/lease deeds by their respective Owner/Lessor including that in respect of shed at Bhubaneshwar (Except in respect of land at Jabalpur and Bhubaneshwar) and hence the consequential financial effect thereof due to lack of their respective legal title cannot be commented upon (refer Sub-Note No.1.1 to 1.8 of Note 8).

We also want to draw the attention towards:-

- (1) Sub Note No. 2 of Note-8 regarding non maintenance of Fixed Asset Register at H.O. Kanpur and Jabalpur unit and adjustment on account of discrepancy if any found on physical verification of Fixed Asset.
- (2) Sub Note No. 3 of Note-8 regarding impairment of Asset.
- (3) The provision, towards redundancy of stocks of Raw Materials, Store & Spares & finished goods which have not moved since last 3 years, has been made for as at 31.03.2018 is Rs. 173.58 Lacs. In earlier years the management had decided to review its net realizable value by an internal assessment team. No such assessment has been done by the management till date. The assets are understated to the extent of net realizable value of these redundant stocks and income is understated by similar amount. In absence of required information amount of impact could not be ascertained. (Refer Sub-Note No. 1 of Note-10).
- (4) Provision for material provisioned for replacement was created in earlier year on adhoc basis, carry forward to the extent of Rs. 386.07 lacs as on 31st March'18 (Refer Sub-Note 3 of Note 7). The company has continued the provision for review in next financial year.



- (5) व्यापार जमाकर्ताओं, जमानता जमाओं बयाना राशि, ग्राहकों से अग्रिम, विविध देनदारों तथा ऋणों एवं अग्रिमों शीषों के तहत पड़े हुए शेष की संबंधित पक्षों द्वारा पुष्टि किये जाने के अधीन रखा गया है। उनकी अनुपस्थिति में, वित्तीय प्रभाव को सुनिश्चित नहीं किया जा सका (नए संख्या-5 का उप नोट संख्या-1, नोट संख्या-6 का उप नोट संख्या-11 का उप नोट संख्या-3 तथा नोट संख्या-13 का उप नोट संख्या-5 को देखें)।
- (6) पिछले कई वर्षों से 217.51 लाख रुपये क्रेडिट जोकि पार्टी द्वारा विवरण उपलब्ध नहीं कराये गये है।

योग्य राय

उपरोक्त के अधीन, हमारे विचार में, और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमे दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार जहां उन योग्य रायों को जो उपर्युक्त प्रभाग में दिये हैं उपरोक्त वित्तीय विवरण में जो आवश्यक सूचनाएं दी गयीं हैं वह अधिनियम के अनुरूप है। और वह भारत में सामान्य: मान्य लेखांकन सिद्धान्तों के अनुसार सही एवं उचित स्थिति दर्शाते हैं। 31 मार्च, 2018 तक उसके आय और नकद प्रवाह उस वर्ष के समाप्ति तक हैं।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं की रिपोर्ट

1. निगम को अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत संचालन करने का लाइसेंस प्राप्त है। (पूर्व अधिनियम 1956 की धारा 25) इस लिये कम्पनियों (लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन) आदेश 2016 के खण्ड (2) (iii) जोकि भारत सरकार द्वारा कम्पनी अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (11) के अनुकूलन है उपर्युक्त रिपोर्ट जोकि विशिष्टतया पैरा 3 और 4 में दिया है पर यह आदेश लागू नहीं होगा
2. जैसा हम उचित समझते हैं निगम की बहियों एवं अभिलेखों की ऐसी जांच के आधार पर तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देशों एवं उप-निर्देशों संबंधी "अनुलग्नक-1" में, हमें दी गयी सूचनाओं तथा स्पष्टीकरण के अनुसार हम अधिनियम की धारा-143(5) के संबंध में अपनी रिपोर्ट संलग्न कर रहे हैं।

- (5) Balances lying under head Trade Creditors, Security Deposits, Earnest Money, Advance from Customers. Sundry Debtors and Loan & Advances are subject to confirmation from the respective parties. In absence of the same, financial impact (if any) could not be ascertained Refer Sub-Note 1 of Note 5, Sub-Note 4 of Note 6, Sub-Note 3 of Note 11 and Sub-Note No. 5 of Note No. 13)
- (6) A sum of Rs. 217.51 lacs is lying credit from past several years for which party wise details are not made available.

Qualified Opinion

In our opinion and to the best of our information and according to the explanation given to us, except for the effects of the matter described in the Basis for the Qualified Opinion paragraph, the aforesaid financial statements give the information required by the Act in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India of the state of affairs of the Company as at 31st March 2018, its Income over expenditure and its Cash Flows for the year ended on the date.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. The Company is Licensed to Operate under section 8 of the Companies Act 2013 (erstwhile section 25 of the Companies Act 1956) hence in view of the clause 2 (iii) the Companies (Auditor's Report) Order, 2016 ("the Order"), issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of Section 143 of the Act, the reporting requirements in respect of the matter specified vide para 3 and 4 of the said order are not applicable.
2. We are enclosing our report in terms of section 143(5) of the Act, on the basis of such checks of the books and records of the Company as we considered appropriate and according to the information and explanations given to us, in the 'Annexure-I' on the directions and sub-directions issued by the Comptroller an Auditor General of India.



3. अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा आवश्यक है, हम प्रतिवेदन करते हैं:

(अ) वे सभी जानकारी और स्पष्टीकरण हमारे पास है जो कि हमारी जानकारी और विश्वास के लिए हमारे अंकेक्षण के लिए आवश्यक थे।

(ब) हमारी राय में जैसा कि परीक्षण से ज्ञात हुआ है, निगम ने नियमानुसार अपेक्षित उचित लेखा बहियो रखी हैं। इस विषय के साथ नोट सं. 8 उप नोट-2 जोकि स्थायी सम्पत्तियों के रजिस्टर तथा उसके भौतिक सत्यापन से सम्बन्धित है निगम द्वारा रखा गया जैसा कि यह स्पष्ट होता है हमारे जांच द्वारा उन लेखों और रिटर्न जोकि हमारे अंकेक्षण के लिए जोकि भुवनेश्वर, जबलपुर, चनालोन, बेंगलोर, मुम्बई, गुवहाटी, कलकत्ता, हैदराबाद और दिल्ली की शाखाओं द्वारा पर्याप्त थे। हमारे द्वारा वहां नहीं जाया गया।

(स) इन रिपोर्ट में वर्णित तुलन पत्र, आय और व्यय खाता तथा नकद प्रवाह विवरणी लेखा बहियों से मेल खाते हैं।

(द) हमारी राय में इस रिपोर्ट में संदर्भित तुलन पत्र, आय-व्यय लेखा खाता और नगद प्रवाह विवरणी कम्पनी अधिनियम की धारा 133 के साथ कम्पनी (लेखा) नियम 2014 के नियम-7 में विनिर्दिष्ट के मानकों के अनुसार है और निम्न बातों के साथ कि वस्तुओं का मूल्यांकन अर्थात् कच्ची सामग्री भंडारण एवं पुर्जे, खुले औजार, पारगमन में सामग्री का मूल्यांकन निवल वसूली योग्य लागत की बजाय वजन औसत, जो भी कम हो, के अनुसार किया गया है। अन्य प्रत्यक्ष लागत में सामान्य लागत में सामान्य को चढ़ाने एवं उतारने का खर्च, भाड़ा एवं आदि को औसत वजन लागत के निर्धारण में नहीं जोड़ा गया है।

तैयार माल और निर्माणाधीन माल का मूल्यांकन मानक मूल्य (कारखाना मूल्य)/जोड़ने की प्रापण कीमत अथवा अनुमानित वसूली योग्य मूल्य, जो कि कम हो पर किया जाता है। मानक मूल्य वर्ष 2017-18 को निर्धारण के आधार पर है। तदनुसार (1) वस्तुओं की मूल्यांकन लेखा मानकों के अनुसार नहीं हैं (2) आय एवं व्यय लेखा तथा वर्तमान आस्तियों में इसका प्रभाव सुनिश्चित करने योग्य नहीं है।

3. As required by Section 143 (3) of the Act, we report, to the extent applicable, that:

a) We have sought and obtained all the information and explanation which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.

(b) In our opinion, proper books of account as required by law, subject to Sub-Note No. 2 of Note 8 regarding non-maintenance of Fixed Assets Register and physical verification of fixed assets, have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from the Bhubaneswar, Jabalpur, Chanalon, Banglore, Mumbai, Guwahati, Kolkata, Hyderabad and Delhi units not visited by us.

(c) The Balance Sheet, Statement of Income and Expenditure, and the Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the books of account.

(d) In our opinion, the aforesaid Financial Statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rule 2014, subject to remark that valuation of inventories i.e. Raw Materials, Stores & Spares, Loose Tools and Materials in Transit have been valued at weighted average cost as against cost or net realizable value whichever is lower. Other Direct Cost comprising loading / unloading, freight charges etc have not been considered in arriving at the weighted average cost.

Finished Good and Work-in-Progress are valued at lower Standard Cost (Factory Cost) / Procurement Cost of assembly or estimated realizable value which ever is less. The standard cost is based on the arrived for the year 2017-18. Accordingly valuation of Inventories is not as per Accounting Standard 2. Impact there of in Income & Expenditure Account and Current Assets are not ascertainable.



भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम
ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA



ISO 9001 : 2015

- (य) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 (2) के अनुसार कम्पनी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किया गया अधिसूचना नं. जीएसआर 463 (ई) दिनांक 05.06.2015 के अनुसरण में निदेशकों के निरर्हता से सम्बन्धित सरकारी कम्पनी के लिये लागू नहीं है।
- (र) निगम की वित्तीय सूचना के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता के संबंध में तथा ऐसे नियंत्रण की परिचालनीय प्रभावकता के लिए हमारी पृथक रिपोर्ट "अनुलग्नक-1" का संदर्भ लें और
- ल) कंपनीज (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षण) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किये जाने हेतु मामलों के संबंध में हमारी राय में तथा हमें मिला सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें प्राप्त स्पष्टीकरण के अनुसार:-
- (i) निगम द्वारा लम्बित मुकदमें जो वित्तीय विवरण की वित्तीय स्थिति को दर्शाती है का प्रकटीकरण किया- वित्तीय विवरण के नोट - 21 का सन्दर्भ लें।
- (ii) निगम के पास कोई लम्बी अवधि के संविदा जिसमें डेरीवेटिव्स शामिल हैं, नहीं था। जिसमें कोई सामग्री का नुकसान दिखाई पड़ा हो।
- (iii) निवेशक शिक्षण एवं संरक्षण कोष के लिए निगम द्वारा कोई निधि हस्तांतरित करने की आवश्यकता नहीं है।
- (e) In pursuance to the Notification no. GSR 463 (E) dated 05.06.2015, issued by the Ministry of Corporate Affairs, sub section (2) of section 164 of the Companies Act, 2013 pertaining to disqualification of Directors is not applicable to a Government Company.
- (f) With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate report in 'Annexure-II. and
- (g) with respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 in our opinion and to the best of our information and according to the explanation given to us:
- (i) The Company has disclosed the impact of pending litigation on its financial position in its Financial Statements - Refer Note 21 to the Financial Statements.
- (ii) The Company did not have any long-term contracts including derivatives contracts for which there were any material foreseeable losses.
- (iii) There were no amounts which required to be transferred by the Corporation to the Investor Education and Protection Fund.

कृते प्रकाश एण्ड संतोष
सनदी लेखाकार
फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 000454सी
ह0 / -

(संतोष कुमार गुप्ता) सीए
भागीदार सदस्यता सं. 016304
दिनांक : 06.07.2018
स्थान : महाबलीपुरम

For **Prakash & Santosh**
Chartered Accountants.
(Firm's Registration No. 000454C)
Sd/-

(Santosh Kumar Gupta) CA
Partner-Membership No. 016304
Date : 06.07.2018
Place : Mahabalipuram



प्रकाश एण्ड संतोष

चाटर्ड एकाउन्टेन्ट्स

रोलेण्ड कॉम्प्लेक्स, फ्लैट नं. 8 अपर फ्लोर
वेस्कॉट बिल्डिंग, 37/17, द माल, कानपुर - 208 001
टेलीफोन : (0512) 2303565, फैक्स : 2303565
मो0 9336210926, 9415126107
ई-मेल : prakashsantoshca@gmail.com

PRAKASH & SANTOSH

CHARTERED ACCOUNTANTS

Rolland Complex Flat No. 8, Upper Floor
Westcott Building, 37/17, The Mall, Kanpur 208 001
Telephone : (0512) 2303565, Fax : 2303565
Mob. : 9336210926, 9415126107
E-mail : prakashsantoshca@gmail.com

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक-1

कंपनीज एक्ट, 2013 की धारा-143 (5) के तहत निर्देश

क्र. सं.	निर्देश / उप-निर्देश	की गयी कारवाई	निगम के खातों एवं वित्तीय विवरणियों पर उनका प्रमाण
1.	क्या कंपनी के पास फ्रीहोल्ड तथा लीजहोल्ड के लिए क्रमशः अधिक स्पष्ट एवं लीजडीड है। यदि नहीं, कृपया फ्रीहोल्ड तथा लीजहोल्ड भूमि को बताये जिसके लिए हक/लीजडीड उपलब्ध नहीं है।	वार्षिक लेखों के नोट 8.1 में भूमि व भवन की समग्र स्थिति दी गयी है। इन मामलों के संबंध में जिनमें अधिकार/लीजडीड्स उपलब्ध नहीं है। क) बैंगलुरु- 3 एकड़ भूमि कंपनी को भारत सरकार द्वारा निदेशक (पिछड़ा वर्ग) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के जरिये मुफ्त में आवंटित की गयी है। ख) गुवाहाटी- 12 बीघा भूमि का निगम के नाम अभी पंजीकरण किया जाना है, यद्यपि भूमि का कब्जा कंपनी के पास है। ग) कैमूर- 2 एकड़ भूमि का पंजीकरण कंपनी के नाम में अभी किया जाना है। घ) शैड नं. एस-3/84 तथा एस-3/85 महिला तथा बाल कल्याण विभाग, ओडिशा सरकार के आदेशानुसार महिला विकास सामबया निगम द्वारा कंपनी को सौंप दिया गया है। लेकिन इसके शीर्षक का अभी तक निगम के नाम पर स्थान्तरित किया जाना बाकी है।	शून्य
2.	क्या कर्जों / ऋणों / ब्याज की माफी / बटटेखाते में डालने का कोई मामला है, यदि हां, उसके कारणों एवं उसमें शामिल राशि।	वर्ष के दौरान, कर्जों/ऋणों/ब्याज की माफी/बटटे खाते में डालने का कोई मामला नहीं हुआ है।	शून्य
3.	क्या तीसरे पक्ष के साथ पड़ी हुई सूचियों तथा सरकार अथवा अन्य प्राधिकारियों से उपहार/अनुदानों के रूप में प्राप्त आस्तियों को उचित प्रकार सुरक्षित से रखा जाता है।	दिल्ली कार्यालय से 202, 224/- रुपये कीमत का वापसी योग्य आधार पर दी गयी सामग्री के अतिरिक्त कोई स्टॉक तीसरे पक्ष के साथ नहीं पड़ा है। यह प्रदर्शनी/दर्शन हेतु था जिसका उचित प्रकार से रिकार्ड रखा गया है। सरकार अथवा अन्य किसी प्राधिकारण से कोई उपहार प्राप्त नहीं हुआ है।	शून्य

दिनांक : 06.07.2018

कृते प्रकाश एण्ड संतोष
सनदी लेखाकार
फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 000454सी
ह0/-
(संतोष कुमार गुप्ता) सीए
भागीदार एम.सं. 016304



प्रकाश एण्ड संतोष

चाटर्ड एकाउन्टेन्ट्स

रोलेण्ड कॉम्प्लेक्स, फ्लैट नं. 8 अपर फ्लोर
वेस्काट बिल्डिंग, 37/17, द माल, कानपुर – 208 001
टेलीफोन : (0512) 2303565, फ़ैक्स : 2303565
मो0 9336210926, 9415126107
ई-मेल : prakashsantoshca@gmail.com

PRAKASH & SANTOSH

CHARTERED ACCOUNTANTS

Rolland Complex Flat No. 8, Upper Floor
Westcott Building, 37/17, The Mall, Kanpur
Telephone : (0512) 2303565, Fax : 2303565
Mob. : 9336210926, 9415126107
E-mail : prakashsantoshca@gmail.com

Annexure-I to the Auditor's Report

Directions under Section 143 (5) of the Companies Act, 2013

S. No.	Director/Sub-directions	Action taken	Impact there of on the accounts and financial statements of the Corporation
1.	Whether the company has clear title/lease deeds for freehold and leasehold respectively. If not, please state the area of freehold and leasehold land for which the title/lease deeds are not available	The entire status of Land & Building has been given in Note 8.1 the annual accounts. In respect of cases where title/lease deeds are not available:- (a) Bengaluru - Land measuring 3 acres has been allotted to the Company by Government of India through Director (Backward Classes), Ministry of Social Justics & Empowerment free of cost. (b) Guwahati - Land measuring 12 Bighas are yet to be registered in the name of the corporation although the land is in possession of the company. (c) Kaimur - Land measuring 2 acres is yet to be registered in the name of the company. (d) Shed No. S-3/84 and S-3/85 has been handed over the company by Mahila Vikas Samabaya Nigam as per order of Department of Women and Child Welfare, Government of Orissa but the title of the same are yet to be transferred in the name of the corporation.	Nil
2.	There are any cases of waiver / writer off of debts/loans/interest etc. if yes, the reasons there for the and the amount involved.	During the year there, are no case of waiver / write off of debts/loans/interest etc.	Nil
3.	Whether proper records are maintained for inventories lying with third parties & assets received as gift/grant (s) from Govt. or other authorities.	No Stock is lying with third party except material given on returnable basis from Delhi Office worth Rs. 202, 224/- for exhibition / display, for which proper record has been maintained. No gift has been received from Govt. or other authorities.	Nil

Date : 06.07.2018

For Prakash & Santosh
Chartered Accountants.
(Firm's Registration No. 000454C)
Sd/-
Santosh Kumar Gupta CA
Partner-Membership No. 016304



प्रकाश एण्ड संतोष

चाटर्ड एकाउन्टेन्ट्स

रोलेण्ड कॉम्प्लेक्स, फ्लैट नं. 8 अपर फ्लोर
वेस्कॉट बिल्डिंग, 37/17, द माल, कानपुर – 208 001
टेलीफोन : (0512) 2303565, फ़ैक्स : 2303565
मो0 9336210926, 9415126107
ई-मेल : prakashsantoshca@gmail.com

PRAKASH & SANTOSH

CHARTERED ACCOUNTANTS

Rolland Complex Flat No. 8, Upper Floor
Westcott Building, 37/17, The Mall, Kanpur-208 001
Telephone : (0512) 2303565, Fax : 2303565
Mob. : 9336210926, 9415126107
E-mail : prakashsantoshca@gmail.com

लेखा परीक्षको की रिपोर्ट का संलग्नक-II

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा-143 की उपधारा-3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट,

भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम के वित्तीय विवरणों को समाप्त वर्ष के लिए 31 मार्च 2018 तक हमारे लेखापरीक्षा के साथ वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा परीक्षा किया गया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों हेतु प्रबंधन उत्तरदायित्व

भारतीय चार्टरित लेखाकार संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा वित्तीय सूचनाओं के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के परीक्षा पर मार्गदर्शन में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय सूचनाओं के मानदंड के ऊपर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने तथा बनाये रखने के लिए कंपनी का प्रबंधन उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन तथा रख रखाव शामिल है जिससे इसके कारोबार के आदेश तथा दक्ष संचालन को सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी ढंग से प्रचालित किये जा रहे थे, कंपनी की नीतियों का समर्थन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी तथा भूलों की रोकथाम एवं खोज, लेखा अभिलेखा की शुद्धता तथा पूर्णता तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत अपेक्षित, विश्वसनीय वित्तीय सूचनाओं की समय पर तैयारी भी शामिल है।

लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व वित्तीय सूचना के ऊपर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर किये गये हमारे लेखा परीक्षा के आधार पर राय व्यक्त करना है। आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय सूचना के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा-परीक्षा पर मानकों तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की

Annexure-II to the Auditor's Report

Report on the internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the act")

We have audited the internal financial controls over financial reporting Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India (The Company) as of 31 March 2018 in conjunction with our audit of the financial statements of the Corporation for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Company management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of Internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business including, adherence to company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditors Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial



धारा -143 (10) के अधीन निर्धारित किये जाने के अनुसार हम अपना लेखा परीक्षा आयोजित करते हैं। यह भारतीय चार्टरित लेखाकार संस्थान द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षा पर लागू होता है। उन मानकों तथा परामर्श नोट में अपेक्षा है कि हम नीति परक आवश्यकताओं, तथा योजना का अनुपालन करते हैं तथा उचित आश्वासन प्राप्त करने हेतु हम लेखा परीक्षा करते हैं। क्या वित्तीय सूचना के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त रूप से स्थापित एवं बनाये रखा गया था और क्या सभी संबंधित सामग्रियों में प्रभावी ढंग से ऐसे नियंत्रण प्रचालित किये गये।

हमारे लेखा परीक्षा में वित्तीय सूचना के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की व्याख्या प्राप्त करना, जोखिम जो सामग्री में कमजोरी विद्यमान है, का निर्धारण करना एवं परीक्षण करना तथा डिजाइन का मूल्यांकन करना और निर्धारित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की प्रभावोक्तता का प्रचालन करना शामिल था। चयनित प्रक्रियाएँ लेखा-परीक्षकों के फैसले पर निर्भर करता है; जिसमें सामग्री के जोखिमों का निर्धारण, वित्तीय विवरणियों का गलत विवरण, जो धोखाधड़ी अथवा त्रुटि हेतु प्राप्य हो, शामिल है।

हमें विश्वास है कि हमने जो साक्ष्य प्राप्त किया है वह वित्तीय सूचना के ऊपर कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर अपनी राय देने का पर्याप्त तथा समुचित आधार प्रदान करता है।

वित्तीय सूचना के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

वित्तीय सूचना के ऊपर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखा प्रणाली के अनुसार बाहरी प्रयोजनों हेतु वित्तीय सूचना की विश्वसनीयता तथा वित्तीय विवरणियों की तैयारी के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए तैयार की गयी प्रक्रियाएँ शामिल होती है कि (1) अभिलेखों के रख-रखाव से संबंधित जो उचित विवरण, सही ढंग से तथा उचित प्रकार से कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन तथा निपदान को प्रदर्शित करता है, (2) समुचित आश्वासन प्रदान करता है कि सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुसार वित्तीय विवरणियों को तैयार करने की अनुमति हेतु यथावश्यक लेन देन का अभिलेख रखा जाता है तथा कंपनी की आय तथा व्यय का, प्रबंधन

Reporting (the "Guidance Note") and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed u/s 143 (10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls and, both issued by the Institute of Chartered Accountant of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate Internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness, Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal controls based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Companies' internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

A Company's Internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purpose in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of the records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted



तथा कंपनी के निदेशक के अधिकरण के अनुसार, विवरण रखा जाता है तथा (3) निगम की परिसंपत्तियों के अनाधिकृत अधिग्रहण, उपयोग अथवा निपटान की रोकथाम अथवा प्रदान करता है जिसका वित्तीय विवरणियों पर भौतिक प्रभाव हो सकेगा।

वित्तीय सूचना के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमायें

वित्तीय सूचना के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, भूल अथवा धोखाधड़ी हो जाने पर तथा पता न लगने की स्थिति में नियंत्रणों, भौतिक गलत बयानियों को अभिभूत करके सांठ-गांठ अथवा अनुचित प्रबंधन की सभा बना शामिल है। भविष्य की अवधि हेतु वित्तीय सूचना के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन का प्रेक्षण भी जोखिम के अधीन है कि वित्तीय सूचना के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है अथवा कि नीतियों अथवा प्रक्रियाओं के अनुपालन की मात्रा विकृत हो सकती है।

अभिमत

हमारी राय में, निगम के पास सभी भौतिक मामलों में, वित्तीय सूचना के ऊपर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली हैं तथा 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार वित्तीय सूचना के ऊपर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का प्रभावी ढंग से प्रचालित किया जा रहा था, निगम द्वारा भारतीय चार्टरित लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय सूचना पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा परीक्षा संबंधी परामर्शी नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करके वित्तीय सूचना पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के आधार पर मानदंड स्थापित किये गये थे।

कृते प्रकाश एण्ड संतोष
सनदी लेखाकार
फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 000454सी
ह0 / -

(संतोष कुमार गुप्ता) सीए
भागीदार सदस्यता सं. 016304
दिनांक : 06.07.2018

accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorisations of management and directors of the company's; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorised acquisition, use or disposition of the company's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of change in condition, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion the Corporation has in all material respects and adequate in internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at 31st March 2018 based on the internal controls over financial reporting criteria established by the company considering the essential components of internal controls. Stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Control over financial reporting issued by the Institute of Chartered Accountant of India.

For Prakash & Santosh
Chartered Accountants.
(Firm's Registration No. 000454C)
Sd/-

(Santosh Kumar Guta) CA
Partner-Membership No. 016304
Date : 06.07.2018



भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर

31 मार्च 2018 का तुलन पत्र

(रु. लाख में)

क्र.सं.	विवरण	संलग्नक नं.	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
	इक्विटी और देयताएँ			
	अंशधारियों का कोष			
(ए)	अंशपूँजी	1	5,409.97	5,409.97
(बी)	आरक्षित एवं अधिशेष	2	27,046.08	21,966.95
			32,456.05	27,376.92
	गैर चालू दायित्व			
(ए)	लम्बी अवधि के ऋण	3	0.00	0.00
(बी)	लम्बी अवधि के प्रावधान	4	0.00	0.00
			0.00	0.00
	चालू दायित्व			
(ए)	व्यापारिक देनदारी	5	3,497.21	2,077.36
(बी)	अन्य चालू दायित्व	6	8,902.80	7,743.67
(सी)	छोटी अवधि के प्रावधान	7	1,460.90	1,108.40
			13,860.91	10,929.43
	योग		46,316.96	38,306.35
	सम्पत्ति			
	गैर चालू सम्पत्तियाँ			
(ए)	अचल सम्पत्ति			
(ii)	मूर्त सम्पत्ति	8	2,368.21	2,099.27
(iii)	अमूर्त सम्पत्ति		18.95	24.28
(iii)	पूँजी प्रगति का कार्य		2,787.68	469.49
(iv)	विकास के तहत अमूर्त सम्पत्ति		0.00	0.00
(v)	अचल सम्पत्ति को बिक्री के लिए रखना		0.00	0.00
			5,174.84	2,593.04
(बी)	दीर्घ अवधि ऋण एवं अग्रिम	9	1,058.14	927.43
	योग गैर चालू सम्पत्तियाँ		6,232.98	3,520.47
	चालू सम्पत्तियाँ			
(ए)	रहतिया	10	5,631.61	4,300.10
(बी)	व्यापारिक प्राप्तियाँ	11	1,528.43	1,277.74
(सी)	नगद एवं नगद के समतुल्य	12	31,425.61	28,390.70
(डी)	अल्पकालिक ऋण और अग्रिम	13	863.65	306.91
(ई)	अन्य चालू सम्पत्तियाँ	14	634.68	510.43
	योग चालू सम्पत्तियाँ		40,083.98	34,785.88
	योग		46,316.96	38,306.35
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	20		
	वित्तीय विवरण के लिए अतिरिक्त जानकारी	21		
	वित्तीय व्यक्तियों का हिस्सा बनाने के नोट का उल्लेख			

ह0/-

(अतुल रुस्तगी)

उप-महाप्रबन्धक (वित्त)

ह0/-

टी. सी. ए. कल्याणी

निदेशक

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

ह0/-

डी. आर. सरीन

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

हमारे समतिथि के संलग्न प्रथक प्रतिवेदन के अनुसार

कृते प्रकाश एण्ड संतोष

सनदी लेखाकर, एफ. आर. एन. 000454सी

ह0/-

(संतोष कुमार गुप्ता)

पार्टनर, सदस्यता सं. 016304

स्थान : महाबली पुरम

दिनांक : 06.07.2018



भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम
ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA



ISO 9001 : 2015

ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA

BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2018

(RS IN LACS)

S. NO.	PARTICULARS	NOTE NO.	AS AT 31ST MARCH 2018	AS AT 31ST MARCH 2017
	<u>EQUITY AND LIABILITIES</u>			
	SHAREHOLDERS' FUNDS			
(a)	Share Capital	1	5,409.97	5,409.97
(b)	Reserves and Surplus	2	27,046.08	21,966.95
			32,456.05	27,376.92
	NON-CURRENT LIABILITIES			
(a)	Long-term Borrowings	3	0.00	0.00
(b)	Long-term Provisions	4	0.00	0.00
			0.00	0.00
	CURRENT LIABILITIES			
(a)	Trade Payables	5	3,497.21	2,077.36
(b)	Other Current Liabilities	6	8,902.80	7,743.67
(c)	Short-term Provisions	7	1,460.90	1,108.40
			13,860.91	10,929.43
	TOTAL		46,316.96	38,306.35
	<u>ASSETS</u>			
	NON-CURRENT ASSETS			
(a)	Fixed Assets			
(i)	Tangible Assets	8	2,368.21	2,099.27
(ii)	Intangible Assets		18.95	24.28
(iii)	Capital Work-in-Progress		2,787.68	469.49
(iv)	Intangible Assets Under Development		0.00	0.00
(v)	Fixed Assets held for Sale		0.00	0.00
			5,174.84	2,593.04
(b)	Long Term Loans & Advances	9	1,058.14	927.43
	TOTAL NON CURRENT-ASSETS		6,232.98	3,520.47
	CURRENT ASSETS			
(a)	Inventories	10	5,631.61	4,300.10
(b)	Trade Receivables	11	1,528.43	1,277.74
(c)	Cash and Cash Equivalents	12	31,425.61	28,390.70
(d)	Short-term Loans and Advances	13	863.65	306.91
(e)	Other Current Assets	14	634.68	510.43
	TOTAL CURRENT-ASSETS		40,083.98	34,785.88
	TOTAL		46,316.96	38,306.35
	SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	20		
	ADDITIONAL INFORMATION TO THE FINANCIAL STATEMENT	21		
	REFER NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS			

Sd/-
(ATUL RUSTAGI)
DGM - FIN

Sd/-
(T.C.A. KALYANI)
DIRECTOR

FOR AND ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS

Sd/-
(D.R.SARIN)
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE ATTACHED
FOR PRAKASH & SANTOSH
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN - 000454C

Sd/-
(CA. SANTOSH KUMAR GUPTA)
PARTNER
MEMBERSHIP NO. 016304

PLACE : Mahabalipuram
DATED : 06.07.2018



भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर

**31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष का
आय एवं व्यय विवरण**

(रु. लाख में)

क्र. सं.	विवरण	संलग्नक सं.	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिये	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिये
(ए)	सतत् संचालन आय			
(i)	संचालन से राजस्व	15	22,850.36	24,067.23
(ii)	घटाया : जीएसटी		814.97	0.00
(iii)	घटाया : छूट	15	290.64	235.56
(iv)	संचालन से राजस्व		21,744.75	23,831.67
(v)	अन्य आय	16	2,712.72	838.55
	कुल राजस्व		24,457.47	24,670.22
(बी)	व्यय			
(i)	उपभोग माल की लागत	17a	11,942.64	12,087.81
(ii)	तैयार माल और कार्य में प्रगति रहितिया में परिवर्तन	17b	(927.70)	(433.04)
(iii)	कर्मचारी लाभ व्यय	18	3,239.93	3,118.37
(iv)	हास	8	201.87	123.41
(v)	अन्य व्यय	19	4,921.60	4,199.74
	कुल व्यय		19,378.34	19,096.29
	गैरमामूली और गैरमामूली वस्तुएँ एवं कर के पूर्व आय (व्यय)		5,079.13	5,573.93
	असाधारण वस्तुएँ		0.00	0.00
	गैरमामूली वस्तुएँ एवं कर के पूर्व आय (व्यय)		5,079.13	5,573.93
	असाधारण वस्तुएँ		0.00	0.00
	आय (व्यय) कर पूर्व		5,079.13	5,573.93
	कर व्यय		0.00	0.00
	व्यय पर आय का अधिक्य		5,079.13	5,573.93
	आय को अंतरित आधुनिकीकरण व्यय पर बढ़ा ब्याज		737.37	0.00
	आय एवं व्यय खाता में सरप्लस		4,341.76	5,573.93
	प्रति अंश लाभ (प्रत्येक रु 1000/-) (बुनियादी और घुलनशील)		938.85	1,030.31
	इक्टिवी शेयरों की कुल संख्या		540,997	540,997
	महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	20		
	वित्तीय विवरण के लिये अतिरिक्त जानकारी	21		
	वित्तीय व्यक्तियों का हिस्सा बनाने के नोट का उल्लेख			

ह0/-

(अतुल रुस्तगी)

उप-महाप्रबन्धक (वित्त)

ह0/-

टी. सी. ए. कल्याणी

निदेशक

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

ह0/-

डी. आर. सरीन

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

हमारे समतिथि के संलग्न प्रथक प्रतिवेदन के अनुसार

कृते प्रकाश एण्ड संतोष

सनदी लेखाकर, एफ. आर. एन. 000454सी

ह0/-

(संतोष कुमार गुप्ता)

पार्टनर, सदस्यता सं. 016304

स्थान : महाबली पुरम

दिनांक : 06.07.2018



**ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA
KANPUR**

STATEMENT OF INCOME AND EXPENDITURE
FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2018

(RS IN LACS)

S. NO.	PARTICULARS	NOTE NO.	FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2018	FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2017
CONTINUING OPERATIONS				
A	INCOME			
(i)	Revenue from Operations	15	22,850.36	24,067.23
(ii)	Less: GST		814.97	0.00
(iii)	Less: Discount	15	290.64	235.56
(iv)	Revenue from Operations		21,744.75	23,831.67
(v)	Other Income	16	2,712.72	838.55
	TOTAL REVENUE		24,457.47	24,670.22
B	EXPENSES			
(i)	Cost of Materials Consumed	17a	11,942.64	12,087.81
(ii)	Changes in Inventories of Finished Goods & Work-in-Progress	17b	(927.70)	(433.04)
(iii)	Employee Benefits Expense	18	3,239.93	3,118.37
(iv)	Depreciation	8	201.87	123.41
(v)	Other Expenses	19	4,921.60	4,199.74
	TOTAL EXPENSES		19,378.34	19,096.29
	INCOME (EXPENDITURE) BEFORE EXCEPTIONAL AND EXTRAORDINARY ITEMS AND TAX		5,079.13	5,573.93
	Exceptional Items		0.00	0.00
	INCOME (EXPENDITURE) BEFORE EXTRAORDINARY ITEMS AND TAX		5,079.13	5,573.93
	Extraordinary Items		0.00	0.00
	INCOME (EXPENDITURE) BEFORE TAX		5,079.13	5,573.93
	TAX EXPENSE		0.00	0.00
	EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE		5,079.13	5,573.93
	Transfer to:			
	Interest Capitalized on Modernization Expenses		737.37	0.00
	Surplus in Income & Expenditure Account		4,341.76	5,573.93
	EARNINGS PER SHARE (OF RS. 1000/- EACH) (BASIC & DILUTED) - Rs.		938.85	1,030.31
	TOTAL NO. OF EQUITY SHARES		540,997	540,997
	SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	20		
	ADDITIONAL INFORMATION TO THE FINANCIAL STATEMENT	21		
	REFER NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENT			

FOR AND ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS

Sd/-
(ATUL RUSTAGI)
DGM - FIN

Sd/-
(T.C.A. KALYANI)
DIRECTOR

Sd/-
(D.R.SARIN)
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE ATTACHED
FOR **PRAKASH & SANTOSH**
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN - 000454C

Sd/-
(CA. SANTOSH KUMAR GUPTA)
PARTNER
MEMBERSHIP NO. 016304

PLACE : Mahabalipuram
DATED : 06.07.2018



भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर

31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष का
नगद प्रवाह विवरण

(रु लाख में)

क्र सं.	विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिये		31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिये	
अ	संचालित गतिविधियाँ से नगद प्रवाह आय और व्यय के रूप में शुद्ध अधिशेष प्रवाह विवरण		5,079.13		5,573.93
	समायोजन हेतु:-				
	ह्यस एवं परिशोधन	201.87			
	आधुनिकरण के लिए संचय बनाया गया	0.00		123.41	
	अनुदान सहायता के खिलाफ परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास को बड़े खाते में डाला ब्याज से आय	0.00		898.68	
	अन्य गैर परिचालन आय	(1,588.36)		0.00	
	सम्पत्तियों की बिक्री से आय			(633.96)	
			(1386.49)	(1.08)	
	संचालन लाभ/(हानि) कार्यशील पूंजी में परिवर्तन पूर्व कार्यशील पूंजी में परिवर्तन :-		3,692.64		387.05
	समायोजन हेतु वृद्धि/कमी संचालित परिसम्पत्तियों में रहतिया	(1,331.51)		(642.85)	
	व्यापारिक प्राप्तियाँ	(250.69)		(259.93)	
	अल्पकालिक ऋण ओर अग्रिम	(556.74)		474.24	
	अन्य मौजूदा परिसम्पत्तियाँ	(124.25)		(112.61)	
	अन्य गैर मौजूदा परिसम्पत्तियाँ	0.00		0.00	
			(2,263.19)		(541.15)
			1,429.45		5,419.83
	समायोजन हेतु वृद्धि/(कमी) संचालित देनदारियों में ह्यस				
	व्यापारिक देनदारियाँ	1,419.85		480.92	
	अन्य मौजूदा देनदारियाँ	1,159.13		2,433.43	
	अल्पकालिक प्रावधान	352.50		275.85	
	दीर्घकालिक प्रावधान	0.00		0.00	
			2,931.48		3,190.20
	संचालन द्वारा उत्पन्न नगदी		4,360.93		8,610.03
	शुद्ध नगदी प्रवाह/में प्रयुक्त संचालन गतिविधियाँ (अ)		4,360.93		8,610.03

क्रमशः



**ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA
KANPUR**

CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2018

RS IN LACS

S. NO.	PARTICULARS	FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2018		FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2017	
A	CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITY				
	NET SURPLUS AS PER INCOME AND EXPENDITURE STATEMENT		5,079.13		5,573.93
	<i>Adjustments for:</i>				
	Depreciation and amortisation	201.87		123.41	
	Reserve created for Modernization	0.00		898.68	
	Depreciation written off on assets adjusted against GIA / otherwise	0.00		0.00	
	Interest income	(1,588.36)		(633.96)	
	Other non Operating Income			(1.08)	
	Profit on Sale of assets		(1386.49)		387.05
	Operating profit / (loss) before working capital changes		3,692.64		5,960.98
	<i>Changes in working capital:</i>				
	<i>Adjustments for (increase) / decrease in operating assets:</i>				
	Inventories	(1,331.51)		(642.85)	
	Trade receivables	(250.69)		(259.93)	
	Short-term loans and advances	(556.74)		474.24	
	Other current assets	(124.25)		(112.61)	
	Other non-current assets	0.00		0.00	
			(2,263.19)		(541.15)
			1,429.45		5,419.83
	<i>Adjustments for increase / (decrease) in operating liabilities:</i>				
	Trade payables	1,419.85		480.92	
	Other current liabilities	1,159.13		2,433.43	
	Short-term provisions	352.50		275.85	
	Long-term provisions	0.00		0.00	
	Cash generated from operations		2,931.48		3,190.20
	Net cash flow from / (used in) operating activities (A)		4,360.93		8,610.03

Contd.



भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर

31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष का
नगद प्रवाह विवरण

क्रमशः

(रु लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिये		31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिये	
अ.	संचालित गतिविधियाँ से नकदी प्रवाह पिछला अग्रणीत		4,360.93		8,610.03
ब.	निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह अचल सम्पत्ति पर पूंजीगत व्यय जिसमें मूर्त एवं अमूर्त सम्पत्ति शामिल है पूंजीगत कार्य प्रगति एवं पूंजीगत अग्रिम अचल सम्पत्ति की बिक्री से आय प्राप्त ब्याज अन्य गैर परिचालन निवेश गतिविधियों द्वारा शुद्ध गतिविधियों (बी)	(465.48) (2,448.90) 0.00 1,588.36		(1,024.38) (438.58) 1.25 633.96	
स.	वित्तपोषित गतिविधियों से नकदी प्रवाह		0.00		0.00
द.	नकद और नकद समतुल्य में शुद्ध वृद्धि (कमी) (ए+बी+सी)		3,034.91		7,782.28
ई.	वर्ष के प्रारम्भ पर नकद और नकद समतुल्य (नोट-12 में देखें)		28,390.70		20,608.42
फ.	वर्ष के समाप्ति पर नकद और नकद समतुल्य (नोट-12 में देखें)		31,425.61		28,390.70

नोट :-

अ. "नकद प्रवाह विवरणी" संबंधी लेखांकन मानकों में निर्धारित अप्रत्यक्ष तरीका" के तहत नकद प्रवाह को तैयार किया गया है।

ब. जहाँ कहीं आवश्यक हुआ, पहले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहबद्ध तथा पुनः व्यवस्थित किया गया है।

साथ में दिया गया नोट्स वित्तीय विवरणियों का प्रमुख भाग है।

₹0/-

(अतुल रुस्तगी)

उप-महाप्रबन्धक (वित्त)

₹0/-

टी. सी. ए. कल्याणी

निदेशक

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

₹0/-

डी. आर. सरीन

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

हमारे समतिथि के संलग्न प्रथक प्रतिवेदन के अनुसार

कृते प्रकाश एण्ड संतोष

सनदी लेखाकर, एफ. आर. एन. 000454सी

₹0/-

(संतोष कुमार गुप्ता)

पार्टनर, सदस्यता सं. 016304

स्थान : महाबली पुरम

दिनांक : 06.07.2018



**ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA
KANPUR**

CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2018

Contd....

RS IN LACS

S. NO.	PARTICULARS	FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2018		FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2017	
A	<u>CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES</u>				
	Brought forward		4,360.93		8,610.03
B	<u>CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES</u>				
	Capital expenditure on Fixed Asset including Tangible and Intangible	(465.48)		(1,024.38)	
	Capital WIP & Capital Advances	(2,448.90)		(438.58)	
	Proceeds from sale of fixed assets	0.00		1.25	
	Interest Received	1,588.36	(1,326.02)	633.96	(827.75)
	Other Non Operating Income				
	Net cash flow from investing activities (B)				
C	<u>CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES</u>		0.00		0.00
D	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH & CASH EQUIVALENT A+B+C		3,034.91		7,782.28
E	CASH & CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR (Refer Note 12)		28,390.70		20,608.42
F	CASH & CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR (Refer Note 12)		31,425.61		28,390.70

Notes :-

- A** The Cash Flow has been prepared under "Indirect Method" as set out in the Accounting Standard 3 on "Cash Flow Statement".
- B** Previous year figures have been regrouped and re-arranged, wherever necessary.

Accompanying Notes are an integral part of the Financial Statements

Sd/-
(ATUL RUSTAGI)
DGM - FIN

Sd/-
(T.C.A. KALYANI)
DIRECTOR

FOR AND ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS

Sd/-
(D.R.SARIN)
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR
AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE ATTACHED
FOR **PRAKASH & SANTOSH**
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN - 000454C

Sd/-
(CA. SANTOSH KUMAR GUPTA)
PARTNER
MEMBERSHIP NO. 016304

PLACE : Mahabalipuram
DATED : 06.07.2018



भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर

वित्तीय विवरण का हिस्सा बनाने के नोट्स

नोट 1 : अंश पूँजी

(रु लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2018 को		31 मार्च 2017 को	
		अंशों की संख्या	मूल्य (रु लाख में)	अंशों की संख्या	मूल्य (रु लाख में)
अ)	अधिकृत प्रत्येक रु 1000 के 600000 इक्विटी शेयर (गतवर्ष 600000 मतदान के अधिकार सहित प्रत्येक 1000 के इक्विटी शेयर)	600000	6,000.00	600000	6,000.00
ब)	निर्गमित प्रत्येक रु 1000 के 540997 इक्विटी शेयर (गतवर्ष 540997 मतदान के अधिकार सहित प्रत्येक 1000 के इक्विटी शेयर)	540997	5,409.97	540997	5,409.97
स)	सदस्यता और पूर्ण भुगतान किया प्रत्येक रु 1000 के 540997 इक्विटी शेयर (गतवर्ष के अधिकार के साथ प्रत्येक रु 1000 के 540997 इक्विटी शेयर)	540997	5,409.97	540997	5,409.97
	योग	540997	5,409.97	540997	5,409.97

नोट :

(i) प्रारम्भ और समाप्ति की आख्या पर शेयर और बकाया राशि की संख्या का पुनःमिलान (रु लाख में)

विवरण	प्रारम्भ शेष	नये निर्गमन	बोनस	इएसओपी	रूपान्तरण	क्रय वापसी	अन्य परिवर्तन	अन्तिम शेष
इक्विटी शेयर निर्गमित, पूर्ण भुगतान एवं जारी								
31 मार्च 2018 की समाप्ति								
—अंशों की संख्या	540997	-	0	-	0	-	0	540997
—राशि रु (1000- / प्रति)	5409.97	-	0	-	0	-	0	5409.97
31 मार्च 2017 की समाप्ति								
—अंशों की संख्या	540997	-	0	-	0	-	0	540997
—राशि रु (1000- / प्रति)	5409.97	-	0	-	0	-	0	5409.97

(ii) प्रत्येक 5 प्रतिशत से अधिक अंश धारकों द्वारा धारित शेयरों का विवरण

अंशों का प्रकार/ अंश धारकों का नाम	31 मार्च 2018 को		31 मार्च 2017 को	
	धारित अंशों की संख्या	उस वर्ग में रखे गये अंश का प्रतिशत	अंशों की संख्या	उस वर्ग में रखे गये अंश का प्रतिशत
इक्विटी शेयर				
भारत के राष्ट्रपति	540994	99.99%	540994	99.99%

जारी कुल 5,40,997 अंशों में से, 5,40,994 अंश भारत के राष्ट्रपति के नाम रखे गये हैं तथा शेष अंश धारक सरकार के नामिनी हैं।



**ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA
KANPUR**

NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS

NOTE 1 : SHARE CAPITAL

RS IN LACS

S. NO.	PARTICULARS	AS AT 31ST MARCH'2018		AS AT 31ST MARCH'2017	
		NUMBER OF SHARES	AMOUNT (RS. IN LACS)	NUMBER OF SHARES	AMOUNT (RS. IN LACS)
(a)	AUTHORIZED 600000 Equity Shares of Rs. 1000 each (PY 600000 Equity Shares of Rs 1000 each)	600000	6,000.00	600000	6,000.00
(b)	ISSUED 540997 Equity Shares of Rs.1000 each (PY 540997 Equity Shares of Rs 1000 each)	540997	5,409.97	540997	5,409.97
(c)	SUBSCRIBED AND FULLY PAID UP 540997 Equity Shares of Rs.1000 each (PY 540997 Equity Shares of Rs 1000 each)	540997	5,409.97	540997	5,409.97
	TOTAL	540997	5,409.97	540997	5,409.9

Notes:

(i) Reconciliation of the number of shares and amount outstanding at the beginning and at the end of the reporting

(RS. IN LACS)

PARTICULARS	OPENING BALANCE	FRESH ISSUE	BONUS	ESOP	CON-VERSION	BUY BACK	OTHER CHANGES	CLOSING BALANCE
EQUITY SHARES								
Issued, Subscribed & Fully Paid Up								
Year ended 31 March, 2018								
- Number of shares	540997	-	0	-	0	-	0	540997
- Amount (Rs. 1000/- each)	5409.97	-	0	-	0	-	0	5409.97
Year ended 31 March, 2017								
- Number of shares	540997	-	0	-	0	-	0	540997
- Amount (Rs. 1000/- each)	5409.97	-	0	-	0	-	0	5409.97

(ii) Details of shares held by each shareholder holding more than 5% shares:

CLASS OF SHARES/ NAME OF SHARE HOLDER	AS AT 31ST MARCH' 2018		AS AT 31ST MARCH' 2017	
	NUMBER OF SHARES HELD	% HOLDING IN THAT CLASS OF	NUMBER OF SHARES	% HOLDING IN THAT CLASS OF
EQUITY SHARES				
President of India	540994	99.99%	540994	99.99%

Out of the total 540997 shares issued , 540994 shares are held in the name of President of India and balance shareholders are Government nominees.



भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर
वित्तीय विवरण का हिस्सा बनाने के नोट्स

नोट 2 : संचय एवं अधिशेष

(रू लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
(a)	पूँजी संचय		
(i)	राष्ट्रीय सुरक्षा कोष से अनुदान प्रारम्भिक शेष (नीचे दिये गये 2.1 का संदर्भ) जोड़े : वर्ष के दौरान अतिरिक्त वृद्धि (विवरण दिये गये) घटाया : वर्ष के दौरान इस्तेमाल / स्थान्तरित (विवरण दिये गये)	400.00 0.00 0.00	400.00 0.00 0.00
	अन्तिम शेष (ए)	400.00	400.00
(ii)	एम.ओ.एस.जे.ई. भारत सरकार द्वारा आधुनिकीकरण अनुदान पूर्ण उपयोग प्रारम्भिक शेष (नीचे दिये गये 2.2 का संदर्भ) जोड़े : वर्ष के दौरान अतिरिक्त वृद्धि (विवरण दिये गये) घटाया : वर्ष के दौरान इस्तेमाल / स्थान्तरित (विवरण दिये गये)	2,256.95 0.00 0.00	2,256.95 0.00 0.00
	अन्तिम शेष (बी)	2,256.95	2,256.95
(iii)	भारत सरकार द्वारा आवंटित भूमि प्रारम्भिक शेष (नीचे दिये गये 2.3 का संदर्भ) जोड़े : वर्ष के दौरान अतिरिक्त वृद्धि (विवरण दिये गये) घटाया : वर्ष के दौरान इस्तेमाल / स्थान्तरित (विवरण दिये गये)	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
	अन्तिम शेष (सी)	0.00	0.00
(iv)	आधुनिकीकरण व्यय हेतु ब्याज पूंजीकृत किया गया प्रारम्भिक कोष (नीचे 2.4 देखें) जोड़े : वर्ष के दौरान अतिरिक्त वृद्धि (विवरण नोट 2.4) जोड़े : वर्ष के दौरान अतिरिक्त वृद्धि (विवरण नोट 2.5) घटाया: वर्ष के दौरान उपयोग/अंतरित (विवरण दे)	898.68 737.37 29.71 0.00	0.00 861.63 37.05 0.00
	अन्तिम शेष (डी)	1,665.76	898.68
	कुल संचय पूंजी (ए+बी+सी+डी)	4,322.71	3,555.63
ब)	आय-व्यय का प्रवाह विवरण में अधिशेष (घाटा)		
	प्रारम्भिक कोष जोड़े : आय एवं व्यय खाता से अंतरित शेष घटाया : पूंजी पर ब्याज से संबंधित	18,411.32 4,341.76 29.71	12,837.39 5,573.93 0.00
	कुल अधिशेष (घाटा)	22,723.37	18,411.32
	कुल संचय एवं अधिशेष	27,046.08	21,966.95
2.1	राष्ट्रीय रक्षा निधि में प्रमोटर्स योगदान के रूप में 400.00 लाख चूँकि प्राप्ति के वर्ष, अनुदान को पूँजी आरक्षण में दर्शाया गया है।		
2.2	निगम द्वारा भारत सरकार का अनुदान के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से 31.3.2011 तक आधुनिकीकरण अनुदान हेतु प्राप्त रुपये 2256.95 लाख का पूर्णतः उपयोग हो चुका है तथा उसके उपयोग का पूंजीगत आरक्षण के रूप में समझा गया है।		
2.3	भारत सरकार द्वारा मुख्यालय बंगलूर तथा उज्जैन के मुख्यालय हेतु भूमि प्रत्येक 1.00 रुपये के काल्पनिक मूल्य पर दी गयी है। उज्जैन में भूमि की सामान्य कीमत अदा कर दी गयी है तथा शेष 2.00 रुपये की शेष राशि पूंजीगत आरक्षित खाते (उपयुक्त अ (iii) को देखें) में जमा करा दी गयी है।		
2.4	बोर्ड ने 338.04 करोड़ रुपये की आधुनिकीकरण योजना को अनुमोदित किया है जिसमें आधुनिकीकरण निधि के रूप में 200 करोड़ रुपये मंत्रालय की ओर से वित्त पोषित किये जाने हैं तथा शेष निधि 138.04 करोड़ रुपये का प्रबंध स्वयं की ओर से किया जाना है। निगम के आधुनिकीकरण योजना के अनुमोदन को एसएफसी के कार्यवृत्त में भी शामिल किया गया है जिससे कि आधुनिकीकरण योजना में किसी प्रकार की बढ़ोतरी को स्वयं निगम अपनी व्यवस्था करेगा। विवेकी वित्तीय व्यवहार के तौर पर, प्रबंधन ने एफडीआर्स पर प्रोद्भूत ब्याज पूंजीगत बनाने का निर्णय लिया है जिसे आधुनिकीकरण व्यय के लिए उपयोग में लाया जाना होता है। ऐसी एफडीआर्स पर प्रोद्भूत ब्याज बढ़कर 737.37 लाख रुपये (पूर्व वर्ष में 861.63 लाख) हो गया है तथा तदनुसार पूंजीगत रिजर्व सृजित हो गया है (उपयुक्त अ (iv) को देखें)।		
2.5	मैसर्सस इजानिअर्स प्रोजेक्ट (इंडिया) लिमिटेड को पूंजीगत अग्रिम पर प्रोद्भूत ब्याज की राशि 29.71 लाख रुपये (पूर्व वर्ष में 37.05 लाख) को भी आधुनिकीकरण व्यय हेतु सृजित पूंजीगत रिजर्व में जोड़ दिया गया है।		
2.6	सरकारी अनुदान का लेखा लेखांकन मानक 12 के अनुसार है।		



**ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA
KANPUR**

NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS

NOTE 2 : RESERVES AND SURPLUS

(RS. IN LACS)

S. NO.	PARTICULARS	AS AT 31ST MARCH 2018	AS AT 31ST MARCH 2017
(a)	CAPITAL RESERVES		
(i)	Grant from National Defence Fund		
	Opening Balance (Refer 2.1 below)	400.00	400.00
	Add: Additions during the year (give details)	0.00	0.00
	Less: Utilised / transferred during the year (give details)	0.00	0.00
	Closing balance - (A)	400.00	400.00
(ii)	Mordernization Grant from MOSJE, Government of India - Fully Utilized		
	Opening Balance (Refer 2.2 below)	2,256.95	2,256.95
	Add: Additions during the year (give details)	0.00	0.00
	Less: Utilised / transferred during the year (give details)	0.00	0.00
	Closing balance - (B)	2,256.95	2,256.95
(iii)	Land Alloted by Government of India		
	Opening Balance (Refer 2.3 below)	0.00	0.00
	Add: Additions during the year (give details)	0.00	0.00
	Less: Utilised / transferred during the year (give details)	0.00	0.00
	Closing balance - (C)	0.00	0.00
(iv)	Interest Capitalized for Modernization Expenses		
	Opening Balance	898.68	0.00
	Add: Additions during the year (details - Refer Note 2.4 below)	737.37	861.63
	Add: Additions during the year (details - Refer Note 2.5 below)	29.71	37.05
	Less: Utilised / transferred during the year (give details)	0.00	0.00
	Closing balance - (D)	1,665.76	898.68
	TOTAL CAPITAL RESERVE (A+B+C+D)	4,322.71	3,555.63
(b)	SURPLUS (DEFICIT) IN STATEMENT OF INCOME & EXPENDITURE		
	Opening balance	18,411.32	12,837.39
	Add: Balance transferred from Income & Expenditure Account	4,341.76	5,573.93
	Less : Relating to Interest on capital Advance	29.71	0.00
	TOTAL SURPLUS (DEFICIT)	22,723.37	18,411.32
	TOTAL RESERVES AND SURPLUS	27,046.08	21,966.95

- 2.1 Grant for Rs 400.00 Lacs was received as promoter's contribution from National Defence Fund. Since the year of receipt , the same is being shown as Capital Reserve.
- 2.2 Modernization Grant of Rs 2256.95 Lacs received from Ministry of Social Justice & Empowerment, Government of India received till 31.3.2011 was fully utilized and since utilization thereof has been treated as Capital Reserve.
- 2.3 Lands at Head Quarter, Bangalore & Ujjain have been given by Government of India at a notional value of Re 1.00 each. The nominal value of Land at Ujjain has been paid and balance Rs 2.00 has been credited in Capital Reserve account (Refer a(iii) above)
- 2.4 The modernization plan has been approved for Rs 338.04 Crores out of which Rs 200.00 Crores shall be financed through GIA to be released by the Administrative Ministry and balance Rs 138.04 Crores is to be financed through internal accruals. It was also confirmed that any escalation shall have to be borne by the corporation. The corporation thus set aside Rs 138.04 Crores worth of FDRs and the corporation's share, as and when spent, decreased the FDR amount set aside as above. The surplus for the year to the extent of interest on such FDRs amounting to Rs 737.37 Lacs (PY Rs 861.63 Lacs) has been appropriated to Capital Reserve as shown in a(iv) above
- 2.5 Interest accrued on Capital advance to M/s Engineers Project (India) Limited amounting to Rs 29.71 Lacs (PY Rs 37.05 Lacs) has been added to Capital Reserve created for Modernization Expenses from out of surplus of the year
- 2.6 Accounting of Government Grants is in conformity with AS 12.



भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर
वित्तीय विवरण का हिस्सा बनाने के नोट्स

नोट 3 : दीर्घकालिक ऋण

(रु लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
(अ)	भारत सरकार द्वारा ऋण पर उपार्जित ब्याज एवं देय		
	सुरक्षित	0.00	0.00
	असुरक्षित	0.00	0.00
	योग	0.00	0.00

नोट 4 : दीर्घकालिक प्रावधान

(रु लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
	प्रावधान	NIL	NIL
	योग	NIL	NIL

नोट 5 : व्यापारिक देनदारियाँ

(रु लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
1.	व्यापारिक देनदारियाँ, विविध लेनदार	3,497.21	2,077.36
	योग	3,497.21	2,077.36
5.1	शेष पुष्टि के अधीन है।		



**ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA
KANPUR**

NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS

NOTE 3 : LONG TERM BORROWINGS

(RS. IN LACS)

S. NO.	PARTICULARS	AS AT 31ST MARCH 2018	AS AT 31ST MARCH 2017
(A)	INTEREST ACCRUED AND DUE ON LOAN FROM GOVERNMENT OF INDIA		
	Secured	0.00	0.00
	Unsecured	0.00	0.00
	TOTAL	0 00	0 00

NOTE 4 : LONG TERM PROVISIONS

(RS. IN LACS)

S. NO.	PARTICULARS	AS AT 31ST MARCH 2018	AS AT 31ST MARCH 2017
	PROVISIONS	NIL	NIL
	TOTAL	NIL	NIL

NOTE 5 : TRADE PAYABLES

(RS. IN LACS)

S. NO.	PARTICULARS	AS AT 31ST MARCH 2018	AS AT 31ST MARCH 2017
	TRADE PAYABLES		
1	Sundry Creditors	3,497.21	2,077.36
	TOTAL	3,497.21	2,077.36
5.1	Balances are subject to confirmation.		



भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर
वित्तीय विवरण का हिस्सा बनाने के नोट्स

नोट 6 : अन्य चालू दायित्व

(रु लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2018 को		31 मार्च 2017 को	
(i)	वैधानिक विप्रेषण		55.84		13.88
(ii)	व्यापारिक/सुरक्षा जमा प्राप्त		2,004.96		1,581.62
(iii)	ग्राहकों से अग्रिम		3,639.47		5,151.31
(iv)	अप्रयुक्त सरकारी अनुदान				
(अ)	एडिप योजना के अन्तर्गत अनुदान				
	प्रारम्भिक शेष		427.77		878.80
	जोड़ा : यूसी जो लेखांकित नहीं किया गया और वितरण के लिये सामग्री भेजी गयी		4,688.27		6,670.25
	जोड़ा : हस्तान्तरित ब्याज		10.62		33.64
	जोड़ा : वर्ष के दौरान प्राप्त		8,936.00		8,783.43
	जोड़ा : एडिप योजना के खण्ड 12 (ix) के अन्तर्गत ऋण के रूप में प्राप्तियाँ		0.00		3,200.00
			14,062.66		19,566.12
	घटाया : वर्ष के दौरान उपयोग		11,501.41		14,450.08
			2,561.25		5,116.04
	घटाया : वितरण के लिये सामग्री भेजी गयी		862.89		4,688.27
			1,698.36		427.77
(ब)	एडिप-एसएसए योजना के अन्तर्गत अनुदान				
	प्रारम्भिक शेष		282.10		289.12
	जोड़ा : यूसी जो लेखांकित नहीं किया गया और वितरण के लिये सामग्री भेजी गयी		2,042.22		4,714.20
	वर्ष के दौरान प्राप्त		3,391.15		1,934.62
	जोड़ा : एडिप योजना के खण्ड 12 (ix) के अन्तर्गत ऋण के रूप में प्राप्तियाँ		0.00		1,100.00
			5,715.47		8,037.94
	घटाया : वर्ष के दौरान उपयोग		4,296.71		5,713.62
			1,418.76		2,324.32
	घटाया : वितरण के लिये सामग्री भेजी गयी		1,048.14		2,042.22
(स)	सिपदा योजना के अन्तर्गत अनुदान		370.62		282.10
(द)	एडिप जागरूकता शिविर के अन्तर्गत अनुदान		0.00		0.00
	प्रारम्भिक शेष				
	वर्ष के दौरान प्राप्त		2.49		2.49
	घटाया : वर्ष के दौरान उपयोग		0.00		0.00
			2.49		2.49
(य)	आधुनिकरण के लिये अनुदान				
	प्रारम्भिक शेष				
	वर्ष के दौरान प्राप्त		0.00		126.78
	घटाया : वर्ष के दौरान उपयोग		500.00		500.00
			500.00		626.78
(व)	देय व्यय		0.00		0.00
(vi)	भविष्य निधि देय		1,133.55		284.50
			0.00		0.00
	योग		8,902.80		7,743.67
6.1	निगम एडिप (विकलांग व्यक्तियों की सहायता) स्कीम के तहत भारत सरकार की नोडल एजेंसी की भांति काम कर रहा है और एडिप-एसएसए (विकलांग व्यक्तियों की सहायता-सर्व शिक्षा अभियान) स्कीम में एक मात्र क्रियान्वयन एजेंसी की भूमिका में है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त अनुदान को लेखांकन मानक 12 के अनुसार राजस्व अनुदान की मान्यता प्राप्त है इसके गैर उपभुक्त अवशेष को चालू दायित्व के रूप में दर्शाया गया है।				
6.2	पुनरीक्षित लेखनीतियों (2011-12 से) के अनुसार एडिप और एडिप-एसएसए स्कीमों के लिए प्राप्त अनुदानों को यदि परेशिती (कन्साइनी) से पावती का प्रमाण मिल जाए तो उसे उपयुक्त माने जाने की मान्यता है। उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त होने के कारण डेबिट अवशेषों को एकाउंट फार कर दिया गया है और वितरण हेतु भेजी गई सामग्री को अनुदान का उपभोग माना गया है जिसे अनुदान से घटाकर अलग दर्शाया गया है।				
6.3	ग्राहकों से अग्रिम सर्वशिक्षा अभियान के प्राधिकरण और अन्य एजेंसियों, केन्द्र / राज्य सरकारों द्वारा सहायक उपकरणों का वितरण विकलांगजनों के लिए शिवरों में उनकी तारीखों, स्थान और अन्य निर्देश तथा उनकी देख-रेख में होगा बकाया दृष्टि रु. 1138.53 लाख (पूर्व वर्ष 728.36 लाख) जोकि एक साल की अवधि से ज्यादा है जोकि प्राप्ति राशि एवं उनकी उपयोग की शर्तों के साथ सरकार द्वारा नियन्त्रित संस्थाओं से कर रहे हैं। यह कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा (31) के साथ नियम 2(ग) के अन्तर्गत जमा नहीं समझा जाता है।				
6.4	सिक्यूरिटी डिपॉजिट, बयाना राशि डिपॉजिट, विभिन्न पार्टियों और ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम के एकाउंट पुष्टीकरण के अधीन है।				



**ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA
KANPUR**

NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS

NOTE 6 : OTHER CURRENT LIABILITIES

(RS. IN LACS)

S. NO.	PARTICULARS	AS AT 31ST MARCH 2018		AS AT 31ST MARCH 2017	
(i)	Statutory Remittances		55.84		13.88
(ii)	Trade / security deposits received		2,004.96		1,581.62
(iii)	Advances from customers		3,639.47		5,151.31
(iv)	UN-UTILIZED GOVERNMENT GRANTS				
(a)	GRANT UNDER ADIP SCHEME				
	Opening Balance	427.77		878.80	
	Add: UC s unaccounted & material sent for distribution	4,688.27		6,670.25	
	Add: Interest transferred	10.62		33.64	
	Add : Received During the year	8,936.00		8,783.43	
	Add : Received as Loan under Clause 12 (ix) of ADIP Scheme	0.00		3,200.00	
		14,062.66		19,566.12	
	Less : Utilized During the year	11,501.41		14,450.08	
		2,561.25		5,116.04	
	Less : Material Dispatched for Distribution	862.89	1,698.36	4,688.27	427.77
(b)	GRANT UNDER ADIP - SSA SCHEME				
	Opening Balance	282.10		289.12	
	Add: UC s unaccounted & material sent for distribution	2,042.22		4,714.20	
	Add : Received During the year	3,391.15		1,934.62	
	Add : Received as Loan under Clause 12 (ix) of ADIP Scheme	0.00		1,100.00	
		5,715.47		8,037.94	
	Less : Utilized During the year	4,296.71		5,713.62	
		1,418.76		2,324.32	
	Less : Material Dispatched for Distribution	1,048.14	370.62	2,042.22	282.10
(c)	GRANT for SIPDA Scheme		0.00		0.00
(d)	Grant for ADIP Awareness Camp				
	Opening Balance	2.49		2.49	
	Received during the year	0.00		0.00	
	Less: Utilized during the year	2.49	0.00	0.00	2.49
(e)	Modernization Grant				
	Opening Balance	0.00		126.78	
	Received during the year	500.00		500.00	
	Less: Utilized during the year	500.00	0.00	626.78	0.00
(v)	Expenses Payable		1,133.55		284.50
(vi)	Provident Fund payable		0.00		0.00
	TOTAL		8,902.80		7,743.67

- 6.1 The Corporation is working as Nodal Agency of Government of India under its ADIP (Assistance to Disabled Persons) Scheme and as a sole implementing agency under ADIP-SSA (Assistance to Disabled Persons - Sarva Shiksha Abhiyan) Scheme. Grants received from the Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India is recognised as Revenue grant in conformity with AS 12 and Un-utilized balance of the same is disclosed as Current Liabilities.
- 6.2 As per Revised Accounting Policy (since 2011-12), grants received under ADIP and ADIP-SSA Scheme have been recognized as utilized against proof of acknowledgement from consignee. As such, debit balances on account of utilization certificates not received and material dispatched for distribution has been considered as utilization of grants and deducted from the grant and disclosed separately.
- 6.3 Advance from Customers include SSA authorities and other entities of the Central/State Governments for distribution of aids & appliance to Persons with disability at Camps to be held on date(s) and at place(s) on their instructions and in their supervision. The outstanding balance under the head include Rs 1138.53 Lacs (Previous Year 728.36 Lacs) for period exceeding one year . Since received amounts are from the entities controlled/ governed by the Government with conditions of their utilisation, they are not deemed deposits within the meaning of Rule 2(c) read with Section 2(31) of the Companies Act,2013.
- 6.4 Balances under Security Deposit, Earnest Money Deposits, Advance from Customers and under various parties account are subject to confirmation.

Contd..



भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर
वित्तीय विवरण का हिस्सा बनाने के नोट्स

नोट 7 : अल्पावधि प्रावधान

(रु लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
(अ)	कर्मचारियों के लाभों के लिये प्रावधान		
(i)	ग्रेज्युटी एवं अवकाश नकदीकरण के लिए प्रावधान	0.00	64.59
(ii)	संशोधित बकाया के भुगतान के लिए प्रावधान	623.41	151.90
(iii)	पी आर पी के लिये प्रावधान	429.37	503.34
	कुल (अ)	1,052.78	719.83
(ब)	व्यय हेतु प्रावधान		
(i)	शिविर आदि हेतु प्रावधान सामग्री हेतु	386.07	388.57
(ii)	बेहतर प्रभारों की और प्रावधान	22.05	0.00
	कुल (ब)	408.12	388.57
	कुल (अ+ब)	1,460.90	1,108.40
7.1	<p>1.4.2007 से 31.3.2017 तक कर पूर्व अधिकतम 5% लाभ के अधीन वर्तमान कर पूर्व लाभ 3%+ वृद्धि लाभ का 10 % की गणना के आधार पर कुल 751.14 लाख का प्रावधान, बोर्ड स्तर, बोर्ड स्तर से नीचे अधिकारियों तथा गैर-संघीय सुपर वाइज्यरों के वेतनमान के संशोधन के कार्यान्वयन के संबंध में डीपीई का ज्ञा.सं.-2 (70)/08-डीपीई (डब्ल्यूसी) जीएल-XVI/2008, तारीख 26.11.2008, 2(70)/08-डीपीई (डब्ल्यूसी) जीएल-IV/2009, तारीख 9.2.2009 तथा 2(70)/08-डीपीई (डब्ल्यूसी) जीएल-VII/2009, में निहित डीपीई दिशा-निर्देशों के अनुसार निष्पादन संबंधी वेतनमान के लिए, किये गये हैं।</p> <p>उपर्युक्त कुल प्रावधान में से, वित्त वर्ष 2014-15 के लिए 62.84 लाख रुपये का वित्त वर्ष 2014-15 हेतु 119.59 लाख रुपये का तथा वित्त वर्ष 2015-16 हेतु 116.50 लाख रुपये के पीआरपी के प्रावधान का भुगतान कर दिया गया है तथा आज तक 196.05 लाख रुपये के प्रावधान को 256.16 लाख रुपये के प्रावधान को छोड़ते हुए जिसका संबंध वित्त वर्ष 2007-08 से 2013-14 से है, को वापिस लिख दिया गया है। बोर्ड ने प्रशासनिक मंत्रालय को आवश्यक अनुमोदन लेने के बाद उसका भुगतान करने का निर्णय ले लिया है।</p> <p>2017-18 हेतु पीआरपी डीपीई के तारीख 03.08.2017 के का.ज्ञा.-डब्ल्यू.02/0028/2017-डीपीई (डब्ल्यूसी-ईएल-XIII/VII) के अनुसार देय है तथा तदानुसार वित्त वर्ष 2017-18 हेतु 173.21 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है इस प्रकार कुल प्रावधान 429.37 लाख रुपये है जो 256.16 लाख रुपये तथा 173.21 लाख रुपये का जोड़ बनता है।</p>		
7.2	<p>पूर्व वर्ष में 151.90 लाख रुपये का प्रावधान किया गया था तथा डीपीई के तारीख 07 फरवरी, 2018 के का.ज्ञा.- डब्ल्यू.02/0028/2017-डीपीई (डब्ल्यूसी-ईएल-XIII/VII) के अनुसार वेतनमानों में संशोधन हेतु राष्ट्रपति निदेश को प्राप्त होने पर 01.01.2017 से 31.01.2018 तक बकाया के भुगतान हेतु 471.51 लाख रुपये का और प्रावधान किया गया है।</p>		
7.3	<p>परिवर्तन हेतु भौतिक प्रावधान के लिए वर्ष 2016-17 में सृजित प्रावधान के ध्यान में रखते हुए निगम ने ऐसे प्रावधान के आधार की समीक्षा की है तथा प्रबंधन यह समझता है कि उत्पाद अभी तक बाजार निर्धारण स्तर में हैं तथा आवश्यक सुधारों का होना है और इसलिए आगामी वर्ष 2018-19 में परिवर्तनों की भी आवश्यकता होगी। तदानुसार, 386.07 लाख रुपये के प्रावधान (पूर्व वर्ष में 388.57 लाख रुपये), जो पहले वर्षों से तदर्थ आधार पर चले आ रहे हैं, को उचित पाया गया है।</p>		



ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA
KANPUR

NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS

NOTE 7 : SHORT TERM PROVISIONS

(RS. IN LACS)

S. NO.	Particulars	AS AT 31ST MARCH 2018	AS AT 31ST MARCH 2017
(A)	PROVISION FOR EMPLOYEE BENEFITS		
(i)	Provision for gratuity & leave encashment	0.00	64.59
(ii)	Provision for pay revision arrears	623.41	151.90
(iii)	Provision for PRP	429.37	503.34
	TOTAL (A)	1,052.78	719.83
(B)	PROVISION FOR EXPENSES		
(i)	Towards Material provisioned for replacement	386.07	388.57
(ii)	Towards provision of Betterment Charges	22.05	0.00
	TOTAL (B)	408.12	388.57
	TOTAL (A) + (B)	1,460.90	1,108.40
7.1	<p>A total provision of Rs. 751.14 Lacs calculated @ 3% of Current Profit Before Tax + 10% of incremental profit subject to maximum of 5% of Profit Before Tax from 01.04.2007 till 31.03.2017 has been made towards Performance Related Pay as per DPE Guidelines contained in DPE OM No. 2(70)/08-DPE (WC) GL-XVI/2008 dated 26th Nov.2008, 2(70)/08-DPE(WC) GL-IV/2009 dated 09th February 2009 and 2(70)/08-DPE (WC) GL-VII/2009 Dated 02nd April 2009 relating to implementation of Revision of Pay Scales of Board Level, Below Board Level executives and Non-Unionized Supervisors.</p> <p>Out of the above total provision, PRP provision of Rs 62.84 Lacs made for the financial year 2014-15, Rs 119.59 Lacs for the financial year 2015-16 and Rs 116.50 Lacs for the financial year 2016-17 has been paid and Rs 196.05 Lacs from the provision made so far has been written back leaving a provision of Rs 256.16 Lacs which relates to Financial Year 2007-08 to 2013-14. The Board has decided to pay the same after taking necessary approval of administrative Ministry.</p> <p>The PRP for 2017-18 is payable as per DPE OM W-02/0028/2017-DPE (WC-GL-XIII/VII) dated 03.08.2017 and accordingly a provision of Rs 173.21 Lacs has been made for the financial year 2017-18. The total provision thus is Rs 429.37 Lacs which is summation of Rs 256.16 Lacs and Rs 173.21 Lacs ; thereby making a total provision of Rs 429.37 Lacs</p>		
7.2	<p>The provision of Rs 151.90 Lacs was made in the previous year and further provision of RS 471.51 Lacs has been made towards arrear from 1.1.2017 to 31.1.2018 after receipt of the Presidential Directive for revision in pay scales as per DPE OM No. W-02/0028/2017-DPE (WC-GL-XIII/VII) dated 03.08.2017 on 7th February 2018</p>		
7.3	<p>In view of the provision created in 2016-17 for material provisioned for replacement, the corporation has reviewed the basis of such provision and management feels that the products are still in the market assessment stage and necessary improvements are also being effected and therefore replacements in the ensuing year 2018-19 would also be required. Accordingly provision of Rs 386.07 Lacs (PY Rs 388.57 Lacs) made on adhoc basis continuing from the earlier year has been considered as appropriate.</p>		



भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर
वित्तीय विवरण का हिस्सा बनाने के नोट्स

नोट 8 : अचल सम्पत्ति

(रु लाख में)

अ.	मूर्त सम्पत्ति	सकल सम्पत्ति					31 मार्च 2018 को
		31 मार्च 2017 को	परिवर्धन	निपटान समायोजन	उधार की लागत का पूजीकरण	अन्य समायोजन	
(ए)	भूमि (कर मुक्त) भूमि और विकसित भूमि	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00	30.73
	सड़क, पुल, जल निकासी, एवं पानी की आपूर्ति	84.65	0.00	0.00	0.00	0.00	84.65
	पट्टे पर पट्टे की भूमि कानपुर और एपीसीज	91.39	0.00	0.00	0.00	0.00	91.39
(बी)	भवन स्वयं के उपयोग हेतु भवन	1,178.10	29.10	0.00	0.00	0.00	1,207.20
(सी)	संयंत्र और उपकरण स्वामित्व वाले	1,157.01	120.16	0.00	0.00	0.00	1,277.17
	सामान्य संयंत्र	291.58	5.65	0.00	0.00	0.00	297.23
	विद्युती संयंत्र एवं उपकरण	363.44	57.10	0.00	0.00	0.00	420.54
	संयंत्र औजार	294.19	152.69	0.00	0.00	0.00	446.88
	साई सांचे	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	3.06
	नमूने और पैटर्न	67.43	9.07	0.00	0.00	0.00	76.50
	सेवा संचय उपकरण						
(डी)	फर्नीचर और फिक्चर्स स्वामित्व वाले	115.90	37.55	0.00	0.00	0.00	153.45
	फर्नीचर और फिक्चर्स						
(ई)	वाहनों स्वामित्व वाले	57.23	15.89		0.00	0.00	73.12
(एफ)	कार्यालय उपकरण स्वामित्व वाले	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2.48
	अस्पताल प्रशिक्षण एवं उपकरण	122.84	16.74	0.00	0.00	0.00	139.58
	कार्यालय उपकरण एवं वातानुकूलन यंत्र	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1.61
	कैन्टीन उपकरण						
(जी)	किताबें स्वामित्व वाले	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(एच)	कम्प्यूटर स्वामित्व वाले	251.92	21.53	0.00	0.00	0.00	273.45
	योग	4,113.56	465.48	0.00	0.00	0.00	4579.04
	पिछले वर्ष	3,124.35	999.54	10.33	0.00	0.00	4113.56



ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA
KANPUR

NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS

NOTE 8 : FIXED ASSETS

(RS. IN LACS)

A.	TANGIBLE ASSETS	GROSS BLOCK					AS AT 31ST MARCH' 2018
		AS AT 31ST MARCH'2017	ADDITIONS	DISPOSAL/ ADJUSTMENT	BORROWING COST CAPITALIZED	OTHER ADJUSTMENT	
(a)	LAND						
	Freehold :						
	Land & Land Development	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00	30.73
	Road , Bridges, Drainage & Water Supply	84.65	0.00	0.00	0.00	0.00	84.65
	Leasehold :						
	Leasehold Land Kanpur & APCs	91.39	0.00	0.00	0.00	0.00	91.39
(b)	BUILDINGS						
	Own use						
	Building	1,178.10	29.10	0.00	0.00	0.00	1,207.20
(c)	PLANT AND EQUIPMENT						
	Owned						
	General Machinery	1,157.01	120.16	0.00	0.00	0.00	1,277.17
	Electrical Machinery & Equipment	291.58	5.65	0.00	0.00	0.00	297.23
	Machine Tools	363.44	57.10	0.00	0.00	0.00	420.54
	Dies, Jigs & Fixtures	294.19	152.69	0.00	0.00	0.00	446.88
	Samples & Patterns	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	3.06
	Utility and Service Equipment	67.43	9.07	0.00	0.00	0.00	76.50
(d)	FURNITURE & FIXTURES						
	Owned						
	Furniture & Fixtures	115.90	37.55	0.00	0.00	0.00	153.45
(e)	VEHICLES						
	Owned	57.23	15.89	0.00	0.00	0.00	73.12
(f)	OFFICE EQUIPMENT						
	Owned						
	Hospital Training & Equipment	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2.48
	Office Equipment & Air Conditioners	122.84	16.74	0.00	0.00	0.00	139.58
	Canteen Appliances	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1.61
(g)	BOOKS						
	Owned	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(h)	COMPUTERS						
	Owned	251.92	21.53	0.00	0.00	0.00	273.45
	TOTAL	4,113.56	465.48	0.00	0.00	0.00	4579.04
	PREVIOUS YEAR	3,124.35	999.54	10.33	0.00	0.00	4113.56



भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर
वित्तीय विवरण का हिस्सा बनाने के नोट्स

नोट 8 : अचल सम्पत्ति क्रमशः

(रु लाख में)

ब.	मूर्त सम्पत्ति	एकीकृत मूल्यह्रास और हानि				शुद्ध कुल सम्पत्ति		
		31 मार्च 2017 के अनुसार	बीते हुए वर्ष के लिए मूल्यह्रास परिशोधन व्यय	वर्ष के लिए मूल्यह्रास परिशोधन व्यय	सम्पत्ति के निपटान/सम्पत्ति का समायोजन	31 मार्च 2018 के अनुसार	31 मार्च 2018 के अनुसार	31 मार्च 2017 के अनुसार
(ए)	भूमि (कर मुक्त)							
	भूमि और विकसित भूमि	1.89		0.63		2.52	28.21	28.84
	सड़क, पुल, जल निकासी, एवं पानी की आपूर्ति	80.35		0.01		80.36	4.29	4.30
	पट्टे पर							
	पट्टे की भूमि कानपुर और एपीसीज	16.93		2.04		18.97	72.42	74.46
	भवन							
(बी)	स्वयं के उपयोग हेतु	435.84		43.12		478.96	728.24	742.26
(सी)	संयंत्र और उपकरण							
	स्वामित्व वाले सामान्य संयंत्र	255.21		70.84		326.05	951.12	901.80
	विद्युती संयंत्र एवं उपकरण	240.56		6.96		247.52	49.71	51.02
	संयंत्र औजार	283.30		15.56		298.86	121.68	80.14
	साई सांचे	268.38		4.81		273.19	173.69	25.81
	नमूने और पैटर्न	3.06		0.00		3.06	0.00	0.00
	सेवा संघय उपकरण	56.11		2.37		58.48	18.02	11.32
(डी)	फर्नीचर और फिक्चर्स							
	स्वामित्व वाले फर्नीचर और फिक्चर्स	51.06		9.30		60.36	93.09	64.84
(ई)	वाहनों							
	स्वामित्व वाले	31.17		5.20		36.37	36.75	26.06
(एफ)	कार्यालय उपकरण							
	स्वामित्व वाले अस्पताल प्रशिक्षण एवं उपकरण	2.36		0.00		2.36	0.12	0.12
	कार्यालय उपकरण एवं वातानुकूलन यंत्र	72.81		15.33		88.14	51.44	50.03
	कैन्टीन उपकरण	1.60		0.00		1.60	0.01	0.01
(जी)	किताबें							
	स्वामित्व वाले	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
(एच)	कम्प्यूटर							
	स्वामित्व वाले	213.66		20.37		234.03	39.42	38.26
	योग	2,014.29	0.00	196.54	0.00	2,210.83	2,368.21	2,099.27
	पूर्व वर्ष	1,903.57	0.00	120.88	0.00	2,014.29	2,099.27	1,270.28



ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA
KANPUR

NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS

NOTE 8 : FIXED ASSETS -Contd..

(RS. IN LACS)

B.	TANGIBLE ASSETS	ACCUMULATED DEPRECIATION & IMPAIRMENT				NET BLOCK		
		AS AT 31ST MARCH'2017	DEPRECIATION/ AMORTISATION EXPENSE ON THE EXPIRED LIFE	DEPRECIATION/ AMORTISATION EXPENSE FOR THE YEAR	ELIMINATED ON DISPOSAL OF ASSETS	AS AT 31ST MARCH'2018	AS AT 31ST MARCH'2018	AS AT 31ST MARCH'2017
(a)	LAND							
	Freehold :							
	Land & Land Development	1.89		0.63		2.52	28.21	28.84
	Road ,Bridges,Drainage & Water Supply	80.35		0.01		80.36	4.29	4.30
	Leasehold :							
	Leasehold Land Kanpur & APCs	16.93		2.04		18.97	72.42	74.46
(b)	BUILDINGS							
	Own use							
	Building	435.84		43.12		478.96	728.24	742.26
(c)	PLANT AND EQUIPMENT							
	Owned							
	General Machinery	255.21		70.84		326.05	951.12	901.80
	Electrical Machinery & Equipment	240.56		6.96		247.52	49.71	51.02
	Machine Tools	283.30		15.56		298.86	121.68	80.14
	Dies,Jigs & Fixtures	268.38		4.81		273.19	173.69	25.81
	Samples & Patterns	3.06		0.00		3.06	0.00	0.00
	Utility and Service Equipment	56.11		2.37		58.48	18.02	11.32
(d)	FURNITURE & FIXTURES							
	Owned							
	Furniture & Fixtures	51.06		9.30		60.36	93.09	64.84
(e)	VEHICLES							
	Owned	31.17		5.20		36.37	36.75	26.06
(f)	OFFICE EQUIPMENT							
	Owned							
	Hospital Training & Equipment	2.36		0.00		2.36	0.12	0.12
	Office Equipment & Air Conditioners	72.81		15.33		88.14	51.44	50.03
	Canteen Appliances	1.60		0.00		1.60	0.01	0.01
(g)	BOOKS							
	Owned	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
(h)	COMPUTERS							
	Owned	213.66		20.37		234.03	39.42	38.26
	Total	2,014.29	0.00	196.54	0.00	2,210.83	2,368.21	2,099.27
	Previous year	1,903.57	0.00	120.88	0.00	2,014.29	2,099.27	1,270.28



भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर

वित्तीय विवरण का हिस्सा बनाने के नोट्स

नोट 8 : अचल सम्पत्ति क्रमशः

(रु लाख में)

स	अमूर्त सम्पत्ति	सकल योग					31 मार्च 2018 को
		31 मार्च 2017 को	परिवर्धन	निपटान समायोजन	उधार की लागत का पूंजीकरण	अन्य समायोजन	
ए.	अमूर्त सम्पत्ति	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00	28.03
	योग	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00	28.03
	गतवर्ष	3.19	24.84	0.00	0.00	0.00	28.03

द	अमूर्त सम्पत्ति	एकत्रित मूल्यह्रास और हानि				शुद्ध कुल सम्पत्ति		
		31 मार्च 2017 को	बीते हुए वर्ष के लिये मूल्य ह्रास परिशोधन व्यय	वर्ष के लिये मूल्य ह्रास परिशोधन व्यय	सम्पत्ति के निपटान/सम्पत्ति का समायोजन	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
ए.	अमूर्त सम्पत्ति	3.75	0.00	5.33	0.00	9.08	18.95	24.28
	योग	3.75	0.00	5.33	0.00	9.08	18.95	24.28
	गतवर्ष	1.22	0.00	2.53	0.00	3.75	24.28	

**ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA
KANPUR**

NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS

NOTE 8 : FIXED ASSETS -Contd..

(RS. IN LACS)

C.	INTANGIBLE ASSETS	GROSS BLOCK					AS AT 31ST MARCH'18
		AS AT 31ST MARCH'2017	ADDITIONS	DISPOSAL/ ADJUSTMENT	BORROWING COST CAPITALIZED	OTHER ADJUSTMENT	
(a)	Intangible Assets	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00	28.03
	Total	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00	28.03
	Previous year	3.19	24.84	0.00	0.00	0.00	28.03

D.	INTANGIBLE ASSETS	ACCUMULATED DEPRECIATION & IMPAIRMENT				NET BLOCK		
		AS AT 31ST MARCH'2017	DEPRECIATION/ AMORTISATION EXPENSE ON THE EXPIRED LIFE	DEPRECIATION/ AMORTISATION EXPENSE FOR THE YEAR	ELIMINATED ON DISPOSAL OF ASSETS	AS AT 31ST MARCH'18	AS AT 31ST MARCH'18	AS AT 31ST MARCH'2017
(a)	Intangible Assets	3.75	0.00	5.33	0.00	9.08	18.95	24.28
	Total	3.75	0.00	5.33	0.00	9.08	18.95	24.28
	Previous year	1.22	0.00	2.53	0.00	3.75	24.28	



वित्तीय विवरण का हिस्सा बनाने के नोट्स

नोट 8 : अचल सम्पत्ति क्रमशः

8.1 भूमि और भवन :

8.1.1 कानपुर

आई.आई.टी. कानपुर ने वर्ष 1974 में निगम को 44 एकड़ भूमि निःशुल्क आवंटित की थी। आई.आई.टी. कानपुर ने वर्ष 1999 में निगम के पक्ष में एक अपंजीकृत पट्टा 60 वर्ष के लिए किया था जो कि 2034 में समाप्त होगा। इस कीमत को 1/- रुपये के नाम मात्र मूल्य पर लेखा पुस्तको के पूँजीकोष में जमा करते हुए दर्शाया गया है। निगम द्वारा वर्ष 31.07.2017 तक की अवधि के पट्टे का किराया आई.आई.टी. कानपुर को अग्रिम रूप में भुगतान कर दिया गया है और 31.03.2018 तक के लिए प्रावधान लेखा पुस्तकों में किया गया है।

8.1.2 सहायक उत्पादन केंद्र-बैंगलूरु

- अ) निगम के स्वामित्व में कुल 6 एकड़ 38.3 गुन्टाज जमीन में से 3 एकड़ भूमि का आवंटन निदेशक (पिछड़ी जाति) के माध्यम से भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वर्ष 2001 में निगम को आवंटित किया था। उक्त भूमि के लिए निगम ने कोई भुगतान नहीं किया था। इसे 1.00 रुपये के नाम मात्र मूल्य पर लेखा पुस्तको के पूँजीकोष में जमा करते हुए दर्शाया गया है।
- बी) कारखाना भवन के निर्माण को सुविधाजनक बनाने के लिए निगम ने सम्पूर्ण भूमि 6 एकड़ 38.3 गुन्टाज पर वर्ष 2001-02 से 2003-04 तक का भूमि बेटरमेंट चार्ज व सम्पत्ति कर जमा कर दिया था। रुपये 38.73 लाख की कुल राशि में से रुपये 16.68 लाख (रुपये 16.68 लाख), जो निगमको आवंटित भूमि का बेटरमेंट चार्ज और सम्पत्ति कर बनता है उसे स्थाई सम्पत्ति के अन्तर्गत भूमि विकास खाते में दर्शाया गया है और निगम की स्वामित्व वाली अतिरिक्त भूमि के लिए जमा किये गये रुपये 22.05 लाख (रुपये 22.05 लाख) को ऋण अग्रिम खाते में दर्शाया गया है तथापि, खर्च का प्रावधान पुस्तकों में कर दिया गया है।
- सी) धर्मार्थ संगठन होने के नाते निगम को तथा संविधान के अनुच्छेद-285 को ध्यान में रखते हुए, निगम का संपत्ति पर कोई संपत्ति कर नहीं लगता है। संपत्ति

NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS

NOTE : 8 FIXED ASSETS-Contd.

8.1 LAND & BUILDINGS :

8.1.1 KANPUR

The corporation was allotted land measuring 44 acres by Indian Institute of Technology, Kanpur in the year 1974 free of cost. In the year 1999, a unregistered lease deed in favour of the corporation was executed by IIT Kanpur for a period of 60 years expiring in the year 2034. Value of the same has been disclosed in books of account at a nominal value of Rs. 1/- by crediting equal amount to Capital Reserve Account. Lease rent for 31.7.2017 has been paid and provision for period upto 31.3.2018 has been made in the books of accounts.

8.1.2 AUXILIARY PRODUCTION CENTRE - BENGALURU

- a) Out of total land area of 6 acres 38.3 guntas in possession of the corporation, land measuring 3 acres was allotted to the corporation in the year 2001 by Government of India through Director (Backward Classes), Ministry of Social Justice & Empowerment. The Corporation has not paid any amount against the allotment of above land. The same has been disclosed in books of account at a nominal value of Rs. 1.00 by crediting equal amount to Capital Reserve Account.
- b) In order to facilitate the construction of factory building, the corporation had deposited land Betterment charges & Property tax for the years 2001-02 to 2003-04 for the entire area of land measuring 6 acres 38.3 guntas. Out of total amount of Rs. 38.73 lacs, Rs. 16.68 lacs (Rs. 16.68 lacs) being betterment charges and property tax relating to land allotted to the corporation has been shown under the head Fixed Assets - Development of Land and balance amount of Rs. 22.05 lacs (Rs.22.05 lacs) paid in respect of excess area of land in possession of the corporation has been shown under the head Loans and Advances. However, provision of expenses has also been made in the books of accounts.
- c) In view of the corporation being a charitable organization and in view of Article 285 of the constitution, the property of the corporation are not subject to Property Tax. The judicial



कर से संबंधित ऐसे मामलों में निगम के पक्ष में न्यायिक घोषणा से यह उजागर होता है कि किसी भी प्रकार का कर तथा प्रभार देय नहीं होता है। किसी निगमीय संपत्ति पर यदि कोई देय होता है तथा इस प्रकार 2004 से अबतक बेंगलूर भूमि पर कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

pronouncements in favour of the corporation on such matters relating to property tax points out to the fact that no provision for taxes and other charges payable, if any, is required to be made for any property of the corporation and hence no provision has been made for Bangalore Land as well from 2004-05 till date.

8.1.3 सहायक उत्पादन केंद्र-चनालोन

प्रारंभिक स्तर पर, वर्ष 2005 में, पंजाब लघु उद्योग और निर्यातनिगम लिमिटेड द्वारा निगम को फोकल प्वाइंट, चनालोन में 12505.50 वर्ग गज भूमि आवंटित की गई थी। निगम ने 11836.42 वर्ग गज भूमि का वास्तविक स्वामित्व ग्रहण किया था। भूमि की कीमत हेतु रूपये 28.14 लाख (रूपये 28.14 लाख) भुगतान किये गये जिसे 'स्थाई परिसम्पत्तियों में पट्टे पर भूमि के अन्तर्गत दर्शाया गया है।

8.1.3 AUXILIARY PRODUCTION CENTRE - CHANALON

The corporation was initially allotted land measuring 12505.50 sq. yards at Focal Point, Chanalon by Punjab Small Industries and Export Corporation Limited in the year 2005. The corporation took over possession of actual land area measuring 11836.42 sq. yards. Cost of land paid amounting to Rs. 28.14 lacs (Rs. 28.14 lacs) has been capitalized under the head Fixed Assets – Lease Hold Land.

8.1.4 सहायक उत्पादन केंद्र- गुवाहटी

वर्ष 2007 में कामरूप जिले के उपायुक्त द्वारा निगम को 12 बीघे भूमि आवंटित की गई थी। उक्त भूमि हेतु निगम द्वारा रूपये 3.62 लाख (रूपये 3.62 लाख) रूपये बतौर किस्त भुगतान किए गए। यद्यपि निगम के नाम टाइटिल/पट्टे के अधिकार का पंजीकरण होना अभी दृष्टि है, परन्तु चूँकि निगम ने भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया है अतः इसे 'स्थाई परिसम्पत्तियों' के अन्तर्गत दर्शाया गया है। पट्टे का किराया 2017-18 वर्ष तक रू0 750/- लेखा पुस्तकों में ले लिया गया है।

8.1.4 ALIMCO OUTREACH CENTRE GUWAHATI

The corporation was allotted land measuring 12 Bighas by Deputy Commissioner, Kamrup District in the year 2007. A sum of Rs. 3.62 lacs (Rs. 3.62 lacs) has been paid by the corporation as premium of said land. Though the title/lease hold rights of the said land are yet to be registered in the name of the corporation, the said land has been capitalized under the head Fixed Assets as possession of the same has been taken over by the corporation. Lease rent upto 2017-18 amounting to Rs 750/- has been provided in the books of accounts.

8.1.5 सहायक उत्पादन केंद्र-कैमूर

वर्ष 2009 में जिला कलेक्टर कैमूर द्वारा निगम को 2 एकड़ भूमि आवंटित की गई थी। निगम द्वारा इस भूमि के 30 वर्ष के पट्टे जो कि वर्ष 2039 में समाप्त हो रहा है, हेतु रूपये 3.59 लाख (रूपये 3.59 लाख) की किस्त का भुगतान किया है निगम के नाम टाइटिल/पट्टे के अधिकार का पंजीकरण होना अभी दृष्टि है, परन्तु उक्त भूमि का कब्जा निगम के पास है। दी गई किस्त को प्रगति पर पूंजीगत कार्य के अन्तर्गत दर्शाया गया है। इस वित्त वर्ष की लेखा बहियों में 3.59 लाख रूपये की राशि को पूंजीकृत किया गया है। कब्जे की तारीख अर्थात् 17.2.2009 से 31.3.2018 तक के लिए 16000/- रूपये प्रतिवर्ष की दर से कुल राशि 1.46 लाख रूपये के पट्टा किराये का प्रावधान लेखा बहियों में किया गया है।

8.1.5 AUXILIARY PRODUCTION CENTRE, KAIMUR

The corporation was allotted land measuring 2 acres by District Collector, KAIMUR in the year 2009. A sum of Rs. 3.59 lacs (Rs. 3.59 lacs) has been paid by the corporation as premium for 30 years of lease of said land expiring in the year 2039. Though the title/lease hold rights of the said land are yet to be transferred in the name of the corporation. However, since the possession of the same is with the corporation, the sum of Rs 3.59 Lacs has been capitalized in the books of accounts this financial year. Provision for LeaseRent @ Rs 16000.00 per annum from the date of possession i.e. 17.2.2009 to 31.3.2018 amounting to Rs 1.46 Lacs has been provided in the books of accounts.



8.1.6 सहायक उत्पादन केंद्र- भुवनेश्वर

निगम के दो अलग अलग भूखंडों 14-सी और एस3/66 होने वर्ष 1999 में उड़ीसा औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम, भुवनेश्वर से 2.30 एकड़ जमीन acerca मापने जमीन आवंटित की गई थी। राशि 16.62 लाख (रु 16.62 लाख) 14-सी के लिए दिया गया है, इसके अलावा प्लॉट एस-3/66 में अधिग्रहण कर लिया था, जो एक अलग पट्टे की पकड़ भूमि के लिए साल 2077 में अवसान हो रहा है भूमि की लीज 78 साल के लिए प्रीमियम के रूप में निगम द्वारा भुगतान रुपये 12.05 लाख रुपए (12.05 लाख) की राशि-कर दिया गया है 90 साल के लिए प्रीमियम के रूप में भुगतान किया। इसका पूँजीकरण दृढ़ सम्पत्तियों के शीर्ष के अधीन यथा पट्टा भूमि में कर लिया गया है। पट्टा अवधि के ह्रास होने से पट्टा प्रीमियम घटता जायेगा।

इसके अतिरिक्त, महिला विकास समाव्या निगम, भुवनेश्वर द्वारा उड़ीसा सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग के आदेश के अनुसार निगम को रु. 20.12 लाख (रु. 20.12 लाख) के भुगतान करने पर शेड संख्या एस-3/84 एवं एस-3/85 हस्तांतरित किये थे। इसे 'स्थायी परिसम्पत्तियों के अन्तर्गत पट्टे पर भूमि में दर्शाया गया है यद्यपि इसका प्राधिकता प्रमाण पत्र निगम के पक्ष में अभी हस्तांतरित होना दृष्टि है। भुगतान 90 साल के लिए परिशोधित किया गया है।

8.1.7 सहायक उत्पादन केंद्र-जबलपुर

वर्ष 2000 में मुख्य प्रबन्धक जिला ट्रेड एण्ड इण्डस्ट्रीज सेन्टर, जबलपुर के माध्यम से मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा निगम को 3.31 एकड़ भूमि आवंटित की गई थी। निगम द्वारा इस भूमि के 99 वर्ष के पट्टे जो कि वर्ष 2099 में समाप्त हो रहा है, हेतु रुपये 6.20 लाख (रुपये 6.20 लाख) की किस्त का भुगतान किया है। इसे 'स्थायी परिसम्पत्तियों के अन्तर्गत पट्टे पर भूमि में दर्शाया गया है। दिये गये पट्टे किस्त को पट्टे की अवधि में ह्रास के रूप में अपलिखित किया जा रहा है।

8.1.8 उज्जैन परियोजना

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की सलाह पर निगम के पक्ष में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने 1 रुपये के मूल्य पर चिर स्थायी पट्टा विलेख 20 जनवरी, 2016 को कर दिया था। इसे लेखा बहियों में सामान्य मूल्य 1 रुपये दिखाया गया है। 2017-18 हेतु 1.00 रुपये के पट्टे किराये का लेखा बहियों में प्रावधान किया गया है।

8.1.6 AUXILIARY PRODUCTION CENTRE, BHUBANESHWAR

The corporation was allotted land measuring about 2.30 acres by Orissa Industrial Infrastructure Development Corporation, Bhubaneswar in the year 1999 having two different plots 14-C and S-3/66. A sum of Rs. 16.62 lacs (Rs. 16.62 lacs) for 14-C has been paid by the corporation as premium for 78 years of lease of said land expiring in the year 2077. For a separate lease hold land which was also acquired in Plot S-3/66, a sum of Rs 12.05 Lacs (Rs 12.05 Lacs) has been paid as premium for 90 years. The same has been capitalized under the head Fixed Assets as lease hold land. Lease premium is being amortized over the lease period as depreciation.

In addition to above, shed nos. S-3/84 & S-3/85 were handed over to the corporation by Mahila Vikas Samabaya Nigam, Bhubaneswar on payment of Rs. 20.12 lacs (Rs. 20.12 lacs) as per the order of Department of Women and Child Welfare, government of Orissa. The said sum has been disclosed under the head Fixed Assets – Lease Hold Land. Although title of the same is yet to be transferred in favor of the corporation, the payment has been amortised for 90 years.

8.1.7 AUXILIARY PRODUCTION CENTRE, JABALPUR

The corporation was allotted land measuring 3.31 acres by Governor of Madhya Pradesh through Chief General Manager, District Trade & Industries Centre, Jabalpur in the year 2000. A sum of Rs. 6.20 lacs (Rs. 6.20 lacs) has been paid by the corporation as premium for 99 years of lease of said land expiring in the year 2099. The same has been capitalized under the head Fixed Assets as lease hold land. Lease premium is being amortized over the lease period as depreciation.

8.1.8 UJJAIN PROJECT

A perpetual lease deed dated 20th January 2016 on the advise of Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan), Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India at a nominal value of Re 1 has been executed by Madhya Pradesh State Government in favour of corporation. The same has been disclosed in books of account at a nominal value of Rs. 1.00. Lease Rental of Rs 1.00 for 2017-18 has been provided for in the books of accounts.



8.2 अन्य स्थिर सम्पत्ति

फिक्स्ड एसेट रजिस्टर अपडेट की प्रक्रिया में है; प्रबंधन ने जबलपुर और हेड क्वार्टर को छोड़कर सभी केंद्रों में फिक्स्ड एसेट रजिस्टर और भौतिक सत्यापन को अद्यतन करने के लिए कदम उठाए हैं और कोई विसंगति नहीं मिली है। हेड क्वार्टर और जबलपुर में फिक्स्ड एसेट का भौतिक सत्यापन प्रगति पर है। भौतिक सत्यापन पर विसंगतियों, यदि कोई हो, को पहचानने के दौरान समायोजित किया जाएगा।

8.3 अनुपयोगी सम्पत्ति : एस-28

प्रबंधन के आकलन के मुताबिक कोई भी संकेत नहीं है कि किसी भी परिसंपत्ति को बैलेंस शीट तिथि के रूप में खराब कर दिया गया है और न ही कोई सबूत संपत्ति के अशुभता या शारीरिक क्षति या निगम पर प्रतिकूल प्रभाव के साथ महत्वपूर्ण परिवर्तन के दौरान हुआ है। अवधि या निकट भविष्य में होने की उम्मीद है और न ही आंतरिक रिपोर्टिंग से सबूत उपलब्ध हैं जो इंगित करता है कि संपत्ति का आर्थिक प्रदर्शन अपेक्षा से भी बदतर है या होगा।

8.4 कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के अनुसार मूल्य ह्रास

वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची दो में निर्धारित मानदण्डों के अनुसार प्रमाणित किया गया है। व्यक्तिगत सम्पत्तियों ओर अमूर्त सम्पत्तियों के उपयोगी जीवन, मृतजीवन और दृष्टि जीवन का 5 वर्ष उपयोगी जीवन के आधार पर विचार किया गया है।

पट्टा युक्त भूमियों तथा भूमि विकास प्रभारों को, बैंगलुरु के सिवाय जहाँ भूमि विकास प्रभारों को पट्टा अवधि हेतु परिशोधन नहीं किया गया है, दृष्टि पट्टा अवधि के आधार पर परिशोधन किया गया है।

8.2 OTHER FIXED ASSETS :

The Fixed Asset Register is in the process of updation; Management has taken steps for updating Fixed Asset Register and physical verification which has been completed in all the Centres except Jabalpur and Head Quarter and no discrepancy has been found. The physical verification of Fixed Asset in Head Quarter and Jabalpur is in progress. Discrepancies, if any, on physical verification shall be adjusted as and when identified.

8.3 IMPAIRMENT OF ASSETS : AS - 28

As per assessment of the management there is neither any indication that any asset has impaired as on the Balance Sheet date nor any evidence is available of obsolescence or physical damage of an asset or significant change with an adverse effect on the Corporation have taken place during the period or are expected to take place in near future nor evidence available from internal reporting that indicates that the economic performance of an asset is, or will be, worse than expected.

8.4 DEPRECIATION AS PER SCHEDULE II OF COMPANIES ACT, 2013

Depreciation from the financial year 2014-15 onwards has been charged as prescribed by Schedule II of the Companies Act, 2013 considering the useful life, expired life and residual life of individual assets. Intangible assets have been amortised on the basis of useful life of 5 years.

The Lease Hold Lands and Land Development charges are being amortised on the basis of balance lease period except for Bangalore where Land development Charges for want of lease period was not amortised.



भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर
वित्तीय विवरण का हिस्सा बनाने के नोट्स

नोट 9 : दीर्घ अवधि ऋण एवं अग्रिम

(रु लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
(क)	पूँजी अग्रिम		
	सुरक्षित, अच्छा माना गया	0.00	0.00
	असुरक्षित, अच्छा माना गया	1,058.14	927.43
	संदेह जनक	0.00	0.00
		1,058.14	927.43
	घटाएं: संदेह जनक जमाओं हेतु प्राक्धान	0.00	0.00
		1,058.14	927.43
	योग	1,058.14	927.43

**ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA
KANPUR**

NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS

NOTE 9 - LONG TERM LOANS AND ADVANCES

(RS. IN LACS)

S NO.	PARTICULARS	AS AT 31ST MARCH 2018	AS AT 31ST MARCH 2017
(a)	Capital advances		
	Secured, considered good	0.00	0.00
	Unsecured, considered good	1,058.14	927.43
	Doubtful	0.00	0.00
		1,058.14	927.43
	Less: Provision for doubtful deposits	0.00	0.00
		1,058.14	927.43
	TOTAL	1,058.14	927.43



भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर
वित्तीय विवरण का हिस्सा बनाने के नोट्स

नोट 10 : रहतिया

(लेखों का नीतियों में प्रकटीकरण के अनुसार महत्वपूर्ण नोट नं. 20)

(रु लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
(ए)	कच्चा माल	1,493.01	1,317.97
	जॉच के अधीन	502.17	301.73
	माल-पारगमन में	0.00	0.00
		1,995.18	1,619.70
घटाया : धीमी गति/बिना गति की रहतिया के लिये प्रावधान		85.91	94.24
		1,909.27	1,525.46
(बी)	कार्य में प्रगति	439.83	282.81
	माल-पारगमन में	0.00	0.00
		439.83	282.81
(सी)	निर्मित माल	3,119.92	2,352.09
	ऋण पर/वापसी योग्य	2.02	2.02
	माल-पारगमन में	57.15	51.42
		3,179.09	2,405.53
	घटाया : धीमी गति/बिना गति के रहतिया के लिये प्रावधान	76.92	72.85
	3,102.17	2,332.68	
(डी)	फेब्रीकेटिंग मद	0.37	0.68
(ई)	रद्दी	12.68	15.56
	माल-पारगमन में	0.00	0.00
		12.68	15.56
(एफ)	भंडार एवं पुर्जे	160.45	134.32
	माल-पारगमन में	0.00	0.00
		160.45	134.32
	घटाया : धीमी गति/बिना गति के रहतिया के लिये प्रावधान	10.75	10.07
	149.70	124.25	
(जी)	फुटकर औजार	17.59	18.66
	माल-पारगमन में	0.00	0.00
		17.59	18.66
	योग	5,631.61	4,300.10

नोट : काम में प्रगति की रहतिया का विवरण

(रु लाख में)

विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
कृत्रिम अंग, यंत्र एवं उपकरण	439.83	282.81
योग	439.83	282.81

10.1 कच्चा माल, फुटकर टूल्स, भंडार और अतिरिक्त पुर्जे, तैयार माल, निर्माणाधीन माल तथा स्क्रेप का रहतिया भण्डार अंकेशक एवं प्रबन्धन द्वारा निगम की पालिसी के अनुसार मूल्यांकित है। परन्तु निगम द्वारा पूर्व 3 वर्षों में न चलायमान और कम चलायमान रहतिया हेतु रु. 173.58 लाख (रु0 177.16 लाख) का प्रावधान बट्टे खाते में किया गया है। क्षतिग्रस्त स्टॉक हेतु निपटान कार्रवाई प्रारंभ की गयी है के ब्रिकेटिंग एजेंसियों हेतु औजारों के गैर-संचालन स्टॉक को प्रदर्शित किया गया था परन्तु उचित प्रतिक्रिया अभी भी प्राप्त होनी है। कच्ची सामग्री का वैकल्पिक उपयोग का भी ध्यान रखा जाता है।



**ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA
KANPUR**

NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS

NOTE 10 : INVENTORIES

(Valued as per disclosure in Accounting Policies Note No. 20)

(RS. IN LACS)

S NO.	PARTICULARS	AS AT 31ST MARCH 2018	AS AT 31ST MARCH 2017
(a)	Raw Materials	1,493.01	1,317.97
	Under Inspection	502.17	301.73
	Goods-in-transit	0.00	0.00
		1,995.18	1,619.70
	Less : Provision for Slow Moving/Non Moving Inventories	85.91	94.24
		1,909.27	1,525.46
(b)	Work-in-Progress	439.83	282.81
	Goods-in-transit	0.00	0.00
		439.83	282.81
(c)	Finished Goods	3,119.92	2,352.09
	On Loan/ Returnable basis	2.02	2.02
	Goods-in-transit	57.15	51.42
		3,179.09	2,405.53
	Less : Provision for Slow Moving/Non Moving Inventories	76.92	72.85
		3,102.17	2,332.68
(d)	Fabricating Items	0.37	0.68
(e)	Scrap	12.68	15.56
	Goods-in-transit	0.00	0.00
		12.68	15.56
(f)	Stores and Spares	160.45	134.32
	Goods-in-transit	0.00	0.00
		160.45	134.32
	Less : Provision for Slow Moving/Non Moving Inventories	10.75	10.07
		149.70	124.25
(g)	Loose Tools	17.59	18.66
	Goods-in-transit	0.00	0.00
		17.59	18.66
	TOTAL	5,631.61	4,300.10

Note: Details of inventory of work-in-progress

(RS. IN LACS)

PARTICULARS	AS AT 31ST MARCH 2018	AS AT 31ST MARCH 2017
ARTIFICIAL LIMBS, AIDS AND APPLIANCES	439.83	282.81
TOTAL	439.83	282.81

10.1 Inventories of raw materials, loose tools, store and spare parts, finished goods, work in progress and scrap are as per inventory taken and certified by the stock auditors and valued by management as per corporation's accounting policy. For Non-moving and slow moving inventory for last three years, the Corporation has made a provision of Rs. 173.58 Lacs (Rs 177.16 Lacs) towards redundancy. The disposal action for damaged stock has been initiated; the non moving stock of tools for fabricating agencies were displayed but proper response is yet to be received. Alternative usage for Raw Material is also being looked into.



भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर
वित्तीय विवरण का हिस्सा बनाने के नोट्स

नोट 11 : व्यापारिक प्राप्तियाँ

(रु लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
1	भुगतान हेतु देय तारीख से 6 महीनों से अधिक अवधि हेतु बकाया व्यापारिक प्राप्तियाँ		
	प्रतिभूत, माने गये माल	0.00	0.00
	अप्रतिभूत, माने गये माल	334.44	398.10
	संदिग्ध	754.37	1,282.96
		1,088.81	1,681.06
	घटाया : संदिग्ध व्यापारिक प्राप्तियों के लिये प्रावधान	754.37	1,282.96
		334.44	398.10
2	अन्य व्यापारिक प्राप्तियाँ		
	प्रतिभूत, माने गये माल	0.00	0.00
	अप्रतिभूत, माने गये माल	1,193.99	879.64
	संदिग्ध	0.00	0.00
		1,193.99	879.64
	घटाया : संदिग्ध व्यापारिक प्राप्तियों के लिये प्रावधान		
		1,193.99	879.64
	योग	1,528.43	1,277.44
नोट : ऋण बकाये सहित व्यापारिक प्राप्तियों के लिये प्रावधान			
क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
(ए)	निदेशक	0.00	0.00
(बी)	संस्थान के अन्य अधिकारी	0.00	0.00
(सी)	संस्थान जिसमें कोई निदेशक भागीदार है (प्रति संस्थान का विवरण दें)	0.00	0.00
(डी)	व्यक्तिगत कम्पनियाँ जिसमें कोई निदेशक, निदेशक या सदस्य है (प्रति कम्पनी का विवरण दें)	0.00	0.00
	योग	0.00	0.00
11.1	प्रबंधन की राय में, 754.37 लाख रुपये (1282.96 लाख रुपये) के अतिरिक्त ग्राहकों से प्राप्त राशियाँ वसूली हेतु अच्छी हैं। संबंधित कर्जदारों द्वारा दृष्टि की पुष्टि न होने अथवा बजटीय मजबूती के कारण उनके सक्षम अधिकारियों के अनुमोदन की आवश्यकता हेतु भुगतान करने की उनकी असमर्थता के कारण तथा 5 वर्ष से अधिक समय से बकाया होने के कारण, उपयुक्त प्रावधान किये गये हैं।		
11.2	संशोधित लेखांकन नीतियों के अनुसार वितरण के लिये भेजी गयी सामग्री के खाते में दृष्टि जमा राशि रु0 1911.03 लाख (रु. 6730.49 लाख) है और इसे अनुदान के उपयोग की तरह माना गया और अनुदान से कटौती की जाती है। और इस तरह के रूप में विविध देनदार के रूप में प्रकटीकरण नहीं किया गया है।		
11.3	ग्राहकों से अधिशेष पुष्टिकरण के अधीन है। तथापि, अधिशेष का वसूली हेतु, नियमित पत्राचार किया जा रहा है।		



**ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA
KANPUR**

NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS

NOTE 11 : TRADE RECEIVABLES

(RS. IN LACS)

S NO.	PARTICULARS	AS AT 31ST MARCH 2018	AS AT 31ST MARCH 2017
1	Trade receivables outstanding for a period exceeding six months from the date they were due for payment		
	Secured, considered good	0.00	0.00
	Unsecured, considered good	334.44	398.10
	Doubtful	754.37	1,282.96
		1,088.81	1,681.06
	Less: Provision for doubtful trade receivables	754.37	1,282.96
		334.44	398.10
2	Other Trade receivables		
	Secured, considered good	0.00	0.00
	Unsecured, considered good	1,193.99	879.64
	Doubtful	0.00	0.00
		1,193.99	879.64
	Less: Provision for doubtful trade receivables		
		1,193.99	879.64
	TOTAL	1,528.43	1,277.44

Note: Trade receivables include debts due from:

S NO.	PARTICULARS	AS AT 31ST MARCH 2018	AS AT 31ST MARCH 2017
(a)	Directors	0.00	0.00
(b)	Other officers of the Company	0.00	0.00
(c)	Firms in which any director is a partner (give details per firm)	0.00	0.00
(d)	Private companies in which any director is a director or member (give details per company)	0.00	0.00
	TOTAL	0.00	0.00

11.1 In the opinion of the management, the amounts receivable from customers are good for recovery except Rs 754.37 Lacs (Rs. 1282.96 Lacs). Because of non-confirmation of balance by respective Debtors or their inability to pay for want of approval of their competent authority due to budgetary constraints and also because of outstanding being more than five years, suitable provisions have been made.

11.2 As per Revised Accounting Policies, debit balances amounting to Rs. 1911.03 Lacs (Rs 6730.49 Lacs) for materials dispatched for distribution but for which distribution certificate is awaited has been considered as utilization of grants and has been deducted from the grant and as such have not been disclosed as sundry debtors.

11.3 Dues from customers are subject to confirmation. However, regular correspondences are being done to liquidate the dues.



भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर
वित्तीय विवरण का हिस्सा बनाने के नोट्स

नोट 12 : नकद और नकद समकक्ष

(रु लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
(ए)	हाथ में रोकड़	6.40	3.42
(बी)	चेक, डाफ्ट्र हाथ में	0.00	0.00
(सी)	बैंको में शेष		
(i)	चालू खाते में	941.14	635.50
(ii)	बचत खाते में	9,171.10	4,693.76
(iii)	सावधि जमा खातों में		
(अ)	- आधुनिकीकरण व्यय की पूर्ति हेतु	9,529.00	12,309.00
(ब)	- उपर्युक्त के अलावा (नोट 12.2 एवं 12.3 देखें)	11,777.97	10,749.02
	योग	31,425.61	28,390.70
	उपरोक्त के तुलनात्मक मिलान की परिभाषा के नकद और नकद के समकक्ष के लिये एस 3 नकद प्रवाह विवरण है।		
		31,425.61	28,390.70
12.1	12 माह से अधिक की परिपक्वता के साथ, बैंकों के रु0 शून्य के जमा के साथ सावधि जमा।		
12.2	बोर्ड ने 338.00 करोड़ रुपये की आधुनिकीकरण योजना को अनुमोदित किया है जिसमें से 200 करोड़ रुपये की राशि का वित्तपोषण मंत्रालय की ओर से तथा शेष राशि का वित्तपोषण आंतरिक रूप से व्यवस्था करके किया जाना है। चूंकि निगम ने 2017-18 में 27.80 करोड़ (गतवर्ष 14.91 करोड़) रुपये खर्च कर दिये हैं, 95.29 करोड़ रुपये की शेष निधि की एफडीआर्स को अलग कर दिया गया है और आधुनिकीकरण व्यय को पूरा करने के लिए एफडीआर्स के रूप में प्रकट कर दिया है। ऐसी एफडीआर्स पर प्रोद्भूत ब्याज को पूंजीकृत किया गया है तथा पूंजीगत रिजर्व सृजित किया गया है जिसे निगम के वित्तीय साधन के रूप में तथा आधुनिकीकरण योजना में आगे होने वाली बढ़ोतरी के लिए रखा जाएगा। आधुनिकीकरण परियोजना को पूरा होने पर उस रिजर्व में से अनप्रयुक्त राशि का वापस लौटाया जायेगा।		

ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA
KANPUR

NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS

NOTE 12 CASH AND CASH EQUIVALENTS

(RS. IN LACS)

S NO.	PARTICULARS	AS AT 31ST MARCH 2018	AS AT 31ST MARCH 2017
(a)	Cash in hand	6.40	3.42
(b)	Cheques, drafts on hand	0.00	0.00
(c)	Balances with banks		
(i)	In current accounts	941.14	635.50
(ii)	In Saving Bank Accounts	9,171.10	4,693.76
(iii)	In Fixed deposit accounts -		
a	- for meeting modernization expenses	9,529.00	12,309.00
b	- other than above (Refer Note 12.2 & 12.3)	11,777.97	10,749.02
	TOTAL	31,425.61	28,390.70
	Of the above, the balances that meet the definition of Cash and cash equivalents as per AS 3 Cash Flow Statements is		
		31,425.61	28,390.70
12.1	Fixed Deposits with Banks include deposits of Rs. Nil (Rs. Nil) with maturity of more than 12 months.		
12.2	The Board has approved a Modernization plan of Rs 338.00 crores out of which the Modernization fund to be financed by Ministry is Rs 200.00 Crores and balance is to be financed from internal accruals. Since the corporation has spent Rs 27.80 crores (PY Rs 14.91 crores) in 2017-18; FDRs of balance fund of Rs 95.29 crores (PY Rs 123.09 crores) has been set aside and has been disclosed as FDRs for meeting modernization expenses. The interest accrued on such FDRs have been capitalized and Capital Reserve has been created which would take care of Corporation's source of finance and further escalations in the Modernization Plan. Any unutilized amount from out of that reserve on completion of the modernization project would be written back.		



भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर
वित्तीय विवरण का हिस्सा बनाने के नोट्स

नोट 13 : अल्पावधि ऋण और अग्रिम

(रु लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
(ए)	प्रतिभूति जमाएँ		
	सुरक्षित, अच्छा माना गया	0.00	0.00
	असुरक्षित, अच्छा माना गया	78.91	25.60
	संदेहजनक	0.00	0.00
		78.91	25.60
	घटाएँ : संदेहजनक जमाओं हेतु प्रावधान	0.00	0.00
		78.91	25.60
(बी)	कर्मचारियों को ऋण तथा अग्रिम		
	सुरक्षित, अच्छा माना गया	0.00	0.00
	असुरक्षित, अच्छा माना गया	23.97	22.57
	संदेहजनक	0.00	0.00
		23.97	22.57
	घटाएँ : संदेहजनक जमाओं हेतु प्रावधान	0.00	0.00
		23.97	22.57
(सी)	पूर्व भुगतान, खर्च-असुरक्षित माना जाने वाला माल	20.58	14.48
		20.58	14.48
(डी)	सरकारी प्राधिकारियों पर शेष		
	असुरक्षित, अच्छा माना गया		
	(i) प्राप्ति योग्य आयकर	187.85	122.88
	(ii) जीएसटी	434.24	0.00
	(iii) वसूली योग्य सम्पत्ति कर	22.20	22.20
	(iv) निदेशक पिछड़ा वर्ग, मंत्रालय (एसजेएण्डई)	22.05	22.05
	(v) बिक्री कर एवं वैट/प्रवेश कर चुंगी एवं अन्य	5.64	5.19
(vi) चुंगी एवं अन्य	5.66	5.66	
		677.64	177.98
(इ)	वसूली योग्य दावे		
	आरबीवाई कंपों में वितरण के बाद समायोजन हेतु खर्चों के लिए	31.17	0.00
	बीमा कंपनियों से	0.00	31.17
	अन्यों से	0.00	21.69
		31.17	52.86
(एफ)	आपूर्तिकर्ताओं/पार्टियों को अग्रिम		
	सुरक्षित, अच्छा माना गया	0.00	0.00
	असुरक्षित, अच्छा माना गया	31.38	13.42
	संदेहजनक	8.70	8.70
		40.08	22.12
	घटाएँ : संदेहजनक जमाओं हेतु प्रावधान	8.70	8.70
		31.38	13.42
	योग	863.65	306.91

क्रमशः



ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA
KANPUR

NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS

NOTE 13 SHORT TERM LOANS AND ADVANCES

(RS. IN LACS)

S NO.	PARTICULARS	AS AT 31ST MARCH 2018	AS AT 31ST MARCH 2017
(a)	Security deposits		
	Secured, considered good	0.00	0.00
	Unsecured, considered good	78.91	25.60
	Doubtful	0.00	0.00
		78.91	25.60
	Less: Provision for doubtful deposits	0.00	0.00
		78.91	25.60
(b)	Loans and advances to employees		
	Secured, considered good	0.00	0.00
	Unsecured, considered good	23.97	22.57
	Doubtful	0.00	0.00
		23.97	22.57
	Less: Provision for doubtful loans and advances	0.00	0.00
		23.97	22.57
(c)	Prepaid expenses - Unsecured, considered good	20.58	14.48
		20.58	14.48
(d)	Balances with government authorities		
	Unsecured, considered good		
(i)	Income Tax receivable	187.85	122.88
(ii)	GST receivable	434.24	0.00
(iii)	Property Tax Recoverable	22.20	22.20
(iv)	Director Backward Classes, MoSJE	22.05	22.05
(v)	Sales Tax & VAT/Entry Tax	5.64	5.19
(vi)	Octroi & others	5.66	5.66
		677.64	177.98
(e)	Claim Recoverable		
	for expenses to be adjusted after distribution in RVY Camps	31.17	0.00
	from Insurance Company	0.00	31.17
	from Others	0.00	21.69
		31.17	52.86
(f)	Advance to Suppliers/Partties		
	Secured, considered good	0.00	0.00
	Unsecured, considered good	31.38	13.42
	Doubtful	8.70	8.70
		40.08	22.12
	Less: Provision for doubtful advances	8.70	8.70
		31.38	13.42
	TOTAL	863.65	306.91

Contd.



भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर
वित्तीय विवरण का हिस्सा बनाने के नोट्स

नोट 13 : अल्पावधि ऋण और अग्रिम

नोट : अल्पावधि ऋण और अग्रिम में राशि का बकाया शामिल है

(रु लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
	निदेशक	0.00	0.00
	कंपनी के अन्य अधिकारी	0.00	0.00
	उस फर्म, जिसमें कोई निदेशक भागीदारी है (प्रति फर्म विवरण दें)	0.00	0.00
	प्राईवेट कंपनी जिसमें कोई निदेशक भागीदार है अथवा सदस्य है (प्रति कंपनी विवरण दें)	0.00	0.00
		0.00	0.00
13.1	प्रबंधन की राय में, ऋण तथा अग्रिम मूल्य कथित होते हैं यदि सामान्य कारोबार के दौरान वसूल हो जाते हैं तथा वसूली के लिए अच्छे होते हैं।		
13.2	ऋणों तथा अग्रिमों में 187.85 लाख रुपये (122.88 लाख रुपये) शामिल हैं, निर्धारण वर्ष 2009-10 से 2018-19 हेतु स्रोत पर काटे गये आयकर की राशि जिसे निगम द्वारा दाखिल संबंधित वर्षों की आयकर विवरणियों के जरिये निगम के संबंध में धारा 12 ए ए के तहत इसके पंजीकरण तथा पूर्व वर्षों में पूर्ण हुए निधारणों को ध्यान में रखते हुए रिफंड के रूप में दावा किया है। निर्धारण वर्षों 2009-10 से 2015-16 हेतु निगम का निर्धारण अनेक प्राधिकारियों द्वारा धारा-143 (3) के तहत किया गया है तथा 3848.37 लाख (3233.47 लाख रुपये प्रतिवर्ष) की मांग उठायी गयी है जिसके खिलाफ निगम ने अपीले फाइल की है जो प्रथम तथा/अथवा द्वितीय अपील प्राधिकारी के पास लंबित है। तथापि, माननीय उच्च न्यायालय ने निर्धारण वर्ष 2009-10 हेतु विभाग की अपील पर मामले को प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के पास पुनर्विचार हेतु भेज दिया है तथा निगम की ओर से चलाई जा रही गतिविधि के मौलिक विशयों पर, जो अधिनियम की धारा-2(15) के क्षेत्र के भीतर आते हैं, निर्णय करें।		
13.3	विवाद के अधीन नगर महापालिका कानुपुर में जमा कराये गये संपत्ति कर के रूप में 22.20 लाख रुपये की राशि (22.20 लाख रुपये) ऋणों तथा अग्रिमों में शामिल है, न्यायालय ने निगम के पक्ष में निर्णय दिया है, तथापि, नगर महापालिका ने जिला न्यायालय में अपील कर दी है।		
13.4	बिक्री कर/वैट अधिकारियों ने निर्धारण वर्षों 2005-06 से 2012-13 हेतु 70.15 लाख रुपये (76.15 लाख रुपये) की कुल मांगें निगम की ओर निकाली हैं जिसके अनुपालन में 5.64 लाख रुपये (5.19 लाख रुपये) की राशि जमा कर दी गयी है। वर्ष के दौरान, निगम द्वारा जिन मामलों के लिए आंशिक रूप से मांग को पूरा किया गया था, को निगम के पक्ष में निर्णय किया गया है, इस प्रकार जमा राशि में घटौती को प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। यह शेष राशि हेतु भी विभाग के साथ अपील करना बेहतर समझा गया है तथा इसलिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।		
13.5	पार्टियों तथा कर्मचारियों के खातों में शेष राशियाँ पुष्टि के अधीन है।		



**ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA
KANPUR**

NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS

NOTE 13 SHORT TERM LOANS AND ADVANCES

(RS. IN LACS)

Note : Short-term loans and advances include amounts due from :

S NO.	PARTICULARS	AS AT 31ST MARCH 2018	AS AT 31ST MARCH 2017
	Directors	0.00	0.00
	Other officers of the Company	0.00	0.00
	Firms in which any director is a partner (give details per firm)	0.00	0.00
	Private companies in which any director is a director or member (give details per company)	0.00	0.00
		0.00	0.00
13.1	In the opinion of the management, loans and advances are of value stated, if realized in ordinary course of business and are good for recovery.		
13.2	Loans and advances includes Rs. 187.85 lacs (Rs. 122.88 lacs), the amount of income tax deducted at source for the assessment years 2009-10 to 2018-19 which vide filed returns of income of the respective years by the corporation has been claimed as refundable in view of its registration under section 12AA and earlier years completed assessments in favour of the corporation. The Corporation has been assessed by various authorities for the assessment years 2009-10 to 2015-16 under section 143 (3) and demands of Rs 3848.37 Lacs (PY 3233.47 Lacs) have been raised against which the corporation has preferred appeals which are pending before 1st and/or 2nd appellate authorities. However the Honorable High Court on department's appeal for AY 2009-10 has restored back the matter before 1st Appellate authority to reconsider and decide the basic issue of the activity being carried on by the corporation falls within the ambit of section 2(15) of the Act.		
13.3	Loans and Advances includes a sum of Rs. 22.20 lacs (Rs. 22.20 Lacs) being property tax deposited with Nagar Maha Palika, Kanpur under dispute. The Court has decided the case in favour of the Corporation, however Nagar Mahapalika has gone into appeal before District Court.		
13.4	Total demand of Rs 70.15 Lacs (Rs 76.15 Lacs) for assessment years 2005-06 to 2012-13 has been imposed by Sales Tax/VAT authorities against which a sum of Rs 5.64 Lacs (PY Rs 5.19 Lacs) has been deposited. During the year, certain cases against which the partial demand was deposited by the corporation has been decided in favour of the corporation, thereby a reduction in deposited amount can be witnessed. For balance amounts also, Appeal has been preferred with the Department and hence no provision has been made.		
13.5	Balances in parties and employees account are subject to confirmation .		



ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA
KANPUR

NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS

नोट 14 : अन्य मौजूदा सम्पत्तियाँ

(रु लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
(ए)	प्रोद्भूत आय		
(i)	जमा राशि पर प्रोद्भूत ब्याज	470.43	454.99
(b)	अन्य		
(i)	ठेकेदारी के रूप में वापसी योग्य व्यय	0.00	0.00
(ii)	प्राप्ति योग्य निधियाँ	164.25	55.44
	योग	634.68	510.43
14.1	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, द्वारा प्राप्ति निधि जिसमें मंत्रालय द्वारा स्वीकृत की गई राशि शामिल है तथा उसी मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्थान और अन्य सरकारी प्राधिकरणों जो 31.03.2018 से पहले वित्त वर्ष 2017-18 के बजट से स्वीकृत किये गये थे और इसीलिए प्राप्ति निधि में ऊपर दिखाया गया।		

NOTE 14 : OTHER CURRENT ASSETS

(RS. IN LACS)

S NO.	PARTICULARS	AS AT 31ST MARCH 2018	AS AT 31ST MARCH 2017
(a)	Accruals		
(i)	Interest accrued on deposits	470.43	454.99
(b)	Others		
(i)	Contractually reimbursable expenses	0.00	0.00
(ii)	Funds receivable	164.25	55.44
	TOTAL	634.68	510.43
14.1	Funds receivable includes the amount that has been sanctioned by Ministry of Social Justice & Empowerment and from National Institutes under the same Ministry and other Government authorities (SSA authorities) which have been sanctioned up to 31st March 2018 from its budget of Financial year 2017-18 and therefore has been considered as Funds Receivable as shown above.		



भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर
वित्तीय विवरण का हिस्सा बनाने के नोट्स

नोट 15 : परिचालन से राजस्व

(रु लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिये	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
(ए)	उत्पादों की सकल बिक्री (जीएसटी सहित)	22,149.03	23,286.45
(बी)	सेवा की बिक्री	0.26	0.81
(सी)	अन्य परिचालन राजस्व	701.07	779.97
		22,850.36	24,067.23
(डी)	घटाया : जीएसटी	814.97	0.00
(ई)	छूट	290.64	235.56
	TOTAL	21,744.75	23,831.67

नोट :

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिये	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
(i)	उत्पादों की सकल बिक्री में शामिल निर्मित माल कृत्रिम अंगों : उपकरणों और पुनर्वास यंत्र कुल-निर्मित वस्तुओं की बिक्री	15,692.14 15,692.14	17,608.58 17,608.58
	व्यापारिक माल कुल-व्यापारिक माल की बिक्री कुल उत्पादों की बिक्री	6,456.89 6,456.89 22,149.03	5,677.87 5,677.87 23,286.45
(ii)	सेवा शामिल की बिक्री फिटिंग सामानों का मरम्मत प्रभार द्विपक्षीय समझौते के तहत रख-रखाव शुल्क कुल-सेवाओं की बिक्री	0.26 0.00 0.26	0.81 0.00 0.81
(iii)	अन्य परिचालन राजस्व सहित रद्दी की बिक्री सी.एस.आर. एवं एडिप गतिविधियों पर प्रशासनिक शुल्क कुल-अन्य परिचालक की बिक्री	24.22 676.85 701.07	0.25 779.72 779.97

- 15.1** निगम के जो उत्पाद शुल्क एवं वैट से पहले मुक्त थे वे 01.07.2017 से जीएसटी के दायरे में आ गये हैं।
- 15.2** उपर्युक्त निदेशित व्यापारिक सामान के ब्रिकेटिड वस्तुओं, अत्याधुनिक उत्पादों तथा कोकलिअर इंफ्लांटों के संबंध में है।
- 15.3** द्विपक्षीय समझौते के अंतर्गत रख-रखाव से प्राप्त आय और रख-रखाव/ड्यूटी फ्री उपहार कन्साइनमेंटस के क्लियरेंस पर होने वाले व्यय को अलग से एकाउंट फार किया गया है और तदनुसार आय और व्यय शीर्षों के अंतर्गत दर्शाया गया है।
- 15.4** प्रशासनिक प्रभार को राजस्व के रूप में पहचाना गया जोकि एडिप के दिशा निर्देशों के अन्तर्गत 1 अप्रैल 2014 से प्रभावी हुई और प्रशासनिक चार्ज जोकि सी.एस.आर. परियोजनाओं के तहत विक्रय के पूरा होने पर माना जाता है।



**ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA
KANPUR**

NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS

NOTE 15 : REVENUE FROM OPERATIONS

(RS. IN LACS)

S NO.	PARTICULARS	FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2018	FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2017
(a)	Gross Sale of products (including GST)	22,149.03	23,286.45
(b)	Sale of services	0.26	0.81
(c)	Other operating revenues	701.07	779.97
		22,850.36	24,067.23
	<u>Less:</u>		
(d)	GST	814.97	0.00
(e)	Discount	290.64	235.56
	TOTAL	21,744.75	23,831.67

Notes:

S NO.	PARTICULARS	FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2018	FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2017
(i)	Gross Sale of products comprises		
	<u>Manufactured goods</u>		
	Artificial Limbs, Components & Re-Habilitation Aids	15,692.14	17,608.58
	Total - Sale of manufactured goods	15,692.14	17,608.58
	<u>Traded goods</u>		
		6,456.89	5,677.87
	Total - Sale of traded goods	6,456.89	5,677.87
	Total - Sale of products	22,149.03	23,286.45
(ii)	Sale of services comprises		
	Repairing Charges of Fitting Material	0.26	0.81
	Handing Charges under Bi-Lateral Agreement	0.00	0.00
	Total - Sale of services	0.26	0.81
(iii)	Other operating revenues comprise:		
	Sale of scrap	24.22	0.25
	Administrative Charges on CSR & ADIP activities	676.85	779.72
	Total - Other operating revenues	701.07	779.97

- 15.1 The products of the corporation which were earlier exempted from ExciseDuty & VAT, has come under the purview of GST effective from 1.7.2017
- 15.2 Traded Goods indicated above are in respect of bought out fabricated items, bought out high end products and Cochlear Implants
- 15.3 Income from handling charges under Bi-Lateral Agreement and expenditure on Handling/clearance of duty free gift consignments have been separately accounted for and have been disclosed accordingly under Income and Expenditure heads.
- 15.4 The administrative Charges has been recognized as revenue based on ADIP guidelines effective from 1.4.2014 onwards & administrative charges on CSR is charged on completion of sale under CSR projects.



भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर
वित्तीय विवरण का हिस्सा बनाने के नोट्स

नोट 16 : अन्य आय

(रु लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिये	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
(ए)	ब्याज से आय	1,588.36	633.96
(बी)	अन्य गैर परिचालक आय	1,124.36	204.59
	योग	2,712.72	838.55
नोट			
क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिये	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
(i)	ब्याज की आय सहित : बैंक द्वारा ब्याज चालू जमा राशियाँ—सावधि खाते अन्य शेष बचत खाते में त्यौहार अग्रिम/पूजी अग्रिम/अन्य अग्रिम पर ब्याज	1427.43 126.10 34.83	552.75 79.18 2.03
	कुल ब्याज द्वारा आय	1,588.36	633.96
(ii)	अन्य गैरपरिचालक आय सहित : टाउनशिप के किराये से आय पूर्व अवधि की वस्तुएँ (शुद्ध)—ह्रास वापस लिया। सम्पत्तियों की बिक्री पर लाभ विविध आय	0.76 999.90 0.00 123.70	0.83 69.06 1.08 133.62
	कुल अन्य गैर परिचालक आय	1,124.36	204.59

ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA
KANPUR
NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS

NOTE 16 : OTHER INCOME

(RS. IN LACS)

S NO.	PARTICULARS	FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2018	FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2017
(a)	Interest income	1,588.36	633.96
(b)	Other non-operating income	1,124.36	204.59
	TOTAL	2,712.72	838.55
Notes			
S NO.	PARTICULARS	FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2018	FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2017
(i)	Interest income comprises: Interest from banks on: Current Deposits- Fixed Deposits other balances in Savings Bank Interest on festival advance/capital advance and others	1427.43 126.10 34.83	552.75 79.18 2.03
	Total - Interest income	1,588.36	633.96
(ii)	Other non-operating income comprises: Rental income from Township Provisions no longer required written back Profit on sale of assets Miscellaneous income	0.76 999.90 0.00 123.70	0.83 69.06 1.08 133.62
	Total - Other non-operating income	1,124.36	204.59



भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर
वित्तीय विवरण का हिस्सा बनाने के नोट्स

नोट 17 अ : प्रयुक्त सामग्री का मूल्य

(रु लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिये	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
1	प्रारंभिक स्टॉक	1,317.97	1,262.09
	जोड़े : खरीद	8,297.80	8,598.03
		9,615.77	9,860.12
	कम करे : आंतरिक उपयोगिता	0.00	0.00
	कम करे : अंतिम स्टॉक	1,493.01	1,317.97
	उपयोगिता सामग्री की लागत	8,122.76	8,542.15
	फिटिंग सामग्री प्रयुक्त	868.19	970.12
	कोकलिअर इंप्लांट	2,123.43	1,668.58
ऑटोबॉक कपोनेंट्स	21.62	62.04	
आउट सोर्स पर सामान की खरीद	806.64	844.92	
	योग	11,942.64	12,087.81
2	उपयोगिता सामग्री में शामिल है		
	(i) माइल्ड स्टील	745.66	778.74
	(ii) एल्युमिनियम एलॉय	133.84	116.30
	(iii) खरीदे गये घटक	7,070.46	7,474.44
	(iv) अन्य कच्ची सामग्री	172.80	172.67
	(v) फिटिंग सामग्री	868.19	970.12
	(vi) आउट सोर्स सामग्री	806.64	844.92
	(vii) कोकलिअर इंप्लांट एवं ऑटोबॉक कपोनेंट्स	2,145.05	1,730.62
	(viii) अन्य	0.00	0.00
	योग	11,942.64	12,087.81

नोट 17 ब : तैयार माल के रहतिये में परिवर्तित कार्य में प्रगति और व्यापार का भण्डारण

(रु लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिये	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
A	वर्ष के अंत में सूची		
	(i) सुसज्जित सामान	3,121.94	2,354.11
	(ii) कार्य प्रगति पर है	439.83	282.81
	(iii) मार्गस्थ सामग्री	57.15	51.42
	(iv) स्क्रेप	12.68	15.56
	3,631.60	2,703.90	
B	वर्ष के प्रारंभ में सूची		
	(i) सुसज्जित सामान	2,354.11	1,960.32
	(ii) कार्य प्रगति पर है	282.81	291.97
	(iii) मार्गस्थ सामग्री	51.42	10.84
	(iv) स्क्रेप	15.56	7.73
	2,703.90	2,270.86	
	शुद्ध वृद्धि/कमी (ए-ब)	927.70	433.04
17.1	कमी/अधिक, सामान्य रूप से स्वीकृत सीमा के भीतर हानियाँ तथा क्षतियों को उपयोगित सामग्री के भाग के रूप में प्रकट किया गया		



**ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA
KANPUR**

NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS

NOTE 17 A : COST OF MATERIALS CONSUMED

(RS. IN LACS)

S NO.	PARTICULARS	FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2018	FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2017
1	Opening stock	1,317.97	1,262.09
	Add: Purchases	8,297.80	8,598.03
		9,615.77	9,860.12
	Less: Internal consumption	0.00	0.00
	Less: Closing stock	1,493.01	1,317.97
	Cost of material consumed	8,122.76	8,542.15
	Fitting Material Consumed	868.19	970.12
	Cochlear Implant	2,123.43	1,668.58
	Ottobock components	21.62	62.04
	Goods Purchase on outsourcing	806.64	844.92
	Total	11,942.64	12,087.81
2	Material consumed comprises:		
(i)	Mild Steel	745.66	778.74
(ii)	Aluminium Alloy	133.84	116.30
(iii)	Bought out Components	7,070.46	7,474.44
(iv)	Other Raw Material	172.80	172.67
(v)	Fitting Material	868.19	970.12
(vi)	Outsourced Material	806.64	844.92
(vii)	Cochlear Implant & Ottobock components	2,145.05	1,730.62
(viii)	Others	0.00	0.00
	Total	11,942.64	12,087.81

**NOTE 17 B : CHANGES IN INVENTORIES OF FINISHED GOODS,
WORK-IN-PROGRESS AND STOCK-IN-TRADE**

(RS IN LACS)

S NO.	PARTICULARS	FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2018	FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2017
A	<u>Inventories at the end of the year:</u>		
(i)	Finished goods	3,121.94	2,354.11
(ii)	Work-in-progress	439.83	282.81
(iii)	Material in Transit	57.15	51.42
(iv)	Scrap	12.68	15.56
		3,631.60	2,703.90
B	<u>Inventories at the beginning of the year:</u>		
(i)	Finished goods	2,354.11	1,960.32
(ii)	Work-in-progress	282.81	291.97
(iii)	Material in Transit	51.42	10.84
(iv)	Scrap	15.56	7.73
		2,703.90	2,270.86
	Net increase / decrease(A-B)	927.70	433.04
17.1	Shortages/Excess, Losses and wastages being within normally accepted limits have been disclosed as part of Materials consumed.		



भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर
वित्तीय विवरण का हिस्सा बनाने के नोट्स

नोट 18 : कर्मचारी हित व्यय

(रु लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिये	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
1	वेतन तथा मजदूरी	2,868.36	2,680.66
2	भविष्य तथा अन्य निधियों में अंशदान	254.15	288.05
3	कर्मचारी कल्याण व्यय	117.42	149.66
	योग	3,239.93	3,118.37
18.1	लेखा मानक 15 "कर्मचारी-हित" के अनुसार लेखा मानकों में दी गयी परिभाषा के अनुसार प्रकटन निम्नानुसार है :- परिभाषित अंशदान योजनाएँ परिभाषित अंशदान योजनाओं में अंशदान को वर्ष हेतु निम्न प्रकार व्यय के रूप में मान्यता दी गयी : <p style="text-align: right;">(रु लाख में)</p>		
	विवरण	31.03.2018	31.03.2017
	भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान	141.94	149.40
	पेंशन निधि (ईपीएफओ) में नियोक्ता का अंशदान	34.96	34.17
	ग्रेच्युटी निधि तथा छुट्टी नकदीकरण में नियोक्ता का अंशदान	7.20	30.52
	पेंशन निधि (भारतीय जीवन बीमा निगम) में नियोक्ता का अंशदान	70.05	73.96
	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	32.16	29.64
18.2	निदेशकों को भुगतान <p style="text-align: right;">(रु लाख में)</p>		
	विवरण	31.03.2018	31.03.2017
	वेतन एवं भत्ते	25.82	23.39
	पीएफ एवं एफपीएफ में नियोक्ता का अंशदान	2.65	2.12
	ग्रेच्युटी एवं अवकाश नकदीकरण योजना में नियोक्ता का अंशदान	0.00	0.00
	पेंशन फंड (एलआईसी) में नियोक्ता का अंशदान	2.67	0.00
	निष्पादन संबंधित वेतन	12.23	11.90
	चिकित्सा खर्च	0.46	0.29
	TOTAL	43.83	37.70
18.3	वेतन संशोधन के बकाया भुगतान हेतु 471.51 लाख रुपये का खर्च वेतन एवं मजदूरी में शामिल है। निगम ने तारीख 03.08.2017 के डीपीई का का.ज़ा-10-02/0028/2017-डीपीई (डब्ल्यूसी-ईएल-XIII/VII) के अनुसरण में संशोधन वेतनमानों के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रपति निर्देश प्राप्त हुए थे तथा राष्ट्रपति निर्देश एवं डीपीई के दिशा निर्देशों के अनुसार बकाया राशि की गणना की गई थी वेतन संशोधन का कुल प्रभाव 623.41 लाख रुपये जिसमें से निगम के द्वारा गतवर्ष में रु 151.90 लाख का प्रावधान किया गया था तथा शेष 471.51 लाख रुपये का प्रावधान उपरोक्तानुसार इस वर्ष के व्यय में शामिल किया गया है।		



**ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA
KANPUR
NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS**

NOTE 18 : EMPLOYEE BENEFITS EXPENSE

(RS. IN LACS)

S NO.	PARTICULARS	FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2018	FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2017
1	Salaries and wages	2,868.36	2,680.66
2	Contributions to provident and other funds	254.15	288.05
3	Staff welfare expenses	117.42	149.66
	TOTAL	3,239.93	3,118.37
18.1	As per accounting standard 15 "Employee Benefits" the disclosures as defined in the accounting standards are given below :		
	Defined Contribution Plans		
	Contribution to Defined Contribution Plans recognized as expense for the year is as under :		
		(RS. IN LACS)	
	PARTICULARS	31.03.2018	31.03.2017
	Employer's Contribution to Provident Fund	141.94	149.40
	Employer's Contribution to Pension Fund (EPFO)	34.96	34.17
	Employer's Contribution to Gratuity Fund & Leave Encashment	7.20	30.52
	Employer's Contribution to Pension Fund (LIC)	70.05	73.96
	Post Retirement Medical Benefit	0.00	29.64
18.2	PAYMENT TO DIRECTORS :		
		(RS. IN LACS)	
	PARTICULARS	31.03.2018	31.03.2017
	Salary & Allowances	25.82	23.39
	Employers Contribution to PF & FPF	2.65	2.12
	Employers Contribution to Gratuity Leave Encashment Scheme	0.00	0.00
	Employer's Contribution to Pension Fund (LIC)	2.67	0.00
	Performance Related Pay	12.23	11.90
	Medical Expenses	0.46	0.29
	TOTAL	43.83	37.70
18.3	Salary & Wages includes expenses of Rs 471.51 Lacs due to arrear of pay revision. The Corporation received the Presidential Directive for implementation of the Revised Pay Scales in pursuance to the DPE OM W-02/0028/2017-DPE (WC-GL-XIII/VII) dated 03.08.2017 on 7th February 2018 and the arrears were computed as per the Presidential Directive and the DPE guidelines. The total impact of the Pay revision is Rs 623.41 Lacs out of which corporation had made a provision of Rs 151.90 Lacs in the previous year and balance Rs 471.51 Lacs is included in this year's expenses as above.		



भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर
वित्तीय विवरण का हिस्सा बनाने के नोट्स

नोट 19 : अन्य खर्चे

(रु लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिये	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिये
1	स्टोर तथा स्पेअर पार्ट्स की खपत	203.78	251.35
2	खुले औजारों की खपत	7.89	4.98
3	पैकिंग सामग्री की खपत	105.52	107.57
4	द्विपक्षीय समझौते के अन्तर्गत	0.00	0.00
5	उपठेकेदारी : बाहरी कार्य खर्च	1,323.42	1076.75
6	ऊर्जा तथा तेल	191.94	180.89
7	वायु जल तथा प्रदूषण खर्च	5.90	5.47
8	पट्टे पर किराये सहित किराया	12.19	9.85
9	मरम्मत और रख-रखाव- भवन	25.48	19.06
10	मरम्मत और रख-रखाव- मशीनरी	20.98	36.68
11	मरम्मत और रख-रखाव- अन्य	47.12	36.82
12	बीमा	9.32	9.02
13	बैंक प्रभार तथा कमीशन	0.76	4.72
14	प्रशिक्षण व्यय	14.27	4.32
15	भर्ती व्यय	16.57	20.62
16	अनुसंधान एवं विकास	71.03	113.73
17	दर एवं कर	23.17	2.23
18	संचार	28.56	38.22
19	यात्रा और वाहन खर्च	396.28	402.14
20	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	30.77	35.42
21	भाड़ा और अग्रेषण	956.73	901.73
22	अंशदान तथा अन्य फीस	16.12	13.13
23	विक्रय कमीशन	0.26	0.00
24	प्रदर्शनी खर्चे	2.02	5.06
25	वाहन का चलना तथा रख-रखाव	45.16	48.29
26	सुरक्षा खर्चे	241.95	172.52
27	कारोबार में वृद्धि	11.89	5.96
28	शिविर खर्चे	271.33	356.13
29	विज्ञापन एवं प्रचार	36.14	49.38
30	विधिक तथा व्यावसायिक	230.41	204.96
31	ऑडिटर्स को भुगतान (नीचे (i) पर नोट को देखें)	2.89	2.07
32	डूबत तथा संदेहजनक कर्जों के खिलाफ प्रावधान	328.48	14.59
33	धीमी/गैर चालनीय सामानों के खिलाफ प्रावधान	(3.47)	36.16
34	डूबत कर्जों को बट्टे खाते में डाला गया	0.00	0.00
35	विविध व्यय	34.98	29.48
36	सीएसआर खर्चे	210.10	0.44
37	पूर्व अवधि वस्तुओं (शुद्ध) (नीचे (ii) पर नोट को देखें)	1.66	0.00
	योग	4,921.60	4,199.74



**ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA
KANPUR
NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS**

NOTE 19 : OTHER EXPENSES

(RS. IN LACS)

S NO.	PARTICULARS	FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2018	FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2017
1	Consumption of stores and spare parts	203.78	251.35
2	Consumption of loose tools	7.89	4.98
3	Consumption of packing materials	105.52	107.57
4	Handling Expenses under Bi-Lateral Agreement	0.00	0.00
5	Subcontracting - Out side Job Charges	1,323.42	1,076.75
6	Power and fuel	191.94	180.89
7	Air, Water & Pollution Expenses	5.90	5.47
8	Rent including lease rentals	12.19	9.85
9	Repairs and maintenance - Buildings	25.48	19.06
10	Repairs and maintenance - Machinery	20.98	36.68
11	Repairs and maintenance - Others	47.12	36.82
12	Insurance	9.32	9.02
13	Bank Charges & Commission	0.76	4.72
14	Training Expenses	14.27	4.32
15	Recruitment Expenses	16.57	20.62
16	Research & Development	71.03	113.73
17	Rates and taxes	23.17	2.23
18	Communication	28.56	38.22
19	Travelling and conveyance	396.28	402.14
20	Printing and stationery	30.77	35.42
21	Freight and forwarding	956.73	901.73
22	Subscription and Other Fees	16.12	13.13
23	Sales commission	0.26	0.00
24	Exhibition Expenses	2.02	5.06
25	Vehicle Running & Maintenance	45.16	48.29
26	Security Expenses	241.95	172.52
27	Business promotion	11.89	5.96
28	Camp Expenses	271.33	356.13
29	Advertisement & Publicity	36.14	49.38
30	Legal and professional	230.41	204.96
31	Payments to auditors (Refer Note (i) below)	2.89	2.07
32	Provision against Bad and doubtful debts	328.48	14.59
33	Provision against Slow/Non Moving Inventories	(3.47)	36.16
34	Bad Debts written off	0.00	0.00
35	Miscellaneous expenses	34.98	29.48
36	CSR Expenses	210.10	0.44
37	Prior Period Items (Net) (Refer Note (ii) below)	1.66	0.00
	TOTAL	4,921.60	4,199.74



भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर
वित्तीय विवरण का हिस्सा बनाने के नोट्स

नोट 19 : अन्य खर्च क्रमशः.

(रु लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिये	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
(i)	लेखापरीक्षकों को भुगतान सहित अंकेक्षण जहाँ :- वैधानिक लेखापरीक्षकों के लिए कराधान मामलों के लिये कम्पनी अधिनियम मामलों के लिए प्रबंधन सेवाओं के लिये अन्य सेवाओं के लिये व्ययों की प्रतिपूर्ति	1.97 0.45 0.00 0.47 0.00 0.00	1.38 0.52 0.00 0.17 0.00 0.00
	योग	2.89	2.07
(ii)	पूर्व अवधि वस्तुओं का विवरण (शुद्ध) पूर्व अवधि खर्च पूर्व अवधि आय	1.66 0.00	0.00 0.00
	योग	1.66	0.00
19.1	वर्षों के दौरान 328.48 लाख रुपये (शून्य लाख रुपये) का प्रावधान डूबंत तथा संदेहजनक विभिन्न कर्जदारों हेतु किया गया है क्योंकि संबंधित कर्जदार द्वारा शेष की पुष्टि न होना तथा/अथवा बजटीय मजबूरी के कारण उनके सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन की जरूरत हेतु अदा करने में असमर्थता, तथा 5 वर्ष से अधिक बकाया राशियों को अन्य खर्च के तहत समूहबद्ध भी करना है। तथापि, आपूर्तिकर्त्ताओं को तथा जाली एजेंसी हेतु अग्रिम के लिए अग्रिम हेतु प्रावधान शून्य लाख (गतवर्ष 8.70 लाख) रुपये तक संदेहास्पद समझा गया, वर्ष के दौरान शून्य लाख कहना भी तर्कसंगत है कि निगम ने 865.33 लाख रुपये की वसूली पूर्व में किये गये प्रावधानों से की है तथा इस प्रकार कुल प्रावधानों में घटौती देखने को मिली है। शून्य लाख का (5.89 लाख रुपये) शेष प्रावधान किया गया है।		
19.2	वर्ष के दौरान चूंकि स्वतंत्र पेशेवरों द्वारा स्टॉक ऑडिट किया गया था, के बाद 3.47 लाख रुपये के प्रावधान को प्रत्यावर्तित किया गया है जिसके कारण गैर-संचलन वस्तु सूची में 36.16 लाख रुपये के अतिरिक्त प्रावधान की तुलना में पूर्व वर्ष में बुरी/गैर-संचलन वस्तु सूचीयों के लिए किया गया था, घटौती देखने को मिली थी।		
19.3	जब कभी खुले औजार जारी किये गये तो उन्हें उपभोगित के रूप में समझा गया।		



**ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA
KANPUR
NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS**

NOTE 19 : OTHER EXPENSES Contd.

(RS. IN LACS)

S NO.	PARTICULARS	FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2018	FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2017
(i)	Payments to the auditors comprises :		
	As auditors - statutory audit	1.97	1.38
	For taxation matters	0.45	0.52
	For company law matters	0.00	0.00
	For management services	0.47	0.17
	For other services	0.00	0.00
	Reimbursement of expenses	0.00	0.00
	TOTAL	2.89	2.07
(ii)	Details of Prior Period Items (Net)		
	Prior Period Expenses - Expenses on Modernization reversed on receipt of Grant from the Ministry	1.66	0.00
	Prior Period Income Reversed	0.00	0.00
	TOTAL	1.66	0.00
19.1	During the year provision of Rs. 328.48 Lacs (NIL Lacs) has been made towards bad and doubtful Sundry Debtors because of non-confirmation of the balance by the respective Debtors and/or their inability to pay for want of approval of their competent authority due to budgetary constraints ; and also because of out standing for more than five years are grouped under other expenses. However, provision for advance to suppliers considered doubtful to the extent of Rs NIL Lacs (P.Y. Rs 8.70 Lacs) and for advance to fabricating agency, balance provision of Rs NIL (P.Y.5.89 Lacs) has been made during the year. It is also pertinent to mention that the corporation was able to recover Rs 865.33 Lacs from the earlier provision made and therefore there is a reduction in the total provision.		
19.2	During the year, the provision of Rs 3.47 Lacs has been reversed as after the stock audit conducted by independent professionals there was a reduction in the non-moving inventory in comparison to additional provision of Rs. 36.16 Lacs that was made towards slow/non moving inventories in the previous year. The provisions for new items appearing in the list have been made on the basis of standard cost of the item. Further, it can be seen that there is a reduction in Raw Material inventory owing to alternative usages and management is making efforts to further liquidate the finished stocks also by arranging fabrication agency/ dealer meets and offering suitable discounts to the list price.		
19.3	Loose Tools as and when issued are treated as consumed.		



भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर

ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA KANPUR

नोट 20 : महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

20.1 वित्तीय विवरणीय की तैयारी का आधार

यदि अन्यथा नहीं बताया गया है, तो सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुसार वित्तीय लेखे ऐतिहासिक मूल्य एवं अर्जन आधार पर तैयार किये जाते हैं। ये विवरण सम्बन्धित लेखा मानको तथा कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 2(2) में वांछित सम्बन्धित प्रस्तुतीकरण के अनुरूप तैयार किए गए हैं। चूँकि निगम एक गैर-लाभीय संगठन है, अतः निगम अपना आय व्यय खाता कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 129 के प्रावधानों के अनुपान में बनाता है।

20.2 निर्माण अवधि के दौरान स्थिर परिसम्पत्तियाँ तथा व्यय

स्थाई परिसम्पत्तियों की खरीद को अधिग्रहण की लागत जिसमें कि सम्बन्धित अनुसंगिक व्यय तथा परिसम्पत्ति को कार्य में लाने से पूर्व में किये गये व्यय सम्मिलित है, पर दर्शाया जाता है।

स्थाई परिसम्पत्तियों पर ह्रास का प्रावधान सीधी रेखा प्रणाली के आधार पर, कम्पनी अधिनियम 1956 की अनुसूची XIV में दर्शायी गई तथा कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुसूची 2 के विशिष्ट जोकि ह्रास जोकि सम्पत्तियों के उपयोगी जीवन के समायोजित मूल्य जिसका प्रारंभिक वर्ष समाप्त हो गया तक विस्तारित किया गया जिसमें अवशेषित मूल्य रुके हुए आय से (आय एवं व्यय विवरण के अधिशेष से आगे बढ़ाया गया) निर्धारित दरों पर किया जाता है। पट्टे वाली भूमि की कीमत को पट्टे की अवधि में ही चुकता किया जाता है। तथापि कम्पनी अधिनियम 2013 अनुसूची 2 वर्णित है जैसा कि पूर्व के सीधी रेखा प्रणाली के आधार पर था। अमूर्ति सम्पत्तियों को उसके 5 साल के उपयोगी जीवन के अनुरूप परिशोधित था।

NOTE 20 : SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

20.1 Basis of Preparation of Financial Statements

The financial accounts, unless stated otherwise, are prepared on the historical cost and accrual basis in accordance with the normally accepted accounting principles. These statements have been prepared in accordance with applicable mandatory accounting standards referred to in Section 2 (2) and relevant presentation requirements of the Companies Act, 2013.

Since the Corporation is a non-profit making Organization, it prepares "Balance Sheet" and "Income & Expenditure Account" in compliance to provisions of section 129 of Companies Act, 2013 except otherwise stated by way of Notes to Accounts.

20.2 Fixed Assets and Expenditure during Construction period.

Fixed Assets are capitalized at acquisition cost including directly attributable cost of bringing the assets to its working conditions for intended use.

The depreciation on fixed assets till earlier year has been provided for on straight line method at the rates specified in Schedule XIV of the Companies Act, 1956. Schedule II of the Companies Act, 2013 specifies to apply depreciation on the basis of useful life of the assets and to adjust value of the assets, whose life at the opening of the year stands expired, to the extent of their respective residual (salvage) value from the retained earnings (i.e. brought forward amount of Surplus in statement of income & expenditure account). Lease hold land is amortized over the period of lease and the depreciation is being charged on useful life as mentioned in Schedule II to the Companies Act, 2013 on earlier followed straight line method. Intangible assets have been amortised on the basis of useful life of 5 years.



स्थाई परिसम्पत्तियों पर हास की गणना अभिवृद्धि/निपटान की तिथि के संदर्भ में आनुपातिक आधार पर की जाती है।

पूर्व के लेखा नीतियों के अनुसार निगम द्वारा लगातार जारी रखते हुए रुपये 5000/- तक की लागत के प्रत्येक डाईज एवं जिग्स आदि की कीमत को 'लूज टूल्स' खाते में नामे करके आय-व्यय खाते में उपचित किया जाता है। हांलाकि 2014-15 से सम्पत्तियों के उपयोगी जीवन को प्रतिफलित करना है और 5000 से कम तथा 5000 से ज्यादा की सम्पत्तियों में कोई अंतर नहीं रह गया है। जोकि कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुपालन में है।

नयी परियोजनाओं/परिसम्पत्तियों के निर्माण अवधि के व्यय को "पूँजीगत निर्माणाधीन कार्य" के अन्तर्गत सम्मिलित किया जाता है और परियोजनाओं / परिसम्पत्तियों के चालू होने पर लंबित आवंटन व्यय को स्थायी परिसम्पत्ति की कीमत में आवंटित कर दिया जाता है।

पूँजीगत अग्रिम को दीर्घ अवधि पूँजीगत अग्रिम के तहत ऋण एवं अग्रिम के रूप में दर्शाया जायेगा।

20.3 परिसंपत्तियों की बाधिता

किसी परिसम्पत्ति को क्षति में तब विश्लेषण किया जाता है जब उसको क्रियाशील रखने की लागत, उसी वसूली योग्य लागत से अधिक हो जाती है। क्षति, यदि कोई हो, तो उसे उस वर्ष के आय और व्यय में उपचित किया जाता है जिस वर्ष में छति चिन्हित की जाती है। यदि परिसम्पत्ति के सम्भावित वसूली मूल्य में कोई परिवर्तन होता है तो लेखा अवधि से पहले चिन्हित क्षति राशि को परिवर्तित कर दिया जाता है।

Depreciation on fixed assets is calculated on pro-rata basis with reference to the date of addition/disposal.

Earlier as per accounting policy consistently followed by the Corporation, the cost of Dies & Jigs etc below Rs. 5000/- each was charged to Income & Expenditure Account by debiting to Loose Tools Consumed Account and capital items valuing upto Rs 5000 each were also fully depreciated in the year of purchase. However, from 2014-15, useful life is of all the assets are now being considered and there has been no distinction between assets below Rs 5000 and assets above Rs 5000/- irrespective of the nature of asset in compliance with the requirement of Companies Act,2013.

Expenditure during construction period in respect of new projects/assets are included under Capital Work-in-Progress and Expenses pending allocation are to be allocated to the fixed assets on commissioning of the projects/assets.

Capital Advance shall be shown as Loans & Advances under Long Term Capital Advances.

20.3 Impairment of Assets

An asset is treated as impaired when the carrying cost of assets exceeds its recoverable value. An impairment loss, if any, is charged to the Income & Expenditure Account in the year in which an asset is identified as impaired. The impairment loss recognized in prior accounting period is reversed, if there has been a change in the estimate of recoverable amount.



नोट-20 : महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ क्रमशः.

20.4 रहतिया

रहतिया के मूल्यांकन का अधार निम्न प्रकार है :

(अ)	कच्चा माल, स्टोर्स एवं अतिरिक्त पुर्जे, फुटकर टूल्स, मार्गस्थ/जाँचान्तर्गत सामग्री	भारित औसत मूल्य पर	औसत मूल्य में केवल सामग्री मूल्य एवं अन्य प्रत्यक्ष लागत सम्मिलित है।
(ब)	निर्माणाधीन माल	मानक लागत पर (कारखाना लागत)	सामग्री मूल्य तथा लेबर और कारखाना के अतिरिक्त खर्च (कार्य पूरा होने तक) सम्मिलित है।
(स)	तैयार माल/मार्गस्थ तैयार माल	मानक लागत /अथवा अनुमानित वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो पर।	मानक मूल्य/ मूल्य में सामग्री मूल्य तथा लेबर और कारखाना के अतिरिक्त खर्च सम्मिलित है।
(द)	रद्दी	अनुमानित वसूली योग्य मूल्य पर	अनुमानित वसूली योग्य मूल्य पर

NOTE NO. 20 : SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Contd....)

20.4 Inventories

Basis of valuation of inventories is as under :-

(a)	Raw Materials, Stores & Spares, Loose Tools, Material in Transit/Inspection	At weighted average Cost.	Weighted Average Cost constitutes of purchase cost and other direct cost .
(b)	Work-in-Progress	At Standard Cost (Factory Cost)	Standard Cost/ Factory Cost constitutes of Material Cost, Labour & Factory Overheads to the point of completion.
(c)	Finished Goods / Finished Goods in Transit	At Standard Cost (Factory Cost)/ Procurement cost of assembly or estimated realizable value whichever is less	Standard Cost/Factory Cost constitutes of Material Cost, Labour & Factory Overheads.
(d)	Scrap	At estimated realizable value	Estimated realizable value represents present market rate.



20.5 राजस्व मान्यता

विक्रय की मान्यता और उसका लेखाकरण निगम की कारखाना/कार्यालय/इकाई से माल की निकासी पर किया जाता है। एएस-9 के संदर्भ में राजस्व को भी पहचाना गया जोकि सामग्री के भेजने उसका भुगतान करने तथा न पहुंचने जोकि सामग्री संवेदित प्रकृति की हो।

विक्रय बीजक तैयार करते समय विक्रय दर को रूपये के समीप पूरा किया गया है।

महत्वपूर्ण अनिश्चितताओं को छोड़कर, आय एवं व्यय को उपार्जित आधार पर मान्यता देते हुए लेखांकित किया जाता है। सभी ज्ञात हानियों एवं दायित्वों हेतु प्रावधान किया जाता है।

द्विपक्षीय समझौते के अन्तर्गत रख-रखाव से प्राप्त आय और रख-रखाव/इयूटी फ्री उपहार कन्साइनमेन्ट्स के क्लियरेंस पर होने वाले व्यय को अलग से एकाउंटफार किया गया।

जब्त ईएमडी/सुरक्षा जमा को विविध आय के रूप में दिखाया गया है।

जमा पर ब्याज उपार्जित के आधार पर है।

20.6 सरकारी अनुदानों का लेखा

संस्थापक के अंशदान के रूप में सरकार से प्राप्त अनुदान को पूंजीगत कोष में प्रकटिकरण किया गया, चूंकि ये प्रवर्तक के कोष के रूप में हैं, एडिप और एडिप-एसएसए योजना के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान का उपयोग एवं यदि व उपयोग नहीं किये जाते हैं ऐसा चालू दायित्व के रूप में माल के प्रेषण के बाद तक के लिये माना जाता है और प्रेषी द्वारा उपयोग पर स्वीकृति की जाती है।

20.7 सेवानिवृत्ति लाभ

निगम द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए अलग से एक प्रोविडेंट फण्ड ट्रस्ट की स्थापना की गई है। प्रोविडेंट फण्ड और कर्मचारी पेंशन योजना में निगम के अंशदान को आय-व्यय खाते में उपचित किया जाता है। ग्रेच्युटी तथा छुट्टी नगदीकरण पर व्यय बीमांकित मूल्यांकन में हुई वृद्धि के आधार पर बीमाकर्ता को अंतरित राशि की सीमा तक मान्यता दी जाती है, बीमाकर्ता द्वारा वापिस की राशि के अलावा, यदि मूल्यांकन में कमी होती है तो किसी व्यय को मान्यता नहीं मिलती है।

20.5 Revenue Recognition

Sales are recognized and accounted for on despatch of goods from the Corporation's Factory/ Offices/ Units. In view of AS-9, revenue has also been recognized when the material is ready for despatch, assured of payment and has not been delivered due to lack of delivery instruction and nature of the material is sensitive.

"Sale rates are rounded off to the nearest rupee while preparing sales invoices."

Income & Expenditure are recognized and accounted for on accrual basis, except in case of significant uncertainties. Provision is made for all known losses & liabilities.

Income from handling charges under bi-lateral agreement and expenditure on handling/clearance of duty free gift consignments are separately accounted for.

EMD/Security deposit forfeited, if any, are disclosed as miscellaneous income.

Interest on deposits is accounted for on accrual basis.

20.6 Accounting of Government Grants

Grants received from Government in nature of promoter's contribution has been disclosed as capital reserve. Other Revenue Grants received under ADIP and ADIP-SSA schemes to the extent they are unutilized have been considered as Current Liabilities after treating goods despatched and acknowledged by consignees utilized.

20.7 Retirement Benefits

The corporation's contribution for the retirement benefits of the employees towards Provident Fund, Pension Fund and Employees Family Pension scheme are charged to Income & Expenditure Account. The expenditure on Gratuity and Leave Encashment is recognized to the extent of amount transferred to insurer on the basis of increase in the actuarial valuation; No expenditure is recognized in case there is decrease in valuation except the amount returned by the Insurer.



20.8 विदेशी मुद्रा लेनदेन

विदेशी मुद्रा में किये गये लेन-देन को उस समय के विनियम दर पर अभिलेखों में दर्ज किया गया है।

20.9 अनुसंधान एवं विकास

शोध और विकास पर हुए राजस्व व्यय को उस वर्ष के व्यय खाते में उपचित किया जाता है जिस वर्ष में उसे उपगत किया गया है। अनुसंधान और विकास पर किये गये पूंजीगत व्यय, यदि कोई है तो उसे स्थाई परिसम्पत्ति में वृद्धि के रूप में दर्शाया जाता है।

20.10 कर

आयकर :

धारा 10(23सी) (IIIac) के प्रावधान के मद्देनजर और आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12एए के अन्तर्गत निगम की आय, आयकर से मुक्त है। इस कारण आगे आने वाले वर्तमान/भविष्य में कर के लिये प्रावधान नहीं बनाया है।

मांग/अनुदान के आधार पर ब्याज देय/मांग पर प्राप्य/वसूली को लेखांकित किया जाता है।

20.11 प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ तथा आकस्मिक परिसंपत्तियाँ

महत्वपूर्ण आंकलन वाले प्रावधानों को वही मान्यता दी गई है जहाँ गत घटनाओं के परिणामस्वरूप मौजूदा समय में बाध्यता है और इस बात की संभावना है कि संसाधनों को वाह्य प्रवाह होगा। संभावित दायित्वों का प्रावधान नहीं किया जाता है बल्कि लेखों पर टिप्पणियों में दर्शाया जाता है। संभावित सम्पत्तियों की न तो पहचान की जाती है न ही वित्तीय विवरणी में दर्शाया जाता है।

20.12 पूर्व अवधि का लेनदेन

पूर्व अवधि के लेन-देन, जो रु० 1.00 लाख से अधिक है को प्रत्येक केस में जो कि पूर्व के मद है को चालू वर्ष के आय और व्यय के तहत प्रदर्शित कर दिये जाते हैं।

ह०/- ह०/- कृते और निदेशक मंडल की ओर से
(अतुल रुस्तगी) टी. सी. ए. कल्याणी
उप-महाप्रबन्धक निदेशक
(वित्त) डी. आर. सरीन
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
हमारे समतिथि के संलग्न प्रथक प्रतिवेदन के अनुसार
कृते प्रकाश एण्ड संतोष
सनदी लेखाकर, एफ. आर. एन. 000454 सी

स्थान : महाबलीपुरम
दिनांक : 06.07.2018

ह०/-
(संतोष कुमार गुप्ता)
पार्टनर, सदस्यता सं. 016304

20.8 Foreign Currency Transactions

Revenue transactions denominated in Foreign Currency are normally recorded at the exchange rate prevailing at the time of transaction.

20.9 Research & Development

Revenue expenditure on Research and Development is charged as an expense in the year in which they are incurred. Capital Expenditure, if any, on Research & Development is shown as an addition to Fixed Assets.

20.10 Taxes

Income Tax :

In view of provisions of section 10(23C) (IIIac) and exemption granted under section 12AA of the Income Tax Act' 1961, the income of the corporation is exempt from the tax. Hence no provision is made for current/deferred tax.

Interest payable / receivable on demand/ refund is accounted for on as and when demanded/ granted.

20.11 Provision, Contingent Liabilities and Contingent Assets

Provisions involving substantial degree of estimation in measurement are recognized when there is a present obligation as a result of past events and it is probable that there will be an outflow of resources. Contingent Liabilities are not provided for but are disclosed in the notes on accounts. Contingent Assets are neither recognized nor disclosed in the financial statements.

20.12 Prior Period Transactions

Prior period transactions, which are over Rs. 1.00 Lacs in each case are considered as prior period items and are disclosed under current year Income & Expenditure.

Sd/- Sd/- FOR AND ON BEHALF OF
(ATUL RUSTAGI) (T.C.A. KALYANI) BOARD OF DIRECTORS
DGM - FIN DIRECTOR Sd/-
(D.R.SARIN)
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR
AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE ATTACHED
FOR PRAKASH & SANTOSH
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN - 000454C
Sd/-
(CA. SANTOSH KUMAR GUPTA)
PARTNER
MEMBERSHIP NO. 016304
PLACE : Mahabalipuram
DATED : 06.07.2018



ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA
KANPUR

NOTE NO. 21 : ADDITIONAL INFORMATION TO FINANCIAL STATEMENTS

S.No.	PARTICULARS	(RS. IN LACS)	
		AS AT 31ST MARCH 2018	AS AT 31ST MARCH 2017
21.1	Contingent assets, liabilities and commitments (to the extent not provided for)		
	(i) Contingent assets & liabilities		
(a)	Claims against the Company not acknowledged as debt On account of Industrial/Other disputes pending in various Court of law - amount determinable	36.58	29.35
(b)	Guarantees	0.00	11.88
(c)	Other money for which the Company is contingently liable	0.00	0.00
(d)	On account of claims by Income Tax Department.	3848.37	3233.47
(e)	On account of claims by Sales Tax / VAT authorities	70.39	76.15
(f)	Contingent assets- Legal Cases	(25.30)	(25.30)
(g)	Contingent assets- unexpired BGs	(300.36)	(132.35)
	(ii) Commitments		
(a)	Estimated amount of contracts (net of advances) remaining to be executed on capital account and not provided for		
	Tangible assets	6613.58	8811.69
	Intangible assets	5.00	6.03
(b)	Uncalled liability on shares and other investments partly paid	0.00	0.00
(c)	Other commitments (specify nature)	0.00	0.00
		10248.26	12010.92
NOTE	PARTICULARS	(RS. IN LACS)	
		AS AT 31ST MARCH 2018	AS AT 31ST MARCH 2017
21.2	Disclosures required under Section 22 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006		
(i)	Principal amount remaining unpaid to any supplier as at the end of the accounting year	305.31	233.83
(ii)	Interest due thereon remaining unpaid to any supplier as at the end of the accounting year	0.00	0.00
(iii)	The amount of interest paid along with the amounts of the payment made to the supplier beyond the appointed day	0.00	0.00
(iv)	The amount of interest due and payable for the year	0.00	0.00
(v)	The amount of interest accrued and remaining unpaid at the end of the accounting year	0.00	0.00
(vi)	The amount of further interest due and payable even in the succeeding year, until such date when the interest dues as above are actually paid	0.00	0.00
	Dues to Micro and Small Enterprises have been determined to the extent such parties have been identified on the basis of information collected by the Management. This has been relied upon by the auditors.		



भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर

नोट 21 : वित्तीय विवरणी हेतु अतिरिक्त जानकारी क्रमशः

क्र. सं.	विवरण	(रु लाख में)	
		31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिये	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिये
21.3	सीआईएफ के आधार पर आयात की गणना का मूल्य		
(i)	कच्चा माल	0.00	0.00
(ii)	अवयव	4.87	4.47
(iii)	स्टोर, पुर्जे, खपत	0.00	0.00
	कुल माल	4.87	4.47
(iv)	विदेश यात्रा पर व्यय	1.90	6.29
(v)	पूँजीगत माल	0.00	0.00
21.4	आयातित एवं स्वदेशी वस्तुओं की खपत का विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिये	
		(रु लाख में)	प्रतिशत
(अ)	आयातित		
(i)	कच्चा माल	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
(ii)	घटक	0.00 0.00	0.00 0.00
(iii)	स्टोर, पुर्जे, खपत	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
	योग	(0.00)	(0.00)
		(0.00)	(0.00)
नोट	विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिये	
(ब)	स्वदेशी	(रु लाख में)	प्रतिशत
(i)	कच्चा माल	4872.18 (4613.37)	100.00 (100.00)
(ii)	घटक	7070.46 (7474.44)	100.00 (100.00)
(iii)	स्टोर, कल पुर्जे, खपत	211.67 (256.33)	100.00 (100.00)
	योग	12154.31	
		(12344.14)	



**ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA
KANPUR**

NOTE NO. 21 : ADDITIONAL INFORMATION TO FINANCIAL STATEMENTS (Contd.)

NOTE	PARTICULARS	(RS IN LACS)	
		FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2018	FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2017
21.3	Value of imports calculated on CIF basis		
(i)	Raw Materials	0.00	0.00
(ii)	Components	4.87	4.47
(iii)	Stores, Spare Parts & consumables	0.00	0.00
	Total Material	4.87	4.47
(iv)	Expenditure in Foreign Travelling	1.90	6.29
(v)	Capital goods	0.00	0.00
21.4	Details of consumption of imported and indigenous items	FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2018	
		(RS. IN LACS)	%
(A)	Imported		
(i)	Raw Materials	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
(ii)	Components	(0.00) (0.00)	(0.00) (0.00)
(iii)	Stores, Spare Parts & consumables	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
	Total	(0.00)	(0.00)
		(0.00)	(0.00)
NOTE	PARTICULARS	FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2018	
(B)	Indigenous	(RS. IN LACS)	%
(i)	Raw Materials	4872.18 (4613.37)	100.00 (100.00)
(ii)	Components	7070.46 (7474.44)	100.00 (100.00)
(iii)	Stores, Spare Parts & consumables	211.67 (256.33)	100.00 (100.00)
	Total	12154.31	
		(12344.14)	



भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर

नोट 21 : वित्तीय विवरणी हेतु अतिरिक्त जानकारी क्रमश :

क्र. सं.	विवरण	(रु लाख में)	
		31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
21.5	विदेशीय मुद्रा से आय एफओबी के अनुसार माल की गणना का निर्यात	0.00	0.00
21.6	<u>अनुभाग की जानकारी-एस 17</u> निगम मुख्य रूप एक अनुभागीय व्यापार यानि की कृत्रिम अंग में पुर्नवास ओर अव्यव एवं भौगोलिक अनुभागी में कार्य कर रही है।		
21.7	<u>सम्बन्धित पार्टी का प्रकटीकरण-एस 18</u> इसमें किसी भी सम्बन्धित पक्षों के नीचे कोई भी लेन-देन नही हुए हैं सिर्फ नोट 18.2 छोड़कर		
21.8	कोष्ठक के आंकड़े पिछले वर्ष को दर्शाते हैं।		
21.9	पिछले वर्ष के आंकड़ों को फिर से समूह वार, व्यवस्थित और वर्गीकृत बनाने के लिये उनकी चालू वर्ष के आंकड़ों से तुलना की गई है।		

ह0/-
(अतुल रुस्तगी)
उप-महाप्रबन्धक
(वित्त)

ह0/-
टी. सी. ए. कल्याणी
निदेशक

कृते और निदेशक मंडल की ओर से
ह0/-
डी. आर. सरिन
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

हमारे समतिथि के संलग्न प्रथक प्रतिवेदन के अनुसार
कृते प्रकाश एण्ड संतोष
सनदी लेखाकर, एफ. आर. एन. 000454सी
ह0/-
(संतोष कुमार गुप्ता)
पार्टनर, सदस्यता सं. 016304

स्थान : महाबलीपुरम
दिनांक : 06.07.2018



**ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA
KANPUR**

NOTE NO. 21 : ADDITIONAL INFORMATION TO FINANCIAL STATEMENTS (Contd..)

NOTE	PARTICULARS	(RS. IN LACS)	
		AS AT 31ST MARCH 2018	AS AT 31ST MARCH 2017
21.5	Earnings in foreign exchange		
	Export of goods calculated on FOB basis	0.00	0.00
21.6	Segment Information - AS 17		
	The Corporation is principally engaged in single business segment i.e. Artificial Limbs, Rehabilitation Aids and Components and operates in one Geographical segment.		
21.7	Related Party Disclosure - AS 18		
	There are no transaction between any related party except reported in Note 18.2		
21.8	Figures in bracket represents that of previous year.		
21.9	Previous year figures have been re-grouped, re-arranged and re-classified to make them comparable with that of current year figures		

Sd/-
(ATUL RUSTAGI)
DGM - FIN

Sd/-
(T.C.A. KALYANI)
DIRECTOR

FOR AND ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
Sd/-
(D.R.SARIN)
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR
AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE ATTACHED
FOR PRAKASH & SANTOSH
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN - 000454C

PLACE : Mahabalipuram
DATED : 06.07.2018

Sd/-
(CA. SANTOSH KUMAR GUPTA)
PARTNER
MEMBERSHIP NO. 016304



JABALPUR




BHUBANESHWAR



BENGALURU



CHANALON



Major implementing agency of the Govt. of India's scheme - ADIP (Assistance to Disabled Persons) since 1981

Sole Implementing agency of the Govt. of India Scheme ADIP - SSA (Sarva Siksha Abhiyan) since 2004

Approaching and extending help to CPSU's to take up their CSR obligations

Approaching and extending help to Hon'ble MP's to utilize MPLAD fund towards upliftment of PwDs through ALIMCO.

